खण्ड-189, अंक-7
सोमवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(16 दिसम्बर, 1957 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

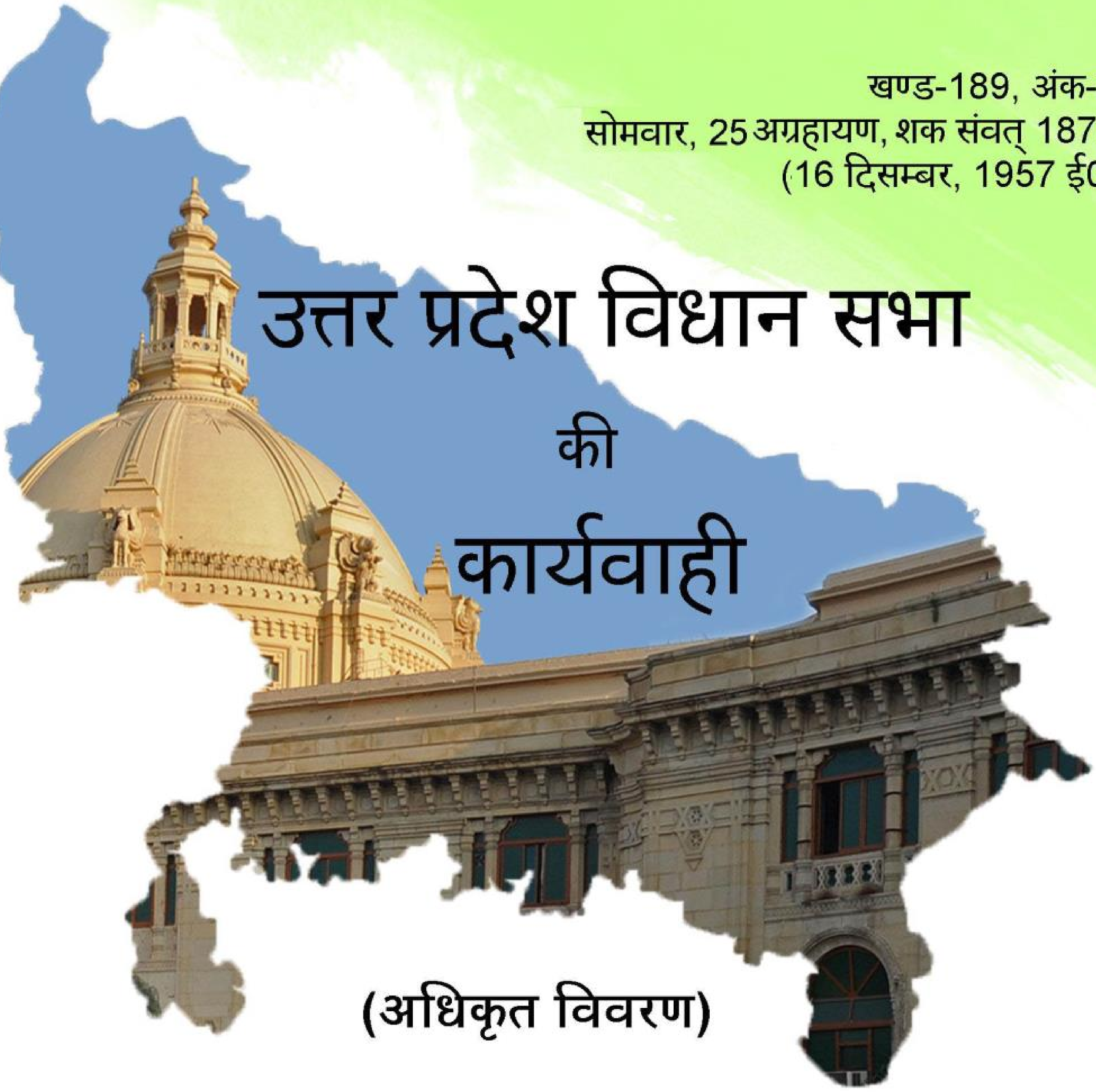

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों पर विवादार्थ समय निर्धारण की सूचना .. .. .. .. | ५२१ |
| कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये निर्धारित समय के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. | ५२१–५२४ |
| १९५४–५५ के विनियोग लेखे और १९५६ के लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन (सदन की मेज़ पर रखे गये) .. .. .. | ५२४ |
| १९५४–५५ के वित्त लेखे और १९५५ के लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन (सदन की मेज़ पर रखे गये) .. .. .. | ५२४ |
| १९५३–५४ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांग (उपस्थित की गयी) .. | ५२४ |
| १९५७–५८ की प्रथम अनुपूरक मांग (उपस्थित की गयी) .. | ५२४ |
| उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित) .. .. | ५२४–५३६ |
| लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचार जारी) .. | ५३६–५५९ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ५६०–५६७ |


विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

### उपस्थित सदस्य (३४३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री

गौरीशंकराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगर सिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती

रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

# प्रश्नोत्तर

## तारांकित प्रश्न

### सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७ ई०

### जरवल शुगर मिल के गेट के गन्ने की तुलसीपुर शुगर मिल में पेरे जाने पर कीमत

*१—राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस वर्ष ७ मई के बाद जरवल शुगर मिल (बहराइच) के गेट का कुछ गन्ना तुलसीपुर शुगर मिल (गोंडा) भेजा गया और इन गन्नों का दाम Recovery basis (रिकवरी बेसिस) पर दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां, गन्ने की सम्पूर्ण खपत कराने के हेतु पहली जून, १९५७ से जरवल रोड मिल के गेट का १,५९,२४७ मन गन्ना तुलसीपुर शुगर मिल, जिला गोंडा को भेजा गया और इस गन्ने का दाम चीनी के परते (Recovery Basis ) के आधार पर दिया गया।

*२—राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ७ मई, १९५७ के बाद प्रतिदिन जरवल मिल के गेट के गन्ने की रिकवरी जरवल मिल में क्या आई और उसी स्थान के गन्ने की रिकवरी तुलसीपुर मिल में क्या आयी और दोनों स्थानों पर उसी गन्ने की कीमत किस दर पर किसानों को दी गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—चीनी मिल साधारणतया रिकवरी के आंकड़ों का ब्योरा अलग-अलग एरिया (गेट अथवा सेन्टरों) के अनुसार नहीं रखती हैं। अतः यह बताना कि जरवल गेट के गन्ने की रिकवरी जरवल रोड मिल में ७ मई, १९५७ के बाद या उसी स्थान के गन्ने की रिकवरी तुलसीपुर मिल में क्या आयी, सम्भव नहीं है। फिर भी जो रिकवरी प्रतिदिन जरवल रोड अथवा तुलसीपुर मिल में ७ मई, १९५७ के पश्चात् पेरे गये गन्ने पर माह जून, १९५७ में प्राप्त हुई, उसके आंकड़े संलग्न तालिका 'क' में दिये हुए हैं। (बाहरी गन्ने की पेराई तुलसीपुर मिल ने केवल माह जून में ही की) दोनों स्थानों पर उसी गन्ने की कीमत ग्यारह आना प्रति मन दी गयी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६० पर)

### मनकापुर-मसकनवा केन यूनियन का केन कमिश्नर को आवेदन-पत्र

*३—राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनकापुर-मसकनवा केन यूनियन ने केन कमिश्नर तथा नवाबगंज शुगर मिल का ध्यान कई सालों से बराबर दोनों स्थानों के गन्ना तौल के सेन्टरों पर बैलगाड़ियों के खड़े होने के पड़ाव की दुर्दशा और लोगों की कठिनाई की ओर जो दिलाया है उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मनकापुर-मसकनवा केन यूनियन ने केन कमिश्नर (उत्तर प्रदेश) का ध्यान पिछले किसी साल में दोनों स्थानों के गन्ना तौल के सेन्टरों पर बैलगाड़ियों के खड़े होने के पड़ाव की दुर्दशा और लोगों की कठिनाई की ओर कभी भी नहीं दिया है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता, फिर भी इन सेन्टरों पर गन्ना विकास विभाग द्वारा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

## कैनाल इन्स्पेक्शन हाउसेज में विधायकों को ठहरने के लिये नियम

*४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक लोग सरकारी कैनाल इन्स्पेक्शन हाउसेज पर ठहरने के अधिकारी हैं या नहीं ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—कैनाल इंस्पेक्शन हाउसेज में ठहरने के नियमानुसार विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य बिना किसी पिछली सूचना के विधान सभा की मीटिंग या सरकार अथवा विधान सभा द्वारा नियुक्त कमेटियों की सभाओं में जाते या वहां से लौटते समय सिंचाई विभाग के आम निरीक्षण भवनों में ठहर सकते हैं बशर्ते कि स्थान उपलब्ध हो। अन्य अवसरों पर डिवीजनल आफिसर द्वारा नियमित परिमट प्राप्त करके ठहर सकते हैं। परमिट के लिये १० दिन पहले सूचना देनी होती है। इन नियमों के अनुसार विधायक लोग उसी व्यवहार के हकदार होते हैं जो अन्य सरकारी विभागों के गजेटेड अफसरों के साथ किया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गजेटेड अफसरों के साथ किया जाने वाला कौन सा व्यवहार माननीय सदस्यों के साथ सरकार करती है ?

श्री राममूर्ति—व्यवहार से मतलब यह है कि जब अफसरान ड्यूटी पर नहीं रहते हैं तब उनको ठहरने का किराया देना पड़ता है। जो स्पेशल क्लास बंगले हैं उनका किराया डेढ़ रुपये से लेकर ४ रुपये तक देना पड़ता है और जो मामूली रेस्ट हाउसेज हैं उनमें अगर बिजली है तो उसका किराया, नहीं तो सफ़ाई वगैरह का ४, ६ आने देना पड़ता है।

श्री रामचन्द्र विकल—जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि आम निरीक्षण भवनों में ठहर सकते हैं तो क्या सिंचाई विभाग में कुछ ऐसे खास भवन भी हैं जिन पर विधायक लोग नहीं ठहर सकते हैं ?

श्री राममूर्ति—कुछ स्पेशल क्लास भवन हैं जैसे कि हरद्वार में, ओखला में, बनबसा हैं। मेरा मतलब उनसे है।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई भी विधायक अधिक से अधिक कितने दिन तक एक निरीक्षण हाउस में ठहर सकते हैं ?

श्री राममूर्ति—ज्यादा से ज्यादा १० दिन ठहरने का प्रबन्ध होता है और उसके बाद अगर ठहरने की जरूरत हो तो स्पेशल परमिट लेनी पड़ती है। आम तरीके से ७ दिन तक लोग ठहरते हैं।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या यह सच है कि सरकार की ओर से एक ऐसा जी० ओ० गया है जिसमें यह स्टैंडिंग आर्डर्स हैं कि अगर डाक बंगला खाली हो तो आदरणीय सदन के कोई भी माननीय सदस्य वहां बिना किराये के ठहर सकते हैं ?

श्री राममूर्ति—मैंने तो अर्ज किया कि जो साधारण बंगले हैं उनमें कोई भी माननीय सदस्य अगर काम से गये हों तो ठहर सकते हैं अगर जगह है तो और अगर किसी ड्यूटी पर नहीं हैं तब उनको इजाजत ले लेनी चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो खास तौर के डाक बंगले हैं उनमें विधायकों के न ठहर पाने का क्या कारण है और क्या वजह हो सकती है कि उन्हें उन बंगलों में न ठहरने दिया जाय ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों के समझने में भ्रम हुआ है। मेरे कहने का मंशा यह नहीं कि वे वहां ठहर नहीं सकते, वह ठहर सकते हैं लेकिन उसके लिये पहले से इजाजत लेनी जरूरी है।

चौधरी खजानसिंह (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहले से तो ठहरने के लिये सभी में इजाजत लेनी पड़ती है, उनमें क्या खास बात है?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि जो साधारण बंगले हैं उनमें अगर आप ड्यूटी पर हैं तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं। खाली आप चौकीदार को कहेंगे कि आप विधायक हैं और वह बंगला खोल देगा। अगर कुछ लोग ठहरे हुए हैं तो अक्सर जगह नहीं मिलती। लेकिन जो दो-चार स्पेशल क्लास बंगले हैं उनमें ठहरने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पूर्व अनुमति लेने के लिये कितने समय पहले से इंटीमेशन देना चाहिये?

श्री राममूर्ति—१० दिन।

## राज्य सरकार पर कर्ज

*५—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य सरकार पर इस समय कुल कितना कर्जा है और यह कर्जा सरकार को कितना-कितना और कहां-कहां से प्राप्त हुआ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है, वह १९५७-५८ के बजट साहित्य के खंड २ की नत्थी १, पृष्ठ संख्या १२१ में दी हुई है। उक्त बजट साहित्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उस पर बहस भी हो चुकी है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ के बजट से पहले का भी कर्जा है जो आपने बजट में शामिल किया है?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कहा गया है, आप उसमें देख लें। सब सूचना उसके अन्दर है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—बजट साहित्य के सामने आने के बाद भी सरकार ने कोई कर्जा लिया है? यदि हां, तो कितना?

श्री रऊफ जाफरी—बजट के आने के बाद से जो कुछ हुआ है उसका हिसाब इस वक्त मौजूद नहीं है।

श्री गेंदासिंह—माननीय रामचन्द्र विकल का प्रश्न आज तक के कर्जे का था। इस की सूचना एकत्र करने में सरकार को क्या कठिनाई थी?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न जिस रोज हुआ उसी रोज तक ही पूछ रहे हैं।

श्री रऊफ जाफरी—आज तक की बात, आडिट वगैरह के सब कागजात मौजूद नहीं हैं इसलिये ठीक-ठीक पोजीशन बतलायी नहीं जा सकती कि क्या है।

## आगरा कैनाल में पानी बढ़ाने की योजना

*६—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा पर बतायेगी कि आगरा कैनाल के चौड़ा किये जाने पर कुल कितना धन व्यय हुआ है और आगरा कैनाल में पानी बढ़ाने की योजना क्या है ?

श्री राममूर्ति—आगरा-कैनाल व हिन्डन कट के पुनः निर्माण (remodelling) में अब तक कुल ४५ लाख रुपया व्यय हुआ है ।

आगरा-कैनाल में पानी बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत वर्षा ऋतु के पूर्व और उसके पश्चात् यमुना नदी में जो अधिक जल प्राप्त होता है उसे आगरा-कैनाल की क्षमता (capacity) बढ़ाकर सिंचाई के काम में लाना है । इस समय आगरा-कैनाल की क्षमता २००० क्यूजक्स है । पुनः निर्माण (remodelling) के पश्चात् इसकी क्षमता ३२५० क्यूजक्स हो जायगी और यह यमुना नदी का अधिक पानी ले सकेगी । यह अधिक पानी पलेवा की सिंचाई के काम में लाया जायेगा ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सिंचाई मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नहर को चौड़ा किया जा रहा है और उसमें जो अधिक पानी आने की योजना है वह कब तक पूरी हो जायगी और उससे पानी आने लगेगा ।

श्री राममूर्ति—जब राम गंगा बांध बन कर तैयार होगा तभी पूरी कैपिसिटी में पानी मिल पायेगा ।

श्री गेंदासिंह—जिस बांध का जिक्र सिंचाई मंत्री जी ने किया वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल यदि नहीं बन सका तो दूसरे साल जरूर खत्म हो जाना चाहिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इस नहर के चौड़ा करने में ४५ लाख रुपया खर्चा बतलाया गया है तो उससे कितना वार्षिक लाभ होता रहेगा ?

श्री राममूर्ति—चूंकि आजकल उसकी कैपिसिटी २ हजार क्यूजक्स की है वह बढ़कर ३२५० की हो जायगी । ज्यादातर पानी पलेवा के काम में आयेगा । आगरा और मथुरा के जिलों में अक्सर जगह पानी खारा होता है । जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं जमती । पलेवा का पानी आ जाने से फसल की पैदावार अच्छी होती है और फिर वर्षा हो जाने से फसल ठीक रहती है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पहले नहर कितनी चौड़ी थी और अब कितनी चौड़ी की गई है और कितने मीलों तक ?

श्री राममूर्ति—मुझे गज इंचों में तो मालूम नहीं है लेकिन पहले कैपेसिटी २ हजार थी जो बढ़कर ३२५० हो गयी है तो करीब-करीब ड्योढ़ी से ज्यादा बढ़ गई होगी ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३२५० कैपेसिटी की उसमें क्षमता हो गई है या हो जायेगी जैसा कि आपने अभी कहा है ?

श्री राममूर्ति—रिमाडलिंग का काम खत्म हो रहा है । इसलिये काम खत्म होने के पश्चात् हो जायगी लकिन पिछले जमाने में २५०० क्युजक्स पानी चलाया जा चका है ।

## इस्लामनगर, जिला बदायूं में कार्य पर मृत श्री इकबाल हुसैन मिस्त्री के परिवार को मुआवजा देने पर विचार

*७--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में इस्लाम नगर में श्री इकबाल हुसेन सेक्शन मिस्त्री की मृत्यु कुयें पर कार्य करते हुई है और उसकी पत्नी द्वारा सरकार के पास (compensation) के लिये प्रार्थना-पत्र भी आया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति---जी हां। मृतक के परिवार को मुआवजा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मुआवजा जो देने का विचार है इसमें बेनेफिशियल कम्पेन्सेशन भी इन्क्लूडेड है ?

श्री राममूर्ति-सिंचाई विभाग से तीन हजार रुपये की रकम दी गई है। कागजात अभी लेबर डिपार्टमेन्ट के पास हैं वहां से जब फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट होते हुये आयेंगे तब यह मसला तय हो जायगा।

श्रीमती चन्द्रावती---मैं यह जानना चाहती हूं कि इसमें बेनेफिशियल कम्पेन्सेशन भी इन्क्लूडेड है या सिर्फ मुआवजे की ही रकम है ?

श्री राममूर्ति---यह ब्योरा तो मेरे पास नहीं है।

## बिजनौर जिले में नलकूपों का निर्माण-कार्य

*८--- श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजनौर जिले में कितने नलकूप प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बन पाये ?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजनौर जिले में ४८ नलकूप बन चुके हैं।

*९---श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने नलकूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाये जाने की स्वीकृति दी गई है ?

श्री राममूर्ति---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी ३० नलकूप बिजनौर जिले के लिये स्वीकृत किय गये हैं।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ४८ नलकूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में बन चुके हैं, क्या बिजली भी उन पर लग चुकी है ?

श्री राममूर्ति---४७ में बिजली लग चुकी है।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह कुयें किस-किस तहसील में बने हैं ?

श्री राममूर्ति---यह ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---जो ४८ नलकूप बने हैं ये सब पानी दे रहे हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति---पानी देने के लिये ही बनाये गये हैं, लिहाजा दे रहे हैं।

**श्री वीरेंद्र वर्मा**—प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या ४८ ही नलकूप बनाने की लक्ष्य रखा गया था ?

**श्री राममूर्ति**—जी हां, ४८ का रखा गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३० में २० बन चुके हैं और १० पर काम चालू होने वाला है ।

**श्रीमती चन्द्रावती**—इन ४८ नलकूपों से सींचा जानेवाला एरिया कितना है ?

**श्री राममूर्ति**—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

**श्री शिवप्रसाद नागर**—इन ४८ नलकूपों का टोटल कमान्ड एरिया कितना है और कितना सींचा जा रहा है ?

**श्री राममूर्ति**—ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

**श्री जगबीरसिंह**—जो १० पर काम शुरू होनेवाला बताया गया है वह कब तक अरम्भ हो जायगा ?

**श्री राममूर्ति**—गालिबन दिसम्बर-जनवरी में हो जायगा ।

**चौधरी खजान सिंह**—इन ४८ कुओं का कितना डिस्चार्ज है ?

**श्री राममूर्ति**—यह बड़ा ब्योरे का प्रश्न है । अगर अलग से सवाल किया जाय तो हर कुएं का डिस्चार्ज अलग-अलग बताया जाय ।

## बुन्देलखंड में सिंचाई की दर कम करने के लिये प्रार्थना

*१०—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह बुन्देलखंड में अनाज की पैदावार कम होने के कारण वहां की सिंचाई की दरों को कम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या वह पुरानी दरों तथा नई योजना की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री राममूर्ति**—इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः नई अथवा पुरानी दरों की तालिका सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या मंत्री जी ने बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों के सिंचाई के नियमों में कुछ परिवर्तन किये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

**श्री राममूर्ति**—गंगा यमुना की नहरों से वहां कुछ कम ही रेट्स हैं, इसलिये और संशोधन करने का विचार आवश्यक नहीं है ।

## जालौन जिले में बिजली देने की योजना

*११—**श्री गोविन्द नारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के किस-किस कस्बे में बिजली लगाने की योजना बनाई गई है और उन कस्बों में कब तक बिजली की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—जालौन जिले के कालपी, उरई तथा जालौन कस्बों में बिजली लगाने की योजना है ।

कोशिश यह की जा रही है कि सन् १९५८ में इन कस्बों को बिजली मिल जाय ।

*१२—**श्री गोबिन्द नारायण तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक जिला जालौन में बिजली न पहुंचने के क्या कारण हैं ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—कार्य प्रगति पर है ।

*१३—**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (अनुपस्थित)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर से कालपी के पास तक बिजली के खंभे लगा दिये गये हैं परन्तु पिछले ४ महीने से काम बन्द कर दिया गया है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—खम्बे लगा दिये गये और काम चालू है ।

## राज्य के प्राइवेट सिविल इंजीनियरिंग स्कूल

*१४—**श्री प्रताप सिंह**—क्या यह सही है कि इस वर्ष प्रदेश के Civil Engineering Schools (Private) को बन्द करने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि अब भी कुछ प्राइवेट Civil Engineering Schools चल रहे हैं ?

**श्री रऊफ जाफरी**—जी नहीं ।

**श्री प्रतापसिंह**—क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने प्राइवेट सिविल इंजीनियरिंग स्कूल चल रहे हैं ?

**श्री रऊफ जाफरी**—प्रदेश में इस समय १३ स्कूलों से यह कह दिया गया है कि चूंकि पिछले साल जब परीक्षा हुई और कुछ लड़के उसमें से सैकिन्ड ईयर में आगये और स्कूलों का इक्विपमेंट और दूसरी चीजें अच्छी नहीं थीं, इसलिये उन सबसे नहीं, मगर १३ से यह कहा गया कि वे अपने यहां सेकिन्ड ईयर में लड़के पढ़ा लें, उनका इम्तिहान लिया जायगा । यह प्राविजनल तरीके पर है, इसलिये फिर देखा जायगा कि उनको मान्यता दी जाय या नहीं ।

**श्री प्रतापसिंह**—क्या इन १३ स्कूलों को सरकार की ओर से मान्यता मिल गई है या नहीं ?

**श्री रऊफ जाफरी**—अभी जैसा बतलाया, मान्यता इस मानी में नहीं दी गई है कि वह आगे भी चलें । उनसे कह दिया गया है कि जब तक आगे के लिये फिर से सरकार की स्वीकृति न मिल जावे वे आगे के लिये एडमिशन न करें और अगर करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे और सरकार की ओर से इम्तिहान रुड़की यूनिवर्सिटी से नहीं होगा ।

**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—क्या सरकार का ऐसा विचार है कि, जैसा उत्तर से मालूम हुआ, वे स्कूल द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पास हो जाने के बाद बन्द कर दिये जावेंगे या उनको चलाने का मंशा है ?

**श्री रऊफ जाफरी**—यह जरूरी नहीं है कि सभी चलते रहें और यह भी जरूरी नहीं है कि सभी बन्द किये जावें । होगा यह कि उसके बाद फिर से उनकी जांच की जायगी और अगर उनका इक्विपमेंट, स्टाफ और दूसरी चीजें ठीक होंगी तो मुमकिन है कि उनको आयन्दा भी रिकगनाइज किया जाय । अगर स्टाफ वगैरह उस स्टैन्डर्ड का न हुआ जैसा होना चाहिये तो मुमकिन है कि १३ में से कुछ को न रिकगनाइज किया जाय ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों को मान्यता देने के लिये सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ?

**श्री रऊफ जाफरी**—जो रुड़की यूनिवर्सिटी से ऐफीलियेशन चाहते हैं उनके लिये एक ऐडहाक बोर्ड बना दिया गया है जो जाकर स्कूलों को देखता है कि उनकी पढ़ाई का स्टैन्डर्ड, इक्विपमेंट और इमारत वगैरह कैसी हैं, फीस वगैरह रीजनेबिल हैं या नहीं, और जो इन बातों में पूरे उतरेंगे उनको यूनिवर्सिटी से ऐफीलियेशन दिया जायगा ।

**श्री गौरीशंकर राय**—क्या उद्योग मंत्री जी को मालूम है कि ऐसे भी विद्यालय इस प्रदेश में हैं जिनमें इक्विपमेंट और दूसरी सुविधायें न होने के कारण रिजल्ट्स १० और १५ फीसदी रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार इस सेशन की समाप्ति से पहले उनके इक्विपमेंट इत्यादि की जांच कर लेगी ?

**श्री रऊफ जाफरी**—यह कह दिया गया है कि अगले सेशन के शुरू होने से पहले यह तय हो जायगा कि कौन से स्कूल स्टैन्डर्ड के मुताबिक हैं।

*१५-१६—**श्री जगवीर सिंह**—[३१ दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न सं० ८०-८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## नानपारा, जिला बहराइच में बिजली देने का कार्य

*१७—**श्री बुद्धीलाल** (जिला बहराइच)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नानपारा कस्बे में सरकारी पावर हाउस, बहराइच से बत्ती व पंखे तथा पावर के लिये बिजली आयी है और केवल एक सड़क पर जो कि main road है उसी पर बिजली के खंभे लगे हैं।

**श्री रऊफ जाफरी**—जी हां। बिजली के खम्भे शहर के मुख्य सड़कों पर लगा दिये गये हैं। जो नगर के अनिवार्य कार्यों में गिने जाते हैं।

*१८—**श्री बुद्धीलाल**—यदि हां, तो क्या कोई योजना है कि नानपारा कस्बे की और दूसरी खास सड़कों पर streets and lanes पर बिजली के खंभे लगेंगे ताकि उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो सके एवं नानपारा बिजली विभाग घाटे में न चले ?

**श्री रऊफ जाफरी**—ऐसी कोई योजना नहीं है। इसकी वृद्धि उपभोक्ताओं की मांग पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० में दिये गये नियमों के अनुसार होगी।

*१९-२०—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[३० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

## देवरिया जिले की विष्णु प्रताप चीनी मिल खड्डा की चीनी की बिक्री

*२१—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले के श्री विष्णु प्रताप चीनी मिल खड्डा पिछले कितने दिनों से सरकार के नियंत्रण में चल रही है और इस अवधि में कितनी चीनी बनाई गई ?

**श्री रऊफ जाफरी**—विष्णु प्रताप चीनी मिल २० नवम्बर, १९५५ से अधिकृत नियन्ता (Authorised Controller) के नियंत्रण में चल रही है। इस अवधि में जो चीनी बनाई गई उसका विवरण निम्नलिखित है :

| सीजन | बनी हुई चीनी | |
|---|---|---|
| | बोरों में | मनों में |
| १९५५-५६ .. .. .. | ५४,२८९ | १,४९,२५४ मन २ सेर |
| १९५६-५७ .. .. .. | ५९,२४२ | १,६२,८२१ मन २८ सेर |

*२२—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकारी नियंत्रण में रहते हुये किस-किस भाव में कितनी चीनी बेची गई, बेचने की जिम्मेदारी किसकी थी और किस भाव में ?

श्री रऊफ जाफरी—अधिकृत नियन्ता (Authorised Controller) के नियंत्रण-काल में जो चीनी जिस जिस वर्ष में बेची गई उसका विवरण संलग्न *तालिका "अ" में दिया है। इस चीनी के विक्रय की जिम्मेदारी अधिकृत नियन्ता की थी। विक्रय बाजार के सर्वोत्तम भाव पर किया गया।

*२३—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह मिल जब नियंत्रण में आई थी उस समय कितना देय किन लोगों का इसके ऊपर था और अब वह रकम कितनी है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह मिल जब अधिकृत नियन्ता के नियंत्रण में आई थी उस समय इस मिल पर जिन लोगों को जितना देय था और अब कितना है उसका विवरण संलग्न तालिका "ब" में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि चीनी की कीमत में जो ३–३ रुपये की कमी बेशी है यानी बाजार भाव से ३–३ रुपया कम बेची गयी है और उसका कारण भीगा होना बताया है, क्या सरकार ने उसकी जांच अपनी तरफ से करायी है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने चीनी की बिक्री पर निगाह नहीं रक्खी जिसकी वजह से अधिकृत नियन्ता ने कम कीमत पर चीनी बेची है।

श्री रऊफ जाफरी—इसका जवाब दिया जा चुका है कि बेचने की जिम्मेदारी अधिकृत नियन्ता की। निगाह रखने और बाजार के भाव से बेचने वगैरह का कोई ताल्लुक प्रदेशीय सरकार का नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न को सूचना मान कर कम कीमत पर चीनी बेचने के मामले में इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे।

श्री रऊफ जाफरी—अगर माननीय सदस्य इन्क्वायरी कराना चाहते हैं तो वे लिख कर भेज दें, इन्क्वायरी करा ली जायगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या सरकार को मालूम है कि खड्डे की चीनी इसलिये कम कीमत पर बिकती है कि उसकी क्वालिटी खराब है ?

श्री रऊफ जाफरी—कम कीमत पर बिकने का सवाल तो बाद में पैदा होता है, वहां पैदावार ही कम हुई। इंतजाम खराब होने की वजह से जो अथराइज्ड कन्ट्रोलर्स मुकर्रर किये जाते रहे वे बदलते गये। बिकने के बारे में तो कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी बीच में अथराइज्ड कन्ट्रोलर्स कौन-कौन हुए और क्या सरकार ने अथराइज्ड कन्ट्रोलर मुकर्रर करने की सिफारिश किसी के लिए की ?

श्री रऊफ जाफरी—पहले तो केन्द्रीय सरकार की ओर से रानी रेवती देवी मुकर्रर की गयी थी, उनके लिये प्रदेशीय सरकार की तरफ से कोई सिफारिश नहीं की गयी थी उनका इतजाम बहुत खराब रहा और शिकायतें आयीं। उसके बाद एक साल के लिये श्री जैपुरिया को मुकर्रर किया गया। इसके बाद अब के० पी० जैन साहब अथराइज्ड कन्ट्रोलर हैं।

*छापी नहीं गई।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ रुपये मन कम भाव पर जो चीनी बिकी उसके लिये बताया गया कि उसमें म्वायश्चर था । यह म्वायश्चर ऊपर से पानी टपका, नीचे से म्वायश्चर आया या चीनी कहीं बाहर मैदान में रखी हुई थी ?

श्री रऊफ जाफरी---ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो देय रकम अभी बाकी है, वह कब तक पेमेंट करायेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---जो बाकी है, उसे जल्द से जल्द पेमेंट कराने की कोशिश की जायगी ।

चौधरी खजान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चीनी जो ३ रुपये मन कम बिकी, वह किस गेज की थी ?

श्री रऊफ जाफरी---जिस हिसाब से बिकी है वह तो फेहरिस्त में दी हुई है, आप देख लें ।

## झांसी जिले के व्यापारियों की सेल्सटैक्स से संबंधित विचाराधीन अपीलें

*२४---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के व्यापारियों की सेल्स टैक्स की ऐसी कितनी अपीलें हैं जो कि गत तीन तथा दो वर्षों से विचाराधीन हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---झांसी जिले के किसी भी व्योपारी की बिक्रीकर की कोई अपील गत तीन वर्षों से विचाराधीन नहीं ह, यद्यपि एसी ८३ अपीलें गत दो वर्षों से विचाराधीन हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त अपीलों के दो दो वर्ष तक विचाराधीन रहने के क्या कारण हैं और उनके फैसले अब कब तक हो जायेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---ज्यादा देर होने की वजह यह है कि पहले ४ रीजन थे, झांसी कानपुर रीजन में था । कानपुर में वैसे काम बहुत ज्यादा है इसलिये कुछ देर होती है । इसके अलावा वहां क जज कुछ दिन बीमार रहे, कुछ और बातें हुई, इस वजह से ये दिक्कतें हुई । अब बढ़ाकर ४ के बजाय ९ रीजन कर दिये गये हैं और जज भी ५ के बजाय ९ कर दिये गये हैं । इसलिये उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द इन अपीलों के फैसले हो जायेंगे ।

## उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों पर सेल्स टैक्स में विभिन्नता

*२५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अनाज गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, कपड़ा, बिसातखाने का सामान व चीनी पर इस राज्य में लिये जाने वाले सेल्स टैक्स के रेटों में और मध्य प्रदेश के रेटों में कितना-कितना अन्तर है ?

श्री रऊफ जाफरी---उत्तर प्रदेश में एक्जेम्पशन फीस दे देने पर खाद्यान्न पर कोई बिक्रीकर नहीं लिया जाता । इस एक्जेम्पशन फीस की दर विक्रयधन के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है लेकिन आमतौर से वह लगभग १·५ नये पैसे प्रति रुपया होती है । उत्तर प्रदेश में ज्वार बिक्रीकर से पूर्णतया मुक्त है । मध्य प्रदेश में खाद्यान्न बिक्रीकर से मुक्त हैं सिवाय जब वे मुहरबन्द डिब्बों में बेचे जाते हैं और उस दशा मे उनके बिक्रयधन पर ३ रुपया २ आना प्रतिशत कर लगता है ।

कपड़ा और शक्कर अब दोनों राज्यों में बिक्रीकर से मुक्त हैं । जहां तक बिसातखाने का सम्बन्ध है यह शब्द इतना व्यापक है और उसमें इतनी अधिक चीजें शामिल ह कि अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है । यदि माननीय सदस्य बिसातखाने की किसी खास चीज के बारे में सूचना चाहें तो वह सरकार द्वारा उन्हें दे दी जायगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन खाद्यान्नों पर एक्जेम्पशन फी ली जाती है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह जवाब में जो बताया है, जिन चीजों के बारे में पूछा गया है उन्हीं के बारे में बताया गया है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों पर कोई बिक्रीकर नहीं लिया जाता ह । इसलिये अपने प्रदेश में भी जहां अन्नसंकट है वहां भी खाद्यान्नों पर से बिक्रीकर हटाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--ऐसा कोई प्रश्न इस वक्त हमारे सामने नहीं है ।

*२६-२८--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--[३० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

## नये पैसों के प्रयोग से लखनऊ बिजली कम्पनी के रेट्स में अन्तर

*२९--श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि नये पैसों के आ जाने के कारण लखनऊ बिजली कम्पनी ने अपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--वास्तव में लखनऊ की बिजली सप्लाई कम्पनी ने बिजली के रेट्स नहीं बढ़ाये हैं परन्तु नये पैसों में परिवर्तन करने या उनको पूर्ण अंकों में परिवर्तित करने के कारण कुछ अंतर हो गया है जिसके फलस्वरूप कहीं रेट कुछ नाम मात्र को बढ़ गये हैं और कहीं कुछ घट गये हैं ।

*३०-श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--यदि हां, तो क्या कम्पनी ने इसके लिये सरकार से स्वीकृति लेली थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--रेट के नये पैसों में परिवर्तन करने के लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय तक मुझे आप के कार्यालय से कोई उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्नों का उत्तर पढ़े जाने से पहले आपने नहीं बताया । अब आप पूरक प्रश्न पूछ लें ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस एक्सचेंज के कारण बिजली कम्पनी को कितना लाभ या हानि हुई है ?

श्री अध्यक्ष--बिजली कम्पनी के लाभ हानि का प्रश्न इस में नहीं है । मंत्री जी के पास लाभ हानि की कोई सचना हो तो बता दें ।

श्री रऊफ जाफरी--है तो नहीं लेकिन यह मुझे मालूम है कि कुछ नाम मात्र का फर्क हुआ है, न कोई लाभ हुआ है न हानि हुई है, हिसाब-किताब बराबर ही रहा है, कहीं कुछ पैसे घट गये हैं कहीं बढ़ गये हैं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--मंत्री जी ने जैसा बताया कि कहीं लाभ हो गया है, कहीं हानि हुई है, तो जिन कन्ज्यूमर्स से अधिक पैसा वसूल हो गया है उनके सम्बन्ध में क्या सरकार कुछ बता सकती है ?

श्री रऊफ जाफरी---क्या ?

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---नये पैसों के कारण जो बिजली के रेट्स में घटा-बढ़ी हुई है उसकी वजह से एक्सचेंज में जो पैसे कम या ज्यादा लिये गये हैं उसका कन्जयूमर्स पर क्या असर पड़ा ?

श्री अध्यक्ष---असर तो उन्होंने नाममात्र का बता दिया ।

## अर्जुन बांध की डूब में आये खेतों का किसानों को मुआवजा

*३१---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अर्जुन बांध द्वारा पानी में डूब जाने वाले खेतों के किसानों से कितना लगान अब भी वसूल किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति---अर्जुन बांध के डूब में आये हुये क्षेत्र के लिये कोई भी लगान किसी भी कृषक से नहीं लिया जा रहा है ।

*३२---श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जायगा जिनके खेत अर्जुन बांध से डूब गये हैं ?

श्री राममूर्ति---उन सब कृषकों को, जिनके खेत अर्जुन बांध की डूब में आ गये हैं, मुआवजा दिया जा चुका है ।

*३३---श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक अर्जुन बांध द्वारा डूबे हुये खेतों का लगान वसूल करने व मुआवजा देने में देरी करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध वह कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---उन कृषकों को, जिनके खेत अर्जुन बांध की डूब में आ गये हैं, मुआवजा दिया जा चुका है और उनमें से किसी से भी लगान नहीं वसूल किया जा रहा है । अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि अर्जुन बांध बंधने के कितने दिनों बाद तक लगान लिया जाता रहा है ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, वैसे मैंनें अभी बताया कि लगान जिनका वसूल हो गया था उनको वापस कर दिया गया और अब किसी का कोई पैसा देना बाकी नहीं रहा ।

## गंडक प्रोजेक्ट योजना

*३४---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपा बतायेगी कि बड़ी गन्डक, नदी जो राज्य के पूर्वी हिस्से पर बहती है, के लिये वर्तमान नारायणी नहर के अतिरिक्त कोई नहर रिजर्वायर या उस नदी की विशाल जलराशि के उपयोग के निमित्त अन्य किसी प्रकार की योजना सरकार के विचाराधीन है । यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना का संक्षिप्त विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---जी हां, गंडक प्रोजेक्ट नामक एक योजना जिसकी लागत २,३३० लाख रुपया होगी, बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी है । इस योजना के अन्तर्गत नैपाल तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से १२ मील उत्तर की ओर एक बराज बनाया जायेगा, जिससे नहर निकाली जाने की योजना है ।

श्री अध्यक्ष—इन प्रश्नों (३४–३६) के बारे में बात यह है कि यह उत्तर देर में मिले, १०३५ पर यह उत्तर मिले। फिर उत्तरों की प्रति माननीय सदस्य के पास पहुंचायी गयी। जो कापी उनके पास भेजी गयी, बदकिस्मती से आखिरी कापी थी और वह इतनी डिम थी कि वह पढ़ नहीं पाये। तो दोबारा उनको साफ नकल दे दी गयी। लेकिन चूंकि वह उसको पढ़ नहीं पाये इसलिये चाहते हैं कि इसको मुल्तवी किया जाय। खैर, मैं मुल्तवी करने को तैयार हूं लेकिन उसमें दिक्कत यह हो जायगी, श्री मदन पांडेय जी सोच लें कि आजकल प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, तो उनके प्रश्न आखिर में पड़ जायगें या शायद उनका नम्बर न आ पाये। आज तो वे पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यदि दूसरे रोज कार्यक्रम में वे लाये जायेंगे तो पूरक प्रश्नों को पूछने का शायद मौका नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि वह मुल्तवी कराने की बात को प्रेस न करें। मैं मंत्री जी से इतना कह देना चाहता हूं कि अगर वह प्रश्नों के उत्तर एक रोज पहले भिजवा दिया करें तो बांटने में आसानी रहेगी। आज देर से आये। इसका खयाल भविष्य में रखें।

इस कार्य के पूर्ण होने पर नहरें बराज के उपर नारायणी नदी से निकाली जायेंगी। इन नहरों से उत्तर प्रदेश को ७,००० क्यूजेक्स तथा बिहार को १८,००० क्यूजेक्स पानी मिलेगा। इस योजना पर होने वाले व्यय को बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पानी मिलने के अनुपात से बांटने का विचार है।

यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है और अभी तक इसकी जांच हो रही है नैपाल सरकार द्वारा इस योजना की खोज करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है जिसके एक सदस्य इस प्रदेश के मुख्य अभियन्ता भी हैं।

इस योजना के लिये जाने और पूर्ण होने पर इस प्रदेश के गोरखपुर तथा देवरिया जिलों को लाभ पहुंचेगा। नहरों से क्रमशः ५ लाख एकड़ रबी तथा ढाई लाख एकड़ खरीफ की सिंचाई होना सम्भव होगा।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह योजना विचाराधीन है नारायणी से नहर निकालने की यह गोरखपुर जिले के किस स्थान पर प्रवेश करेगी और गोरखपुर तथा देवरिया जिले में किस भाग से गुजरेगी ?

श्री राममूर्ति—देवरिया में तो हाटा तहसील से जायगी और गोरखपुर में महाराजगंज तहसील से जायगी।

श्री मदन पांडेय—प्रश्न ३४ के उत्तर में बताया गया है कि इससे बिहार और यू० पी० दोनों को लाभ पहुंचेगा, तो क्या यह नहर नारायणी नदी को क्रास करके बिहार में जायगी ?

श्री राममूर्ति—छोटी गंडक को क्रास करके यह सारन जिले में जायगी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, यह तो बहुत बड़ी योजना है। इस पर काफी विचार करने की जरूरत है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं इसकी सफाई चाहूंगा क्योंकि यह बहुत अहम मसला है और बहुत दिनों से विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर विचार करने में कितना समय और लगेगा ?

श्री राममूर्ति—अभी इसका सर्वेक्षण हो रहा है। मेरे लिए ठीक समय बताना मुमकिन नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह आशा की जा सकती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह योजना शामिल हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—अगर यह मसला हमारी सरकार और बिहार सरकार के बीच में रहता तो हो सकता था। लेकिन चूंकि नैपाल सरकार से भी इसका सम्बन्ध है उनके यहां सर्वे में देरी हो सकती है ।

## गोरखपुर जिले में नारायणी नहर के उद्गम से बांध बनाने की योजना

*३५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की नारायणी नहर के उद्गम से उत्तर बड़ी गन्डक के किनारे उक्त नदी के पानी को नियन्त्रित करने के निमित्त बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध की प्रगति का विवरण क्या सरकार सदन के सामने रखेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, नारायणी नदी के हेड से ऊपर नैपाल राज्य की सीमा में एक ८ मील लम्बा बांध बनाने की योजना विचाराधीन है। इस योजना को पूर्ण करने के लिये २० लाख रु० का व्यय होगा और इससे १३,००० एकड़ भूमि नैपाल में तथा ८,००० एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश में बचायी जा सकेगी। यह योजना भी नैपाल सरकार के विचाराधीन है और अभी इसकी खोज हो रही है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेगें कि जो बांध बनाया जाने वाला है इसका कार्य कब तक हाथ में ले लिया जायगा ? नैपाल सरकार से क्या जवाब अब तक इसके सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ?

श्री राममूर्ति—जहां तक हमारी सरकार का ताल्लुक है हमारे यहां तो फ्लड बोर्ड से योजना पास भी हो गयी है। लेकिन नैपाल सरकार से कोई जवाब नहीं आया। कई मर्तबा कोशिश की और हमारे चीफ इंजीनियर भी नैपाल राज्य गये और जिस वक्त पिछली बार हमारे प्रेसीडेंट साहब नैपाल राज्य गये थे तो उनके साथ हमारे चीफ इंजीनियर भी गये थे लेकिन उनके यहां अभी कुछ छानबीन हो रही है और इस कारण जवाब नहीं आया ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नपाल सरकार और भारत सरकार की एक सम्मिलित कोई कमेटी हो जिससे जल्दी से जल्दी इस मसले पर किसी निश्चय पर पहुंचा जाय ?

श्री राममूर्ति—इसका प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इस नहर की स्कीम के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया जा रहा है और नैपाल सरकार से कितना मांगा जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया पानी के लिहाज से रुपया बांटा जायगा। १८ हजार क्यूजेक्स बिहार को, ७ हजार क्यूजेक्स हमारे यहां मिलेगा, उसी के अनुसार से रुपया बांटा जायगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस गंडक नदी के नहर का जो मुहाना बनाया गया है उसके पानी का स्तर इतना नीचा है कि उससे उतनी भूमि नहीं सींची जा सकती जितनी सिंचाई कि थोड़ा दूर और उत्तर नैपाल राज्य में इसका मुहाना बनाया गया होता, तब होती। इसलिये कि जब उस पानी के नियत्रंण के लिये बांध बनाने की योजना प्रस्तुत की जा रही है तो इसी सिलसिले .....

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं विचाराधीन है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—नहीं, पूछने का मतलब है अगर इस नहर का मुहाना और उत्तर में बनाया गया होता तो सिंचाई हम ज्यादा कर सकते थे, उतनी सिंचाई इस पानी के मुहाने से नहीं कर सकते। सरकार का नुकसान हुआ है और उसी पानी का नियंत्रण करने के लिये.....

श्री अध्यक्ष—कोई नहर बन गई है क्या? मंत्री जी को अगर मालूम हो तो बता दें।

श्री राममूर्ति—जी हां, नारायणी नदी से एक नहर निकली है जो नारायणी कैनाल कहलाती है।

श्री अध्यक्ष—तो आप माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी के प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री राममूर्ति—यह तो राय का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नैपाल से परमिशन लेने के सिलसिले में जो बातचीत हुई, उसमें नेपाल सरकार कौन सी मुख्य आपत्ति पेश करती है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जबाब तो दे दिया कि नैपाल सरकार उत्तर देती ही नहीं।

श्री उग्रसेन—उत्तर आया है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—(सिंचाई मंत्री से) कोई उत्तर आया है?

श्री राममूर्ति—मैं कुछ सवाल समझा नहीं।

श्री उग्रसेन—८ मील वाले बांध के सिलसिले में जो नैपाल सरकार से बातचीत हो रही है तो वह कौन सी मुख्य आपत्ति पेश करते हैं?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि उनके यहां छानबीन हो रही है।

## गोरखपुर जिले में नवीन नहरों के निर्माण के संबंध में जानकारी

*३६—श्री मदन पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन नदियों, तालों तथा झीलों से छोटी या बड़ी नहरें निकालने की योजना विचाराधीन है?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन नहीं है।

## गोंडा जिले में बिजली देने की योजना

*३७—श्री बल्देव सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में जिन छः नगरों को बिजली मिलना स्वीकार हुआ है उन्हें कब तक बिजली मिल जायेगी?

श्री रऊफ जाफरी--नवाबगंज का विद्युतिकरण मार्च १९५७ में हो चुका है तथा बाकी ४ नगरों का मार्च १९५८ तक करने का प्रयास किया जा रहा है। तरबगंज को बिजली देना अब योजना में नहीं है।

श्री बलदेव सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन ४ नगरों को सन् ५८ तक बिजली देनी है यह किस पावर हाउस से बिजली देनी है और इन नगरों के क्या नाम हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--बहराइच का जो पावर हाउस होगा, उससे बिजली दी जायगी और उनके नाम हैं करनैलगंज, उतरौला, तुलसीपुर और मनकापुर।

श्री बलदेव सिंह--मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है कि तरबगंज को अब बिजली देने का सवाल नहीं है, पहले था लेकिन अब खत्म कर दिया गया है तो इसका क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी--पहले जिस योजना के मातहत इन नगरों को बिजली दी जा रही थी उस में यह सोचा गया था कि तरबगंज मिलाकर ६ नगर लिये जा सकेंगे लेकिन तरबगंज को ले जाने में इतना अधिक खर्चा पड़ता था कि उसको निकाल दिया गया है।

श्री बलदेव सिंह--क्या यह सही है कि नवाबगंज नगर को नवाबगंज शूगर फैक्टरी से बिजली दी जाती है और बकिया ४ नगरों को भी फैक्टरी सस्ते रेट पर बिजली देने को तैयार है लेकिन सरकार नवाबगंज शूगर फैक्टरी से सस्ती बिजली न ले कर बहराइच से ही लाने पर आमादा है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह सही है कि नवाबगंज को वहां की शूगर फैक्टरी से बिजली मिल रही है लेकिन बकिया जो ४ नगर हैं उनके लिए योजना यही है कि बाहर से ही उनको बिजली सप्लाई की जाय।

श्री बलदेव सिंह--जब सस्ती बिजली मिल रही है तो क्यों नहीं उपयोग में लायी गयी, क्या सरकार इसका कारण बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--सिर्फ यह सवाल नहीं है कि बिजली नवाबगंज फैक्टरी से जा रही है, यह भी सवाल होता है कि वहां लाइनें निकालनी होती हैं, सब-स्टेशन बनाना होता है, यह सब काम होता है। इस लिए वह बात नहीं हो सकती जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नवाबगंज से लेकर दे दी जाय।

## गोंडा जिले में नलकूपों तथा नहरों का निर्माण

*३८--श्री बलदेव सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला के अन्दर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूब वेल तथा सिंचाई के साधन बने और उनसे कितनी भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले में ९५ नलकूप तथा गिर्गिटी, खैरमान, मझगवां व बघेलखंड बंधों से नहरें निकाली गईं जिन सब से उक्त जिले में लगभग २०,४०४ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

श्री बलदेव सिंह--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ६५ नलकूपों में कितने चल रहे हैं और कितने अभी नहीं चल रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--मैंने ६५ ट्यूबवेल कहे थे। शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं। बिजली की कमी है इसलिए सब रोस्टर बेसिस पर चलते हैं।

श्री बलदेव सिंह--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये जो ४ बंधे बनाये गये हैं गिरगिटही, खैरमांव, बघेलखंड और मझगांव, इन से जो नहरें निकाली गयी हैं उन में पानी सूख गया है और सिंचाई के लिए पानी है ही नहीं ?

श्री राममूर्ति--सिंचाई हो गयी होगी, तो पानी अपने आप खत्म हो गया होगा।

श्री बलदेव सिंह--क्या माननीय मन्त्री मेरी प्रार्थना को सूचना मान कर जांच कराने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल के लिए इन बांधों में पानी नहीं बचा और ये बंधे बेकार पड़े हुए हैं ?

श्री राममूर्ति--माननीय सदस्य का इसरार है तो अगर मुझे लिख कर देंगें तो मैं मालूमात करा लूंगा।

## इंडियन शुगर टेक्नालाजी योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में प्राप्त भूमि

*३९--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामबैरी, अकबरपुर एवं नारामऊ, जिला कानपुर, के निवासियों के ६ मई, १९५७ के उस प्रार्थना-पत्र पर क्या विचार किया जा रहा है जिस में उन्होंने उपर्युक्त गांवों की ५२८ एकड़ भूमि इन्डियन शुगर टेक्नालाजी योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव पेश किये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--ग्राम निवासियों का ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ नहीं मालूम होता।

*४०--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या उद्योग मन्त्री का स्थान के स्वयं निरीक्षण का कोई परिणाम निकला ?

श्री रऊफ जाफरी--उद्योग मन्त्री ने स्थान का स्वयं निरीक्षण किया और यह तय पाया कि इन्डियन शुगर टेक्नालोजी संस्था बहुत उपयोगी है जिसका राज्य में रहना बहुत वांछनीय है। इस संस्था की इमारतें बनाने के लिए यह भूमि पूर्णरूप से उपयुक्त पायी गयी और इसके प्राप्त किये जाने का आदेश दिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६ मई, १९५७ के कार्य-स्थगन प्रस्ताव के साथ-साथ एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, उस पर कोई विचार किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी--जवाब में बतला दिया गया है कि कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र आया हुआ मालूम नहीं होता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा प्रश्न यह है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के साथ एक प्रार्थना-पत्र संलग्न था, उस पर सरकार ने कुछ विचार किया है ?

श्री अध्यक्ष--कौन सा कार्य-स्थगन प्रस्ताव ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव इन ग्रामों की जमीन लिये जाने के बारे में था। जवाब में कहा गया है कि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया। मेरा प्रश्न यह है कि उस के साथ ही एक प्रार्थना-पत्र संलग्न था तो उस पर क्या विचार हुआ।

श्री अध्यक्ष---कार्यस्थगन प्रस्ताव असेम्बली में आता है और उसके साथ जो प्रार्थना-पत्र होता है वह तो यहीं रह जाता है, वह गवर्नमेंट के पास नहीं गया होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बैरी अकबरपुर ग्राम से मिले हुए अन्य ग्रामों की भी जमीन ले ली जाय जिससे एक ही गांव पर बोझ न पड़े ?

श्री रऊफ जाफरी---जहां तक उन काश्तकारों का ताल्लुक है, यह जरूर है कि ४०० एकड़ जमीन ली गयी मगर वहां जो फैक्टरी कायम होगी और शुगर टेक्नालाजी इन्स्टीटयूट कायम होगा उससे यहां के लोगों को काम मिल जायगा। दूसरी जमीन पर सब को बसाने के लिए कोई प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार को मालूम है कि बैरी अकबरपुर और नारामऊ की जमीनें सरकार द्वारा एक्वायर की जा चुकी हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---हो सकता है की गयी हों; बहरहाल, यह जमीनें ऐसी जगह पर हैं कि उन कामों के लिए उपयोगी हैं।

## इटावा जिले में बुनकरों की सहकारी समितियां

*४१---श्री सुखलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में बुनकरों की कुल कितनी सहयोग समितियां हैं और हर एक में कुल कितने-कितने मेम्बर हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इटावा जिले में बुनकरों की कुल ४० सहकारी समितियां हैं। मेम्बरों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है।

*४२---श्री सुखलाल---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त समितियों में से कितनी और कौन-कौन सी समितियां सेन्ट्रल वीवर्स स्टोर, इटावा, से सम्बन्धित हैं और कितनी और कौन-कौन सी समितियां उससे सम्बन्धित नहीं हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उपरोक्त समितियों में से ३३ समितियां सेन्ट्रल वीवर्स स्टोर लिमिटेड, इटावा, से सम्बन्धित हैं और शेष ६ उससे सम्बन्धित नहीं हैं। इनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६२-५६४ पर)

## इटावा जिले में औरैया कस्बे को बिजली मिलने में विलम्ब

*४३---श्री सुखलाल---क्या यह सच है कि जिला इटावा तहसील औरैया में बिजली के खम्बे लगे हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि वहां अभी तक बिजली नहीं दी गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां। औरैया वाटर एण्ड एलेक्ट्रिक सप्लाई कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, औरैया, जिनके पास वहां के विद्युतकरण का लाइसेंस है अभी तक विद्युत गृह चलाने में समर्थ नहीं हैं।

## गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में नलकूपों पर व्यय

*४४---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में सन् १९५१ से अब तक कितने नलकूप लगाये गये हैं, फी नलकूप कितना रुपया लगा और फी नलकूप से कितनी-कितनी एकड़ जमीन सींची जा रही है ?

---

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति---मुहम्मदाबाद तहसील में सन् १९५१ से अब तक ३७ नलकूप लगाये गये हैं तथा प्रत्येक नलकूप पर औसतन लगभग ३८,००० रु० व्यय हुआ है और औसतन ४५ एकड़ जमीन सींची जा रही है। आशा है कि सिंचाई का अभी और विकास होगा।

## बाढ़ विभाग गाजीपुर द्वारा तालाब भरने का कथित कार्य

*४५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि बाढ़ विभाग गाजीपुर द्वारा १९५१ से लेकर १९५७ तक छः सालों में कितने तालाब भरे जा चुके हैं, कितने भरे जा रहे हैं और फी तालाब कितना खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति---यद्यपि गाजीपुर में बाढ़ का कार्य अक्तूबर, १९५४ से आरम्भ किया गया, तालाब भरने का कोई कार्य नहीं किया गया है, न कोई व्यय हुआ।

## देवबन्द शुगर मिल पर किसानों का बकाया

*४६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवबन्द शुगर मिल पर गन्ने के किसानों का सन् १९५७ का कितना रुपया बाकी है? क्या बहुत से किसानों का रुपया कई महीने से बकाया है ? अगर हां, तो सरकार ने किसानों को रुपया दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय देवबन्द शुगर मिल पर किसानों का १९५६-५७ सीजन का ५.५० लाख रुपया बाकी है। यह रुपया लगभग पिछले दो मास से शेष है। इस शेषधन की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ के अन्तर्गत उक्त मिल के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट (Recovery Certificate) गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किये जा चुके हैं तथा मिल का चीनी का स्टाक हस्तगत किया जा चुका है।

## लखनऊ में बलिंगटन तथा सेंट्रल होटलों में विधायक निवास का किराया

*४७---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिंगटन होटल और सेन्ट्रल होटल में विधायकों के लिए कितने कमरे लिये गये हैं और प्रति कमरे का प्रतिदिन का क्या किराया सरकार को देना पड़ता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बलिंगटन तथा सेन्ट्रल होटल में कुल २० कमरे विधायकों के लिए किराये पर लिये गये हैं। बलिंगटन होटल के प्रति छोटे तथा बड़े कमरे का किराया प्रतिमाह १३० रु० तथा २१० रु० और सेन्ट्रल होटल के प्रति छोटे व बड़े कमरे का १०० रु० तथा १८० रु० क्रमशः देना पड़ता है

*४८---श्री प्रभुदयाल---क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के बड़े कमरों का किराया १।) प्रतिदिन किस आधार पर रखा गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विधायकों से विधायक निवास में उनके लिए जितने स्थान का प्रबन्ध किया गया है उसका कोई किराया नहीं लिया जाता। एक बड़ा कमरा दो सदस्यों के निवास के लिए है। एक सदस्य के उसमें अकेले रहने से उनको १ रु० २५ नया पैसा की धनराशि प्रतिदिन की दर से देनी होती है। यह निर्णय तदर्थ आधार (ad hoc basis) पर किया गया है।

## सरकारी अधिकारियों से सरकारी मकानों का किराया

*४९—श्री प्रभुदयाल—क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अधिकारियों के सरकारी मकानों में रहने पर उनके वेतन में से कितने प्रतिशत कटौती की जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकारी अधिकारी जो कि सरकारी मकान में रहते हैं उनसे किराये में प्रमाणित किराया अथवा मासिक उपलब्धियों (monthly emoluments) का १० प्रतिशत दोनों में जो कम हो लिया जाता है।

## बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में गांवों को ऊंचा करने का काम

*५०—श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसील खलीलाबाद के अन्तर्गत बाढ़ विभाग द्वारा १९५४ से अब तक कितने और कौन-कौन गांव ऊंचे किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—तहसील खलीलाबाद में नवम्बर, १९५४ से अब तक कुल २०८ ग्रामों का स्तर इस विभाग द्वारा ऊंचा किया जा चुका है। इन ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५६५–५६७ पर)

*५१—श्रीमती गेंदा देवी—क्या सरकार बस्ती जिले में तहसील खलीलाबाद के अन्तर्गत सैलाबी ग्राम रकसा, ददरा, डड़िया और बिसौआ इत्यादि जिनकी हालत इस क्षेत्र के ऊंचे हुए ग्रामों से खराब है, को भी सन् १९५७–५८ में ऊंचा करायेगी ?

श्री राममूर्ति—धनाभाव के कारण इस समय ऐसा कोई योजना नहीं है।

## आजमगढ़ जिले में डोगनी नाले के रेगुलेटर को बन्द रखने की प्रार्थना

*५२—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि ताल सलौना अजमतगढ़ (आजमगढ़) के पूर्व में स्थित डोगनी नाले के रेगुलेटर को १५ जून, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक क्यों चालू रखा गया है ?

श्री राममूर्ति—उक्त नाले के रेगुलेटर को सलोना ताल का पानी निकालने के लिए खुला रखा गया था।

*५३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार को मालूम है कि वहां की जनता ने जिलाधीश आजमगढ़ व ट्यूबवेल डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इञ्जीनियर को अनेकों दरख्वास्तें उक्त रेगुलेटर को उक्त अवधि में बन्द रखने के सम्बन्ध में दी थीं ?

श्री राममूर्ति—उक्त रेगुलेटर को खुला रखने व बन्द रखने दोनों ही के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। चूंकि रेगुलेटर का कार्य सलोना ताल के पानी को छोटी सरजू नदी में ले जाना तथा छोटी सरजू में बाढ़ के समय उस के पानी को सलोना ताल में आने से रोकना है अतः वर्षा काल में वह खुला रखा जाता है और उसे उसी समय बन्द किया जाता है जब छोटी सारजूक पानी सलोना ताल में जाने लगता है।

*५४—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[३० दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

## नहरों की दाहिनी पटरियों पर जनता की बैलगाड़ियों को चलाने की मनाही

*५५—श्री भगवती सिंह विशारद—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों की दाहिनी पटरी जिस पर विभागीय बैलगाड़ियां चलती हैं उस पर ग्राम जनता की बैलगाड़ियां चलने की आज्ञा क्यों नहीं प्राप्त है ?

श्री राममूर्ति—नहर की दायीं पटरी ग्राम जनता को यातायात के लिए निम्नलिखित कारणों से नहीं खुली है :—

(१) साधारणतया नहर की पटरी की चौड़ाई दोनों ओर की यातायात के लिए पर्याप्त नहीं होती है अतः जनता के यातायात के लिए उक्त पटरी खोलने में दुर्घटनाएं और अन्य कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना है।

(२) नहर की पटरियां कच्ची होती हैं और यातायात के लिए उनका रखरखाव नहीं होता है। कभी-कभी सीमित संख्या में बैलगाड़ियां तथा विभागीय भारवाहन चलने से पटरियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचती है।

## कानपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने के संबंध में जानकारी

*५६—श्री भगवती सिंह विशारद—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कानपुर में टेक्निकल युनिवर्सिटी (Technical University) स्थापित करने का इरादा रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कानपुर में टेक्निकल युनिवर्सिटी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत गोंडा जिले में बिजली देने की योजना

*५७—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी दूर करने के लिए ३६ नगरों में बिजली दी जाने वाली थी, वह दी गयी या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बिजली दिये जाने का काम जारी है।

*५८—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन-किन नगरों को बिजली दी जाने वाली थी और उनमें से किन-किन नगरों को बिजली मिली है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गोंडा जिले में निम्नलिखित नगरों को बिजली दी जाने वाली थी :

(१) नवाबगंज,
(२) उत्तरौला,
(३) तुलसीपुर,
(४) मनिकापुर,
(५) करनैल गंज।

इन नगरों में से सिर्फ नवाबगंज को बिजली मिल चुकी है।

## बांदा जिले में सिंचाई के नवीन साधनों के संबंध में जानकारी

*५९—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपाकर बतायेंगे कि बांदा जिले के ओहन बांध से इस वर्ष कहां तक कितना रकबा सींचा जायगा और उससे कितनी पैदावार बढ़ जायगी ?

श्री राममूर्ति—इस वर्ष ओहन बांध से कोई सिंचाई नहीं की जायगी।

*६०—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार माड़ों नाला बांध पर पैयस्वनी नदी में जाने वाले पानी को भी ओहन में गिराने का विचार कर रही है और कब तक यह काम शुरू होगा ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*६१—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५७-५८ में करवी-मऊ में सिंचाई के लिये कौन-कौन छोटे तथा बड़े बांधों में काम शुरू करने का विचार है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना नहीं है ।

## आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में नलकूप योजना

*६२—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के उत्तरी भाग के उस क्षेत्र में जो नहर क्षेत्र से बाहर पड़ते हैं नलकूप लगाने की कोई योजना है ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में १५ नलकूप लगाये जा चुके हैं तथा ४ नलकूप और बनाये जाने की योजना है।

## फैजाबाद जिले के अकबरपुर तथा गोसाईगंज कस्बों के लिये विद्युत् योजना

*६३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद के जलालपुर, अकबरपुर, टांडा, गोसाईगंज तथा भदरसा कस्बों में सरकारी योजना के अनुसार कब तक बिजली लग जावेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कोशिश यह की जा रही है कि अकबरपुर तथा गोसाईगंज को १९५८ में बिजली मिल जाय। बाकी कस्बों के लिये इस समय कोई प्रबन्ध नहीं है ।

## सरपंच कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, जलालपुर, का इक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहर विभाग फैजाबाद को कथित-पत्र

*६४—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ८-६-५६ को सरपंच कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, जलालपुर ने इक्वीक्यूटिव इंजीनियर, नहर विभाग, फैजाबाद के नाम जो पत्र ७ ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में रखने के लिये लिखा था उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—इक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई विभाग, फैजाबाद, के कार्यालय के डायरी रजिस्टर एवं अन्य कागजात देखने से प्रतीत होता है कि सरपंच, कोआपरेटिव यूनियन जलालपुर के पास से एसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

## शाहजहांपुर जिले में गन्ना पेरने के लिये कोल्हुओं के प्रबन्ध के लिये प्रार्थना

*६५--श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला शाहजहांपुर में गत वर्ष किसानों का गन्ना मिलों में खपत न होने के कारण खेतों में सूख गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वर्ष में उसको पेरने के लिये समुचित ढंग से पर्याप्त संख्या में कोल्हुओं की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्ष जिला शाहजहांपुर में उपलब्ध सभी गन्ना मिलों द्वारा पेर दिया गया था ।

## आजमगढ़ जिले में नलकूपों से पर्याप्त जल न मिलने पर गन्ने की फसल को हानि

*६६--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार को इस बात का पता है कि आजमगढ़ जिले में इस वर्ष नलकूपों से पानी न मिलने के कारण किसानों के गन्ने की फसल को बहुत नुक्सान पहुंचा है ? यदि हां, तो नलकूपों से ठीकतौर से पानी न मिलने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, खरीफ १३६५ फसली के प्रारम्भ में पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने के कारण नलकूपों की बिजली सप्लाई जून के पहले सप्ताह तक रोस्टर ( Roster ) की गई थी उसके बाद सब नलकूप पूरी मात्रा में चलाये गये । परन्तु इससे गन्ने को कोई विशेष हानि नहीं पहुंची ।

## जालौन तहसील में बेतवा नहर की हिम्मतपुर माइनर में ली गयी जमीन का मुआवजा

*६७--राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने जालौन तहसील (जालौन) के उन किसानों के खेतों की जमीनों का मुआविजा अदा कर दिया है जो उसने वहां नहर बेतवा में से माइनर हिम्मतपुर बनाने के लिये ली थी? यदि नहीं, तो यह मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, यह मामला सन् १९५५ से विचाराधीन है ।

*६८--राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार को पता है कि किसानों से उक्त जमीनों का लगान बराबर करीब चार साल से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे मुआविजे के साथ वापस करेगी ?

श्री राममूर्ति--जी हां, लगान भूमि के मुआविजे के साथ वापस कर दिया जायेगा । जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि भूमि का लगान किसी विभाग द्वारा भूमि के हस्तगत होते ही स्थगित कर दिया जाये ।

*६९--राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हिम्मतपुर माइनर नहर बेतवा शाख कुठोद कब से पानी देने लगेगी ?

श्री राममूर्ति--हिम्मतपुर माइनर जून, १९५७ से पानी दे रही है और १५-१०-५७ से इस रबी में भी सिंचाई के लिये चल रही है ।

## प्रतापगढ़ शहर को बिजली देने का आयोजन

*७०--श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ शहर में बिजली कब तक दी जा सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्रतापगढ़ पावर हाउस में एक इंजिन लग चुका है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही वहां आंशिक (partial) बिजली की सप्लाई आरम्भ हो जायेगी ।

*७१--श्री हरकेश बहादुर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रतापगढ़ में किसी बड़े उद्योग के खोले जाने की व्यवस्था निकट भविष्य में करने का उसका विचार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं ।

## प्रतापगढ़ जिले की दक्षिणी पट्टी में तालाबों से पानी के निकास की योजना

*७२--श्री हरकेश बहादुर--क्या सरकार कृपया बतलावेगी कि कोई स्कीम प्रतापगढ़ जिले की दक्षिणी पट्टी के बड़े-बड़े तालाबों से पानी निकालने केलिये बनायी गई है या बनाई जा रही है ?

श्री राममूर्ति--इस सम्बन्ध में एक योजना सरकार के विचाराधीन है ।

## सरकारी कर्मचारियों के यात्रिक भत्ते में बढ़ती

*७३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिये टी० ए० आठ आना प्रति मील के बजाय बारह आना प्रति मील किया जा रहा हैं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग में और क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--दिनांक १ अक्तूबर, १९५७ से कार द्वारा यात्रा करने पर नीचे लिखे माइलज रेट्स यात्रा के भत्ते (T.A.) के लिये निर्धारित किये गये हैं जो कि प्रत्येक विभाग के अधिकारियों के लिय हैं ---

बड़ी कारें--१२ आने (७५ नये पैसे) प्रति मील ।

मध्यम कारें--१० आने (६२ नये पैसे) प्रति मील ।

छोटी कारें--८ आने (५० नये पैसे) प्रति मील ।

एक ही दिन में १०० मील की यात्रा के बाद माइलेज रेट १ आना प्रति मील तथा उसी दिन और १०० मील यात्रा कर लेने के बाद १ आना प्रति मील और कम हो जायेगा ।

माइलेज रेट्स इसलिये बढ़ाये गये हैं, क्योंकि कारों का मूल्य तथा spare parts, lubricants और पैट्रोल का मूल्य तथा कारों के रखरखाव का मूल्य अपेक्षाकृत पहले के बढ़ गया है ।

---

## म्योर मिल्स, कानपुर में लाकआउट के सिलसिले में श्री गंगासहाय चौबे की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--यह कामरोको प्रस्ताव श्री रामायण राय जी ने भेजा है कि--

"यह कि विधान सभा की बैठक एक अत्यन्त आवश्यक निश्चित तथा महत्वपूर्ण जनहित के प्रश्न अर्थात् कानपुर नगर स्थित म्योर मिल्स में लाक आउट के कारण तीन हजार के लगभग मजदूरों की बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार की असमर्थता व मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी मुख्यतः श्री गंगा सहाय चौबे की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए स्थगित की जाती है" ।

इस विषय में कई मिलों के बारे में पहले प्रश्न आया था और श्रम मन्त्री जी से कहा गया था कि वह अपना वक्तव्य इस विषय में दें, क्योंकि उन्होंने सूचना दी थी कि म्योर मिल्स के सिलसिले में कोई बातचीत चल रही है। श्रम मन्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। मुख्य मन्त्री जी बतलायें कि वक्तव्य कब दिया जा सकता है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, आज इत्तफाक से श्रम मन्त्री जी नहीं हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि कल मंगल है और मैं आशा करता हूं कि वह वक्तव्य दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह विषय वक्तव्य के लिए पहले निश्चित हो चुका था। इसलिए इसके ऊपर बहस की गुंजाइश नहीं रहती है। मैं इसको एक दफा नामंजूर कर चुका हूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, इसमें एक विशेष बात श्री गंगा-सहाय चौबे की गिरफ्तारी की और थी . . .

श्री अध्यक्ष---वह तो होती ही रहती है। दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय का है। यह भी पूर्वोक्त विषय के सिलसिले में है इसलिए इसकी भी इजाजत मैं नहीं देता हूं।

## श्री विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, में बलात हरिजन प्रवेश के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव कुंवर श्रीपालसिंह जी (जिला जौनपुर) का है :---

> "श्री काशी विश्वनाथ जी के मन्दिर में बलात् हरिजन प्रवेश के कारण प्रान्त के सवर्ण हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को अत्यन्त गहरी ठेस लगी है। अतः इससे उत्पन्न भीषण विक्षुब्ध परिस्थिति पर विचार करने के निमित्त यह सदन अपना आज का कार्य-स्थगित करता है।"

मैं समझता हूं कि यह कोई नया मसला नहीं है। राजनारायणजी ने इसे दूसरी तरह से उठाया था और आप दूसरी तरह से उठा रहे हैं। मैंने इसलिए पढ़ कर सुना दिया क्योंकि सदन में एक राय इस प्रकार की भी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, यह राय संविधान के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष---वह कुछ भी हो। मतलब यह है कि इस सदन में ऐसी राय रखने वाले लोग भी हैं। यह आदरणीय सदन को विदित हो गया है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, संविधान के विरुद्ध है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष---अभी मैं बात कह रहा हूं। अगर उन्होंने गलती की तो आप उसको दोहराइये मत। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह विषय ऐसा है जिसके ऊपर कई दफा चर्चा यहां हो चुकी है और काम रोको प्रस्ताव भी आये हैं। इसके ऊपर कानून भी बन चुका है और सब बातें हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इन सब बातों को फिर से उठाना मैं अनावश्यक समझता हूं। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

## पर्वतीय जिलों में सरकार द्वारा जनता के वनों पर अधिकार किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह जी का है—

"यह सदन प्रदेश के पर्वतीय जिलों के वर्तमान जनता के वनों को सरकार द्वारा छीने जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह भी कोई रीसेंट आकरेंस की जीच नहीं है और बहुत अनिश्चित सी बात है। इस कारण मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—अभी दो दिन पहले लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई कानून बना है उस वक्त अगर आप चुप बैठे रहे और कोई चर्चा नहीं की गयी तो उस अधिनियम के अन्तगर्त ऐसी घटनाएं तो रोज-रोज होती रहेंगी।

श्री प्रताप सिंह—माननीय सदन में तो ऐसा कोई कानून बना नहीं।

श्री अध्यक्ष—आपने तो एक आम बात बतायी है।

श्री प्रताप सिंह—श्रीमन्, वह तो जितने भी जनता के फारेस्ट्स थे वे सारे के सारे इम्पीरियल फारेस्ट्स बना दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—आपका जो प्रस्ताव है मैं उसी को तो पढ़ूंगा। प्रस्ताव में इसका उल्लेख नहीं है।

## जेल में डाक्टर लोहिया से मिलने न दिये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायणजी (जिला वाराणसी) का है डाक्टर लोहिया के सिलसिले में कि उनको मिलने की इजाजत वगैरह नहीं दी जाती है। इसके बारे में कुछ थोड़े से प्रश्न पूछे गये थे, उसके बाद उन पर शनिवार की शाम को आध घंटा बहस के लिये निश्चित किया गया था। उस बहस में ये सारी प्रस्ताव की बातें आ जातीं। यदि उस दिन बहस होती सर्व-सम्मति से सदन उस दिन उठ गया। लेकिन शनिवार के रोज विरोधी दल के नेता ने यह प्रस्ताव रखा कि नम्बर ३ तक जो विषय कार्यक्रम में मौजूद है उसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाय और आज सदन उठ जाय। इस कारण उस दिन राजनारायण जी मौजूद थे अगर वे उस वक्त मुझसे कहते कि आध घंटे उक्त विषय पर बहस हो जानी चाहिए तो मैं समझता हूं कि सदन स्वीकार कर लेता, लेकिन शायद उनके ध्यान में यह बात उस रोज नहीं आयी फिर भी मुझे यह मालूम है कि समाज कल्याण मन्त्री शायद मंगलवार को लखनऊ आयेंगे इसलिए मैंने मंगलवार को उक्त विषय पर आध घंटा विवाद रख दिया है यानी इस पर कल शाम को बहस होगी। इसलिए इस विषय को कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में लाने की मैं इजाजत नहीं देता हूं। इस विषय पर कल तैयार होकर राजनारायणजी भी आ जायेंगे और समाज कल्याण मन्त्री जी भी आ जायेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक दिन का जो समय और बढ़ जायगा इसकी जिम्मेदारी किस पर जायगी? कम से कम आप हमारे मनोभाव से परिचित हैं और सरकार की ओर से मुसीबत बरपा की जा रही है वह भी आप की जानकारी में है। आप यह बतलायें कि जब हम अनुनय, विनय और प्रार्थना करके परेशान हो गये तो अब हम क्या करें। हमको कल यह जानकारी हुई कि डाक्टर लोहिया रात को सो भी नहीं पाते हैं . . .

श्री अध्यक्ष—कल शाम को इस विषय पर बहस हो जायगी और इसके ऊपर अभी मैं कोई जवाब दे नहीं सकता हूं।

## कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों पर विवादार्थ समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष--मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य-परामर्श दात्री समिति ने अपनी आज, दिनांक १६ दिसम्बर, की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विवाद तथा पारण के लिए निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :--

| | |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ .. | १६-१२-५७ को ३ बजे शाम तक। |
| लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ | १६-१२-५७ का शेष समय और १७-१२-५७ को दिन भर। |
| इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७। .. | २०-१२-५७ को ३ बजे तक। |
| उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक १९५७ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश .. विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है। | २०-१२-५७ को ३ बजे से ४ बजे तक। |
| उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७। .. | २०-१२-५७ को ४ बजे से ५ बजे तक। तथा २४-१२-५७ को ३ बजे तक। |
| इण्टरमीडियेट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७। .. | २४-१२-५७ को ३ बजे से प्रारम्भ होगा। |

यह अन्तिम बिल यदि सदन आवश्यक समझेगा तो २६-१२-५७ को बैठ कर सेलेक्ट कमेटी में भेज देगा और नहीं तो यह २४ दिसम्बर को दो घंटे चलेगा और फिर उसे यूं ही छोड़ कर कार्य समाप्त हो जायगा। इस पर सदन को निर्णय लेना है कि क्या किया जाय क्योंकि समिति ने यह तय नहीं किया है कि २६ तारीख को बैठना है या नहीं। यह सदन की मर्जी पर रहेगा। लेकिन वह २४ तारीख को ३ बजे लिया जायगा और ५ बजे तक चलेगा।

## कार्य-परामर्श दात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये निर्धारित समय के संबंध में प्रस्ताव

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा समय निर्धारण से सहमत है :

१---उत्तर प्रदेश कण्ट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७।
२---लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७।
३---इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७।
४---उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।
५---उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७।
६---इन्टरमीडियेट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---यह, श्रीमन्, इतना लम्बा प्रस्ताव है। इसकी कापी दिला दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—यह तो बिलों के नाम हैं जो आप के सामने हैं।

श्री राजनारायण—मुझे इसका विरोध करना है।

श्री अध्यक्ष—इस प्रस्ताव का विरोध नहीं होता। आप समिति के निश्चय को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।

श्री राजनारायण—जी हां, मैं वही करना चाहता हूं।

श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, मैं चाहता हूं कि इस पर बिजनेस कमेटी पुनर्विचार करे। वह क्यों इस पर फिर विचार करे, इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। प्रस्ताव में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टिन्युएंस आफ पावर्स) संशोधन विधेयक पर इतना समय दिया जाय। इसमें समय, श्रीमन्, नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—वह सूचना मैंने आप को दे दी। बिजनेस ऐडवाइजरी समिति ने जो प्रस्तावित समय निर्धारण किया है उसकी सूचना यहां पर मैंने दी है।

श्री राजनारायण—अब इस विधेयक के लिए कितना समय रखा गया है?

श्री अध्यक्ष—मैंने बताया कि पहले तो जो विधेयक सामने है उस पर विचार होगा और उसके बाद लखनऊ युनिवर्सिटी विधेयक आयेगा। उसके लिए कल तक का समय है।

श्री राजनारायण—आप यह देखें कि इसमें लखनऊ युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक है फिर बिक्री-कर संशोधन विधेयक है, फिर इलाहाबाद युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक है, फिर उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन विधेयक है। इसके साथ-साथ एक और अत्यन्त आवश्यक इस सरकार के जीवन से सम्बन्धित सर्वप्रमुख अविश्वास का प्रस्ताव है कि जिसकी इसमें कहीं चर्चा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—उसके लिए २३ तारीख का समय निश्चित हो चुका है।

श्री राजनारायण—आप ने यह कहा था कि उसका विवाद २३ तारीख से शुरू होगा। तो जरा यह देखा जाय कि बिहार में कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ३ दिन तक चला और तीन दिन तक बराबर बहस होती रही।

श्री अध्यक्ष—वह तो इस समय आप के सामने नहीं है। उस के लिए जितना भी समय लिया जाय, परामर्शदात्री समिति उस पर निश्चय नहीं कर सकती है। यदि अधिक समय तक यह प्रस्ताव चलेगा तो फिर बाकी कार्यक्रम सब स्थगित हो जायेंगे।

श्री राजनारायण—इसके लिए इतना कहना है कि लखनऊ युनिवर्सिटी विधेयक इसी सरकार क जीवन काल में पास हुआ। इलाहाबाद युनिवर्सिटी विधेयक भी यहां पर संशोधित हुआ और आगरा युनिवर्सिटी विधेयक भी संशोधित हुआ। उस समय जिन-जिन बातों के लिए बारबार सरकार से कहा गया था कि ये अनावश्यक हैं अब साल पर व्यतीत होने पर उन में संशोधन की आवश्यकता पड़ गयी। इस सरकार क द्वारा सदन के समय का कितना दुरुपयोग किया जाता है, मैं इस को आप की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अगर इस पर समुचित विचार करने का मौका दिया जाता . . .

श्री अध्यक्ष—सवाल सिर्फ इस बात का है कि इन विधेयकों के लिए इतना समय दिया जायगा। जिस समय वह सामने आवे तब आप यह कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—जब पहले हम बंध जायेंगे तो फिर कैसे उस समय इन बातों को कह सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—आपने ५ मिनट में काफी कह लिया। अब आप और क्या कहेंगे?

श्री राजनारायण—मैं तो यह समझता हूं कि इससे हमारा विरोध है। जिस प्रकार से ये विधेयक सामने आये हैं इन पर सदन के सम्मानित सदस्यों को उचित समय विचार-विमर्श करने के लिए मिलना चाहिए। यह सदन के लिए शोभा की बात नहीं है कि एक विधेयक यहां आवे और फिर वह कानून की शक्ल ले और फिर थोड़े दिनों बाद फिर उस में संशोधन आवे ऐसा बराबर होता रहा है। इसलिए मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो यह बिजनेस कमेटी ने समय का बंटन किया है, वह नाकाफी है और यह फिर से उसके पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाय और वह अच्छी प्रकार से सोचने-विचारने के बाद समय को पुनः निर्धारित करे। हमारे दल को बिना जानकारी कराये हुए यह प्रस्ताव आया है। हमारा कोई प्रतिनिधि उसमें न था।

श्री अध्यक्ष—आज तो आपको सूचना मिल गयी थी।

श्री राजनारायण—आज तो सूचना मिल गयी थी लेकिन मैं आ नहीं सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी भाषा कठोर है। मैं तो प्रस्तावक महोदय से विनम्र करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे कृपानिधान प्रस्तावक महोदय, कृपा करके अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये और पुनः विचार के लिए बिजनेस कमेटी में जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए समिति के पास भेजता है—

(१) उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टिन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७।
(२) लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन )विधेयक, १९५७।
(३) इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७।
(४) उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेण्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७।
(५) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) (संशोधन) विधेयक, १९५७।
(६) इण्टरमीडियेट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४८
विपक्ष में—१८७।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव को ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है—

उत्तर प्रदेश कण्ट्रोल आफ सप्लाईज (कंटिन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७,

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७,

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७,

उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेण्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है,

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७,

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१९४
विपक्ष में—३८।)

**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी भंग कर दी जाय ।

**श्री अध्यक्ष**---यह प्रस्ताव इस वक्त नहीं आ सकता है । उसके लिये तो आपको लिख कर सूचना भेजनी पड़ेगी । माननीय वित्त मंत्री जी !

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष**---अब मैंने दूसरा कार्यक्रम ले लिया है । मैंने माननीय वित्त मंत्री को बुला लिया है ।

## १९५४-५५ के विनियोग लेखे और १९५६ के लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन*

**उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)**---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रादेशिक सरकार के विनियोग लेखे, १९५४-५५ और लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन, १९५६ (Appropriation Accounts for 1954-55 and the Audit Report, 1956) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

## १९५४-५५ के वित्त लेखे और १९५५ के लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन*

**उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)**---अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त लेखे १९५४-५५ और लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन १९५५ (Finance Accounts 1954-55 and theAudit Report 1955) को सदन मेज पर रखता हूं ।

## १९५३-५४ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांग

**उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)**---अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये अतिरिक्त अनुदान की मांग उपस्थित करता हूं ।

## १९५७-५८ की प्रथम अनुपूरक मांग

**उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)**--अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं वित्तीय वर्ष १९५७-५८ की प्रथम अनुपूरक मांग उपस्थित करता हूं ।

## उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)†

**श्री अध्यक्ष**---अब न्याय उपमंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कण्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय, विवाद जारी होगा। श्री रामस्वरूप वर्मा बोल रहे थे । वह अब भाषण प्रारम्भ करें ।

**श्री राम स्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार की मूल नीति जहां तक. . . . . .

**श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)---प्वाइंट आफ आर्डर सर। यह जो बिल है इसका मूल आधार है कि यह जो कानून है इसकी अवधि २६ जनवरी, सन् १९५८ को समाप्त हो जाती है और यह संशोधन और दूसरे संशोधन ऐसे चल रहे हैं कि जिनमें ३ मास और उसके बाद के समय तक की बात आती है, इस तरह से यह इनएफेक्टिव हो जाता है । इसलिये मैं श्रीमान जी की व्यवस्था चाहता हूं कि जिस संशोधन पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह इन-

---

*छापे नहीं गये ।

†९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही से ।

आर्डर है या नहीं। इस के बारे में मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ ३६७ पर लिखा है कि--

"Any amendment moved to an instruction must be strictly relevant thereto and must be drawn in such a shape that, if accepted, the question as amended would retain the form and effect of an instruction.

तो इसके माने है कि अगर संशोधन से शेप बदल जाती है तो जितने इस तरह के संशोधन आते हैं वह सब आऊट आफ आर्डर होंगे। इसलिये मैं क्लोजर मोशन मूव करता हूं और आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, मैं तो समझा नहीं, उनका एक प्वाइंट आफ आर्डर है और उसी में क्लोजर मोशन है। वह प्वाइंट आफ आर्डर है तो आप रूल-आउट करें या आप अपना निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि सब संशोधन आउट आफ आर्डर हैं। यह पहला ऐक्ट २६ जनवरी, सन् १९५८ को एक्सपायर हो जाता है और जो संशोधन आये हैं उनमें ऐसे प्रस्ताव हैं कि "३ मास के अन्दर सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।" लेकिन वह कहते हैं कि ३ मास के अन्दर २६ जनवरी गुजर जायगी और इस तरह से बिल का जो उद्देश्य है वही खत्म हो जायगा और ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन में "जो अपनी रिपोर्ट ३ मास के अन्दर सदन के समक्ष उपस्थित करें" ऐसे शब्द हैं। दूसरे संशोधन में है कि "३१ मार्च, १९५८ तक के लिये वितरित किया जाय" वह संशोधन पहले पेश किया जा चुका है। इसमें कोई ऐसा विरोध नहीं आता है। हालांकि उसको दुरुस्त कर देना चाहिये था। मैं इसको बिलकुल कान्ट्रेडिस्क्टरी नहीं समझता और न मैं इसको अवैध करार देता हूं। मैं समझता हूं यह वैध है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक नियंत्रण का सम्बन्ध है, उनकी सबसे पहले आवश्यकता वहां हो जाती है कि जहां पर खाद्यान्नों का प्रश्न है, खेतों में पैदा होने वाली चीजों पर नियन्त्रण किया जाता है और उनके दाम घटाने की बात की जाती है, लेकिन उसी के अनुरूप जो चीजें मिलों में पैदा होती हैं उनके सम्बन्ध में न कोई नीति सरकार के तय की है और न कोई नियन्त्रण उनका है। श्रीमन्, कई सालों से बराबर यह बात देखी जा रही है। मिलों में पैदा होने वाली चीजों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती रही है और खेती में पैदा होने वाली चीजों के मूल्य में घटाव बढ़ाव हुआ है। आमतौर से सरकार की यह प्रवृति देखी गयी है कि उनको सस्ता किये जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सस्ता किया जाय। लेकिन उसी के अनुरूप जो मिलों से दूसरी चीजें पैदा होती हैं खेतिहरों के लिए उन चीजों के मिलने का प्रश्न उठता है जिनकी इतनी बड़ी संख्या है। तो इतनी बड़ी संख्या के लिए कोई नियन्त्रण या नियम न हो, इस प्रकार व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल सकती है।

श्रीमान्, १९४७ से लेकर अब तक सामान के मूल्य में डेढ़ दो गुने की वृद्धि हुई है, इसी तरह से कपड़े के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है लोहे और टीन के मूल्य में वृद्धि हुई है, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक विचित्र परिस्थिति इस प्रकार के अनियन्त्रण से पैदा हो गयी है। सरकार की मूल्य-नीति के अभाव में यहां का उपभोक्ता अपने को असुरक्षित पाता है। कोई इस बात की सुरक्षा नहीं है कि वह बाजार में कोई चीज खरीदने जाता है उससे सस्ते दाम लिये जाते हैं या उसकी बेबसी के कारण कोई आदमी उसकी जेब तो नहीं काट लेता है। उदाहरणार्थ, अगर कोई आदमी बाजार में जाता है और कपड़ा खरीदने के लिये कोई मूल्य तय नहीं है और बहुत जरूरी काम के लिए उसको उसकी जरूरत है। बेचने वाला यह महसूस करता है कि इसको सख्त जरूरत है। उस समय अगर वह एक रुपये गज कपड़े के दाम तीन रुपये गज भी

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

मांगे तो उसे देना पड़ेगा । ऐसी बेबसी की परिस्थिति उपभोक्ताओं के सामने है । इसके लिए सरकार कोई भी नियम नहीं बना पायी ।

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे काम्प्रीहेंसिव विधेयक कोई सर्वांगीण विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिससे इन तमाम बातों पर नियन्त्रण किया जा सके हमारे प्रदेश की एक ऐसी मूल्य नीति हो जिससे गरीब और अमीर को समान सुविधा मिले और दोनों के साथ समान न्याय हो सके । इस दृष्टि से जो गरीब तबका है वह ज्यादातर देहातों में रहता है । शहरों में भी मजदूर तबका है, लेकिन उनसे भी गया गुजरा गरीब तबका देहातों में बसता है । वह अनाज के अतिरिक्त अन्य सभी इसेंशल कमोडिटीज खरीदता है । दुर्भाग्य की बात यह है कि देहात में कोई ऐसा किसानों का संगठन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--आप संक्षेप में अपनी बात रखें ; और लोगों को भी बोलना है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--संक्षेप में आ रहा हूं । ऐसा कोई संगठन नहीं है उपभोक्ताओं का जिससे देहात के लोग संगठन करके सरकार के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत करें । लेकिन फिर भी हमारे जो सम्मानित सदस्य देहात में किसानों, खेतिहर मजदूरों और शिल्पकार--लोहार, बढ़ई आदि, इन सबके प्रतिनिधि होकर आये हैं, उनको इस गम्भीर विषय पर विचार करना है और यह सोचना है कि आया इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक पर सिर्फ दो चीजों पर नियन्त्रण की इजाजत दे कर अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगे अथवा वह पूर्ण सर्वांगीण नियन्त्रण को प्रदेश में पसन्द करेंगे और उसके कारण तमाम लोगों को इंसाफ के साथ सब सौदा मिल सके । यह सवाल आज हम लोगों के सामने है । इसी वजह से, श्रीमन्, हमने निवेदन किया कि यह बिल पर्याप्त नहीं है, जिसमें इन तमाम बातों पर विचार हो सके । इसलिये भी इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाना चाहिये, नहीं तो प्रवर समिति में जाने से कोई लाभ नहीं होगा ।

एक बात और है । अभी तक जिन चीजों का नियन्त्रण है उस सम्बन्ध में सरकार के पास काफी आकंड़े प्रस्तुत हुए । शिकायतें भी आयी और उन शिकायतों के स्वरूप सरकार को यह महसूस हुआ होगा कि इन दोनों बातों के होते हुए भी नियन्त्रण अच्छी तरह से नहीं चला । मैंने इस वजह से ३ महीने की अवधि रखी है, कोई युद्ध स्थिति तो है नहीं कि अगर यह विधेयक २५, २६ जनवरी तक कानून न बन पाया तो बड़ा अहित हो जायगा, कि सरकार को तजुर्बा होगा और समिति को अच्छी तरह से अगर जल्दी ही जानकारी हो जाय तो वह महीने भर में ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है । लेकिन तीन महीने इस दृष्टि से रखे हैं कि समिति के सदस्यों को, सदन के सम्मानित सदस्यों के तथा सब के विचार प्राप्त हो जायगे और तब जो संशोधन और परिवर्धन इसमें किया जायगा वह ज्यादा कामयाब होगा । इसलिये भी मैंने ३ माह की अवधि रखी थी । तो, श्रीमन्, इन तमाम बातों को देखते हुये मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को सर्वाङ्गीण बनाने के लिये और वर्तमान सरकार की एक अच्छी नीति स्थिर करने के लिये ताकि प्रदेश के तमाम उपभोक्ता अपने को सुरक्षित समझें और हर एक को अपने मूल्य के हिसाब से उचित कीमत देनी और लेनी पड़े, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और तभी सही माने में इसका फायदा भी होगा ।

एक सिद्धान्त की बात आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक खाद्यानों का संबंध है, अनाज के संबंध में निश्चित रूप से यह मूल नीति होनी चाहिये कि ४ नये पैसे से ज्यादा साल के किसी हिस्से में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में फर्क न रहे । इसी प्रकार मिलों की चीजों में डेढ़ गुना से ज्यादा कभी भी उनके उत्पादन में और उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले मूल्य में अन्तर न पड़े.....

श्री अध्यक्ष---आप जरा असंगत हो रहे हैं । आप डिटेल्स में नहीं जा सकते ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं यह ही कह रहा था कि नियन्त्रण इस प्रकार का होना चाहिये कि वह सर्वाङ्गीण हो । इस प्रकार की निति हो कि उत्पादक और उपभोक्ता को सही कीमत और निश्चित कीमत में चीज देनी पड़े और प्राप्त हो ।

अब लकड़ी के सम्बन्ध में यदि नियन्त्रण रहेगा तो उससे तमाम जो टाउन एरियाज में तथा शहरों में जो लकड़हारे लकड़ी लाकर बेचते हैं उनको नुकसान होगा और लकड़ी का काम.....

श्री अध्यक्ष---फिर आप ब्यौरे में जाने लगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, पुराने शेड्यूल में कई चीजें थीं और अब दो चीजें रह गई । इसलिये इस पर तो मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं ।

दूसरे ईटों के सम्बन्ध में, जो लकड़ी से पकायी जाती हैं उनको छोड़कर के, जो नियत्रंण लागू किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में यह कह देना चाहता हूं कि ईंटों का भाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है । ऐसे नियत्रंण से कोई लाभ नहीं होने वाला है कि जिससे भाव बढ़े और नियत्रंण भी रहे । जब सरकार कोई नीति निश्चित करे तो उसके सामने उत्पादन का खर्चा और मुनाफा दोनों चीजें रहें । इधर कई सालों में ईटों का मूल्य बढ़ा है इससे उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं हो रहा है । तो इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि जो नियत्रंण रहे वह उचित मूल्य के आधार पर रहे । इन तमाम बातों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाय और मेरे प्रस्ताव को सदन स्वीकार करे ।

श्री अध्यक्ष---मैं बतलाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो भाषण दे ५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दे । अधिक से अधिक एक-दो मिनट और मैं दे दूंगा यानी कुल ७ मिनट । सवा बजे आम बहस समाप्त हो जानी चाहिये तभी ३ बजे यह विधेयक खतम हो सकेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन इस प्रकार उपस्थित करता हूं ।

रामस्वरूप जी वर्मा के संशोधन के अंक व शब्द "३ मास" के स्थान पर अंक व शब्द "२५ दिसम्बर, १९५७" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, मेरे इस संशोधन से अभी जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है उसका हल हो जाता है । यह विधेयक २६ जनवरी के बाद लागू होना आवश्यक है । यदि मेरा संशोधन मान लिया जाय कि २५ दिसम्बर तक प्रवर समिति इस सदन को अपनी रिपोर्ट दे कर अपना मत उपस्थित कर दे तो समस्या हल हो जाती है । ऐसी चीजों को सिलेक्ट कमेटी में रखना अवश्यक हुआ करता है । क्योंकि इस विधेयक में एक सैद्धान्तिक चीज निहित है । इसमें कंट्रोल की बात है जिस कंट्रोल को लेकर हम पिछले १० साल से पीड़ित हैं । कंट्रोल किसी एमर्जेंसी के वक्त के लिये तो उपयुक्त होता है,लेकिन ऐसे समय में कंट्रोल हम पर लादना अन्यायपूर्ण कार्य होगा । विशेष तौर से हमें ब्रिक्स और कोल पर ध्यान देना है । इन चीजों पर कंट्रोल रखने से विशेष तौर से देहात के लोगों को दिक्कत पैदा होती है । ईंटों के भट्ठे कोआपरेटिवरूप में हैं और उनकी प्राइसेज नियत है, लेकिन उन गरीब किसानों को ईट कंट्रोल रेट पर लेने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यह कंट्रोल रेट पर ईंटें देने वाले भट्ठे पैसे वालों को तो हमेशा प्रिफरेंस देते हैं और गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते ।

इसी तरह से कोयले के सम्बन्ध में भी हम लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत उपस्थित है । प्रत्येक सदस्य को ४ आने सेर का कोयला खरीदना पड़ता है । यह कोयला जो ज्वार का भाव है उसी भाव से बिकता है । ४ सेर का ज्वार बिकता है तो ४ सेर का ही कोयला भी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

बिकता है । जिस कीमत पर ज्वार खरीद कर खाया जाता है उसी कीमत का कोयला जला कर हम लोग रोटी पकाते हैं । यह कंट्रोल की देन है । जिस साधारण से साधारण चीज पर कंट्रोल कर दिया जाता है वह इतनी संकुचित हो जाती है और इतनी महंगी हो जाती है कि उसकी सप्लाई हर एक को दुखदाई हो जाती है । इस कंट्रोल के लिये हमारे राष्ट्र पिता गांधी जी ने बार-बार कड़े से कड़े शब्दों में यह कहा था कि यह कंट्रोल उसी प्रकार की एक वस्तु है जैसे एक गाय चारा पाने के लिये अपने खूंटे से इतनी नजदीक बांध दी जाय कि वह गाय चारा खा ही न सके । गरीबों के लिये यह कंट्रोल बहुत अहितकर है और उन्हें विशेषरूप से इन चीजों की प्राप्ति में दिक्कत हो रही है । कंट्रोल में लाइसेन्स प्राप्ति के लिये जो घुड़दौड़ मची रहती है और उसके लिये जो रिश्वत फैली हुई है उसकी कहानी कहां तक बयान करूं, लेकिन इतना जरूर बतला दूं कि कोयला के कंट्रोल को लेने के लिये लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व सप्लाई आफिसर के पास दरख्वास्त देते हैं और हजारों रुपये की रिश्वत देने को तैयार रहते हैं । यह कंट्रोल धनियों के लिये तो लाभजनक है लेकिन गरीबों के लिये लाभजनक नहीं है । जब हर चीज के अधिक उत्पादन के लिये प्रेरणा दी जाती है तो फिर कंट्रोल रख कर उसे संकुचित नहीं करना चाहिये । ये चीजें जैसे फायरबुड और कोल है इन्हें कंट्रोल में नहीं रखना चाहिये । इस पर विचार करने के लिये प्रवर समिति में इसको रखना आवश्यक है । यह नहीं होना चाहिये कि डेढ़ घंटा बहस कर इसे यहीं समाप्त कर दिया जाय । विरोधी भाइयों की सम्मति लेने के लिये इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाय, समझौते के आधार पर वहां सब लोग अपने विचार रखें और यह समझने की चेष्टा की जाय कि विरोधी लोगों की क्या राय है, क्या दिक्कतें हैं । मैं प्रार्थना करूंगा और इस पर हाउस ध्यान देगा कि इसको फिर से समिति के सिपुर्द किया जाय और जल्दी ही वह अपनी रिपोर्ट दे । इसके लिये निकट भविष्य में जल्दी ही कोई अवधि रख दी जाय । मेरी प्रार्थना है कि मूल प्रस्ताव को स्वीकार करके हाउस मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे ।

श्री अध्यक्ष---(श्री मुक्तिनाथ राय से) आपका संशोधन इसको और आगे बढ़ाता है इसलिये आप भाषण दें और अपना प्रस्ताव उपस्थित न करें क्योंकि इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने तीन महीने का प्रस्ताव दिया है आप उससे भी ज्यादा मियाद बढ़ाना चाहते हैं । इससे स्पष्ट हो गया कि आप इस विधेयक के विरोध में हैं । २६ जनवरी के अंदर पारित होना आप नहीं चाहते हैं । यह बिलकुल विरोध में जायगा । इसलिये आप अपना भाषण दें और संशोधन उपस्थित न करने की कृपा न करें ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---मान्यवर, जो मैंने छः महीने का समय रखा है वह इसलिये कि हम देखते हैं कि हमारी जनता कंट्रोल के नाम से ऊब गई है । मान्यवर, कहा जाता है कि "हुमा चिड़िया की साया जिसके सिर पर पड़ती है, वह राजा हो जाता है" । मुझे अपना अनुभव है और जनता भी समझती है कि जहां कंट्रोल की छाया पड़ी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष---केवल जनमत के लिये आप संशोधन दे रहे हैं । ठीक है, आप पेश कर दें ।

श्री मुक्तिनाथ राय---मैंने छः महीने का समय इसलिये दिया है कि तीन महीने में जनता की भावना की पूरी जानकारी प्राप्त न हो सकेगी, इसलिये छः महीने का समय रखा गया है जिससे जनता अधिक से अधिक राय दे सके । विधेयक में सब चीजों पर नहीं है थोड़ी सी चीजों पर कंट्रोल है । लेकिन इसमें देखिये कि जनता की क्या राय है । उसको टेस्ट समझकर अगर जनता की राय हो तो कंट्रोल सारे का सारा तोड़ दिया जाय । इससे सरकार के लिये रास्ता मिल जायगा कि कंट्रोल जारी रहे या न रहे । इसीलिये छः महीने का समय रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष---छै महीने का नहीं ।

श्री मुक्तिनाथ राय---३० जून, १९५८ तक छः महीने हो जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप पढ़कर सुना दें।

श्री मुक्तिनाथ राय---मान्यवर, न्याय मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय में यह संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जनमत जानने के लिये ३० जून, १९५८ तक के लिये वितरित किया जाय।

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि कंट्रोल जब आता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सरकार का यह परमकर्तव्य होता है कि जनता के धन, जान और माल की रक्षा करे और हर प्रकार की तरक्की हो, लेकिन कंट्रोल ऐसी चीज है कि इससे जनता का नैतिक पतन होता है। जिन चीजों पर कंट्रोल है जनता झूठ बोलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की चेष्टा करती है। कंट्रोल ऐसा है जो जनता को आवाहन करता है कि तुम भ्रष्टाचारी बनो। जब सरकार अच्छे-अच्छे काम करती है तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह यह भी देखे कि जनता का नैतिक स्तर ऊंचा हो। ६ महीने के अन्दर जनता अपनी राय देगी तो मुझे आशा है कि वह जरूर कंट्रोल के खिलाफ जायगी और क्योंकि सरकार जनता की भावना की कदर करती है, इसलिये वह इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि पूरा कंट्रोल ही तोड़ दिया जाय।

जब कंट्रोल टूटेगा तो जनता का नैतिक उत्थान होगा और सरकार जनता की नैतिकता को ऊंचे उठाने में सहायक होगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

दूसरी चीज जो कंट्रोल की है वह ईंट है। आज कंट्रोल इसलिये लगाया गया है कि जनता को लाभ हो, लेकिन आज ईंटों के भट्ठे के मालिक मनमाने ढंग से ईंटें देते हैं और सरकार का कोई अकुंश काम में नहीं आता है। जब सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून की अवहेलना होती है और जनता को लाभ नहीं होता तो ऐसे कानून से क्या फायदा? इसलिये मेरा अनुरोध है कि ३० जून तक का समय दिया जाय ताकि जनता अपनी पूरी राय दे सके और सरकार उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर सके।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में दोनों तरफ से सुझाव आये। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक ईंटों की बिक्री के सम्बन्ध में यह बिल लाया गया है उस बारे में मेरी एक अलग राय है और वह यह कि ईंटें और मिट्टी के उत्पादन पर अगर कंट्रोल रख दिया जायगा तो आज देहात में गृह निर्माण का जो कार्य चल रहा है वह बिलकुल समाप्त हो जायगा। सन् १९४६ से लेकर सन् ५७ तक देहात में गृह निर्माण में जो प्रगति हुई है वह एक अचम्भे की चीज है। जहां पर छप्परों में लोग जिन्दगी बसर करते थे, आये दिन आगें लगती थीं, वहां पर इस बीच में एक अवसर प्राप्त हुआ और उस अवसर के प्राप्त होने से देहात में गृह निर्माण का कार्य बड़ी तेजी से बढ़ा। इस सम्बन्ध में इसी प्रदेश के हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय गोविन्द वल्लभ पंत ने सन् १९४६ के एलेक्शन में सारे देश में यह आवाज बुलन्द की थी और आज भी उनके वे शब्द अखबारों और पुस्तकों में मौजूद हैं कि "जिस चीज पर कंट्रोल लगा दिया जाता है वह सदा के लिये गायब हो जाती है" और यह भी कहा था कि "कड़वी से कड़वी चीज जहर और मीठी से मीठी चीज अमृत पर भी अगर कंट्रोल लगा दिया जाय तो वह बाजार से गायब हो जाती है।" आज उनके इन शब्दों को ध्यान में रख कर ही इस बिल पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ईंटों के उत्पादन पर किसी प्रकार से कंट्रोल उचित नहीं है। इसका एक कारण और है कि इसमें किसी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, इसलिये बाहर से कोई माल मंगाने का प्रश्न नहीं है। आज सीमेंट पर तो कंट्रोल इसलिये है कि मशी-

[श्री शिवप्रसाद नागर]

नरी नहीं आ सकती, हर जगह सीमेंट की फैक्टरी नहीं खुल सकती, लेकिन आज एक-एक शहर में दस-दस, बारह-बारह ईंट के भट्ठे चल रहे हैं। क्यों नहीं सरकारी कार्य के लिये भट्ठे खुलवा दिये जाते ? क्यों नहीं लोगों को भट्ठों के लाइसेंस दे दिये जायं ? इसमें सरकार की मंशा कुछ बाधा उपस्थित करने की मालूम होती है और वह यों कि इसमें लकड़ी और ईंधन के ऊपर भी कंट्रोल रखने की बात कही गयी है। लेकिन मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि लकड़ी और ईंधन पर कंट्रोल लगाने से जिन शहरों को लकड़ी की आवश्यकता है वहां लोगों के पास अन्न होते हुये भी वे भूखों मरने लगेंगे। मैंने पिछली मर्तबा यह कहा था कि सीमेंट के कंट्रोल की वजह से एक ओवरसियर ने ६०० बोरी सीमेंट चुराई थी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये रखी हुई थी और उसके बाद उसका भेद खुलने पर उसको नहर में फिंकवा दिया।

श्री फतेहसिंह राणा--प्वाइंट आफ आर्डर सर। सीमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन वह उसका जिक्र तो कर सकते हैं।

श्री शिव प्रसाद नागर--श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि सीमेंट पर कन्ट्रोल या उसके बटवारे में पाबन्दी कुछ भी हो, लोगों को उसे हासिल करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और सरकारी अहलकार इसीलिये उसमें चोरी भी करते हैं, उसे बेचने का प्रयत्न भी करते हैं और आज बाजार में १२ रुपये बोरी सीमेंट का ब्लैक में दाम है। इसी प्रकार की बात मैं आप से भट्ठों के बारे में भी कहना चाहता हूं। अगर ईंटों पर कंट्रोल हुआ तो जो ईंट आज २८, २९ रुपये में बिक रही है वही ५० के भाव में बिकेगी और देहातों में गृह निर्माण का सारा कार्य स्थगित हो जायगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकारी भट्ठे लगाये जांय। इस के लिये किसी खास साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल खेत की मिट्टी और ईंधन का प्रश्न आता है। सरकार की ओर से भट्ठे लगवाये जा सकते हैं। यदि सरकार उचित समझे तो मेरा सुझाव माने कि हर जिले में भट्ठों की तादाद देखी जाय और हर १० या १५ हजार की आबादी पर भट्ठा लगाने की इजाजत दी जाय। भट्ठों के सामने ईंधन की बड़ी समस्या है। ईंधन आजकल हमारे पास काफी है। हमारे पास बहुत से जंगल हैं, उनका उपयोग हम ईंट बनाने के लिये कर सकते हैं और आसानी से काफी भट्ठे खुलवा सकते हैं।

एक बात और। १९४६ में जब हम एलेक्शन लड़ रहे थे तो इसी कंट्रोल के कारण हजारों गालियां हैलटशाही को दी जाती थीं। 'हैलटशाही-हाय हाय,' का नारा बहुत प्रचलित था, और इस कंट्रोल के कारण ही कांग्रेस इस सदन में बहुमत में आ सकी, इसी की बदौलत उसने अंग्रेजों को डिमारेलाइज किया और उनको देश से बाहर निकाला। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इस कंट्रोल को यहां दफन कर दीजिये। हमारे देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। आप कन्ट्रोल किसी भी वस्तु पर न रखिये। यह एक चांडाल की देन है। इसने हमें हर तरह से तबाह और बरबाद कर दिया है। इसके दो काम हैं। इसने गरीबों को और ज्यादा गरीब कर दिया है और अमीरों को और ज्यादा अमीर। महात्मा गांधी ने दिल्ली में बैठ कर इसके एक-एक पंख नोचे थे, इसकी चोंच मरोड़ी थी और अंत में इसकी गर्दन मरोड़ कर फेंक दिया था। यह काम उन्होंने दिल्ली में बैठकर किया था। भगवान् भला करे रफी अहमद किदवाई का। यहां बैठ कर उनकी नहीं चल पायी, आप लोगों ने नहीं चलने दी। जब वह दिल्ली गये तो....

श्री अध्यक्ष--आप का समय समाप्त हो गया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री लक्ष्मीरमण आचार्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी--बिजनेस कमेटी ने इस के लिये ३ बजे तक का समय रखा है। अभी लंच के बाद भी पौन घंटा मिलगा। मैं चाहता हूं कि इसे अभी चलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—खंडों में चार संशोधन हैं। आप भी शायद उनमें हैं। वह बाद में लिए जायंगे।

न्याय उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, पिछले दो दिनों में इस विधेयक पर, जिसे कि मैंने बहुत छोटा कह दिया था, काफी बहस इस सदन के सामने हुई। मुझे प्रसन्नता है कि इस बहस के दौरान में कंट्रोलों की उपयोगिता और उसके विरुद्ध आवाज और किस प्रकार वह हमारे देश के लिये घातक है और किस प्रकार वह सोशलिस्टिक इकोनामी के विरुद्ध पड़ते हैं, यह सब चीजें सदन के सामने आयीं। मैं माननीय श्री कृष्णदत्त जी पालीवाल और उनके दूसरे साथियों के संशोधनों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं। मेरा खयाल है कि यह कुछ गलत विचार पर आधारित है और शायद उनके जरिये से कुछ बातें इस सदन में ऐसी कही गईं जो इस विधेयक से बहुत संगत नहीं थीं।

जहां तक इस विधेयक का तात्पर्य है, सभी संशोधन या कम से कम पालीवाल जी का संशोधन जैसा कि वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि अच्छा हो यदि यह विधेयक या अधिनियम समाप्त हो जाय, यह आशय था। रामस्वरूप वर्मा जी की बहस एक दूसरी तरह की थी। उनका भाषण ऐसा था कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में व्याख्या करते हुये उन्होंने यह कहने की चेष्टा की कि प्राइस कंट्रोल समाजवादी अर्थव्यवस्था की आवश्यक है। उनका आशय फ्लोर प्राइस से था कि फ्लोर प्राइस होनी चाहिये खाद्यान्न की, जिसके जरिये से उत्पादकों को लाभ हो सके। मैं ऐसा ही उनका आशय समझा।

जहां तक उन मित्रों का सम्बन्ध है जिन्होंने कंट्रोल के विरोध में यहां पर अपने विचार प्रकट किये और उनमें महात्मा गान्धी जी का नाम भी लिया, मेरे खयाल में इसको स्वीकार करने में किसी को एतराज नहीं है कि महात्मा गान्धी ने कंट्रोल के विरुद्ध नवम्बर, सन् १९४७ से अपनी प्रार्थना सभाओं में बहुत कुछ बातें कही थीं। इसमें भी किसी को कोई इन्कार नहीं हो सकता कि कंट्रोल के जरिये से देश की केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि शासन व्यवस्था में भी कठिनाई पड़ती है। शासन कंट्रोल के अनुकूल पहले ही नहीं था, लेकिन कंट्रोल के बाद जो शासन बनाना पड़ा वह ऐसा नहीं था कि वह कंट्रोल के अनुकूल पड़ता। इसी कारण कंट्रोल के जरिये से कुछ कठिनाई पड़ी और कुछ गड़बड़ हुई। साथ ही कुछ दूसरी मनोवृत्ति जो एक स्वच्छन्द व्यापार की होती है उसको भी बहुत कुछ हानि पहुंची, किन्तु कुछ कठिनाई है जिसमें कंट्रोल लगाना पड़ता है।

जहां तक शहरों का सम्बन्ध है कंट्रोल लगाना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा कि कंट्रोल की व्यवस्था चीजों की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। निस्सन्देह लड़ाई के जमाने में मांग बढ़ी। पूर्ति की कमी पड़ी, क्योंकि दूसरे स्थानों पर चीजें जाने लगीं। इसी वजह से कंट्रोल लगाना पड़ा। यह नियन्त्रण सन् १९४३ में कार्यरूप में आया, यद्यपि डिफेंस आफ इंडिया आर्डिनेन्स में उसका जिक्र आ चुका था, लेकिन सन् १९४३ में वह हमारे देश में आया।

मैं इस सदन से बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और उन्हीं के अनुरूप दूसरी प्रदेशीय सरकारों ने १९४८ के जुलाई के महीने में यह नीति घोषित की कि कंट्रोल को धीरे-धीरे हम कम करना चाहते हैं। धीरे-धीरे प्रत्येक वस्तु के ऊपर से नियन्त्रण हटा लेना चाहते हैं। उसके अनुरूप सन् १९४३ से जिन चीजों के ऊपर नियन्त्रण था उनके उत्पादन से नियन्त्रण हटाया गया। मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिनके जरिये से सदन जान सकेगा कि कुछ चीजों पर हम नियन्त्रण रखने के लिये बाध्य हैं। इस सम्बन्ध में सदन यह स्वीकार करेगा कि अगस्त, सन् १९३९ में यदि हम जनरल लिविंग इन्डेक्स १०० मानते हैं तो हमने देखा

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

है कि किस प्रकार जनरल इन्डेक्स की फीगर्स बढ़ी हैं । १९३९ में १०० मानकर चलने पर १९४३ में या उसके आस पास वह २७१.१ हो गई । सितम्बर,१९४६ में यदि मैं और भी प्रीसाइज होना चाहूं तो इसी समय १९४५ में कुछ इफैक्टिव कंट्रोल लगाये गये, उत्पादन और वितरण दोनों पर । उसका परिणाम यह हुआ कि १९४५ के बाद २० महीने तक केवल २२ प्वाइंट जनरल इन्डेक्स बढ़ा । सन् १९४७ में गांधीजी की आवाज थी और उन्होंने नैतिकता के लिये उस आवाज को उठाया था और बराबर यह कहा कि कंट्रोलों के कारण इस देश में अनैतिकता का प्रादुर्भाव हुआ । कुछ ऐसा उन्हों ने कहा था । सन् १९४७ में कंट्रोलों को हटाया गया । शायद माननीय सदस्यों को याद हो कि थोड़े दिन बाद ही बाजार में चीनी का भाव ३५ रुपये ४ आने और ३५ रुपये ६ आने हो गया था । सन् १९४८ के आसपास कंट्रोल पर दोबारा विचार करने के लिये बाध्य होना पड़ा और कुछ थोड़े से कंट्रोल दोबारा लगाने पड़े, कुछ कीमतों पर कुछ कपड़े पर, कुछ यार्न पर जिनके जरिये से चीनी का मूल्य फिर घट गया और २७ रुपये के आस पास हुआ । उसके बाद किसी प्रकार से उस कीमत को उसके आसपास रखा गया । इसी प्रकार से खाद्यान्नों का भी कुछ समय तक चलता रहा ।

मैं एक बात बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं । हम लोग ग्रेजुअल डिकंट्रोलिंग को अपनी नीति बनाये हुये हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं और उनको दृष्टि में रखते हुए आज टोटल डिकंट्रोलिंग की स्थिति में हम नहीं हैं । माननीय सदस्यों की सेवा में मैं निवेदन करूंगा कि यदि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें तो मेरा खयाल है कि वह शायद हमसे सहमत हो सकें । आज स्थिति इस प्रकार की है कि जैसे मेरे माननीय मित्र नागरजी ने ईंटों का जिक्र किया । मेरा खयाल है कि शायद उनको इसके संबंध में पूरी जानकारी हासिल न हो, वरना वे ऐसी बात न कहते । उन्होंने कहा कि कोई चीज ईंटों से संबंधित ऐसी नहीं है जिसके द्वारा कोई कठिनाई हो । सीमेंट की कठिनाई उन्होंने स्वीकार की । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास कोयले से ईंट बनती है । कोयले पर इशोंसियल सप्लाईज ऐक्ट के जरिये से कंट्रोल है और होना चाहिये भी । जब कि हम सारे भट्ठों को पूरा कोयला न दे सकें और ईंटों का स्वतंत्र व्यापार शुरू कर दें तो क्या होगा ? मेरे माननीय मित्र स्वयं कंट्रोल को स्वीकार करते हैं । वह कहते हैं कि २५ हजार की आबादी पर एक भट्ठा लगवाइये तो क्यों २५ हजार, ५० हजार या १० हजार हो, जबकि नियन्त्रण नहीं रहेगा ? चूंकि हमारे पास कोयला नियंत्रित है, इसलिये ईंटों पर कंट्रोल रखना पड़ता है । एक तो ईंटों के उत्पादन पर परमिट का है और दूसरा है कि उसकी कीमत को हम कंट्रोल करते हैं ।

ईंधन की बात मैंने यहां कही थी । यह कहने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं है कि आज इस तरह के नियन्त्रण हैं कि उनमें करप्शन की अधिक गुंजाइश नहीं है, । किन्तु यदि कुछ हो भी तो जैसे नाक पर मक्खी बैठती है तो क्या नाक को अलाहदा करके रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ [U. P. Control, of Supplies(Continuance of powers) (Amendment) Bill, 1957] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—इसलिये मूल प्रस्ताव में जो संशोधन थे वे सब गिर गये ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

## खंड २

२--उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में "१९५८" के स्थान पर संख्या "१९६१" कर दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम, संख्या २२, १९५३ को जारी रखना।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## खंड ३ तथा अनुसूची

३--मूल अधिनियम द्वारा यथा पुनर्विहित यू० पी० कंट्रोल आफसप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के शिड्यूल के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाई (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के शिड्यूल का अनुस्थापन। (subtitution)

SCHEDULE

[See SECTION 2 (*a*)]

1. Bricks other than fire-bricks and
2. Firewood

**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि शेड्यूल के अन्त में निम्नलिखित ३ और ४ के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"3—Timber
4—Wood charcoal"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन महज मैं इसलिये रख रहा हूं कि बावजूद कंट्रोल के इस बीच में बहुत सी तकलीफें लोगों को रही हैं। कई जगह देखा गया कि लोगों को उससे कष्ट हुआ। उदाहरण के लिये माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि अगर इन चीजों पर से कंट्रोल हटा देंगे तो लोगों की तकलीफें बढ़ जायंगी। उन्हीं की बात को प्रमाण मानते हुये मैं यह अमेंडमेंट रख रहा हूं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने इधर से कहा कि यहां कोयला ४ आने सेर मिल रहा है, उसी भाव से अन्य लोगों को भी मिल रहा है। चीजें इस कदर गरां हो गयी हैं। लोग कंट्रोल के होते हुए भी इतनी महंगी बेच रहे हैं। अल्मोड़े में लकड़ी के कंट्रोल के संबंध में मैं खासकर माननीय मंत्री जी की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि एक घोर अन्याय हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि वे इसका समुचित प्रबन्ध करेंगे। उसके लिये फारेस्ट कांट्रैक्टर नियत किये गये हैं जो लकड़ी का टाल रखते हैं और उनके ऊपर सुपरविजन रहता है फारेस्ट डिपार्टमेंट का। उसके लिये उनको सस्ती कीमत पर चीड़ के पेड़ दिये जाते हैं। सौनी और धौलछीना का जंगल जो अल्मोड़ा में है वहां की लकड़ी के लिये अल्मोड़ा और रानीखेत में टिम्बर डिपो हैं जहां वह जमा रखी जाती है। वह लकड़ी उनको ३ रुपये या ढाई रुपये क्युबिक फीट जो कि सरकारी रेट है, मिलती है उसको वहां के कांट्रैक्टर ने नैनीताल को कंजरवेटर के बिलकुल नाक के नीचे जान बूझ कर भेज दिया और उसको रेलवे स्लीपर बनवा लिया ताकि ज्यादा कीमत मिले। जो चीज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिये थी उसे नैनीताल में भेज दिया गया और उसे रामनगर में बेचना शुरू कर दिया और इस में रेंजर की साजिश थी। यह तो मानी हुई बात है ही कि जो अफसर होते हैं वे अपने आश्रितों को बचाने की कोशिश करते हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट के कानून के अनुसार जरूरी है कि लकड़ी पर मोहर होनी चाहिये, उसका निशान यानी घन होना चाहिये। लेकिन जब कंजरवेटर द्वारा बिना घन की लकड़ी पकड़ी गयी तब शोर मचा कि इस तरह से लकड़ी बाहर जा रही थी।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

श्रीमन्, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं कि एक बार मुझे टिम्बर की जरूरत पड़ी तो मैं उन सब गोदामों में गया, लेकिन मुझे एक टुकड़ा भी टिम्बर का नहीं मिला । तो इस तरह से लोग इन चीजों को गायब कर देते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में जांच करा लें कि किस तरह से फारेस्ट रेंजरों में अनियन्त्रण मौजूद है। अगर कंजरवेटर साहब इस तरह से उनके कारनामों पर पर्दा डालते हैं, तो मेरी बाअदब गुजारिश है कि इस मामले की जांच होनी चाहिये और इस मामले का इसमें समावेश जरूर होना चाहिए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मुझे तो इस समय ज्यादा कहना नहीं है । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि अभी तक टिम्बर और चारकोल पर १९४१ के अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रण था, लेकिन यह जो विधेयक आज सदन के सामने है, इसके द्वारा वह जो पुराना नियन्त्रण था, उसको हटाये जाने की चेष्टा की गयी है । टिम्बर, जो यह इमारती लकड़ी है इसके संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि हमारा प्रदेश इमारती लकड़ी के लिये इम्पोर्टिंग स्टेट है, इस देश के दूसरे भागों में हम लोग यहां से टिम्बर भेजते हैं । टिम्बर के संबंध में वैसी कुछ कठिनाई जिसका जिक्र मेरे माननीय मित्र श्री गोविन्द सिंह जी ने किया, समय-समय पर ही आती है और उस संबंध में अपने मित्र से मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि वे इस सम्बन्ध में मेरे विभाग को या मेरे पास कुछ लिख कर भेज सकें तो मैं उसकी जांच करवाने की जरूर चेष्टा करूंगा। वैसे टिम्बर के सम्बन्ध में हमारे स्टेट में ऐसी कठिनाई नहीं है कि हमको नियन्त्रण की आवश्यकता पड़े और इसलिये मैं उनके इस संशोधन का विरोध करूंगा ।

जहां तक चारकोल का प्रश्न है मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारी नीति ग्रेजुअली डिकंट्रोल की है । सन् १९४७ के ऐक्ट के अन्तर्गत जितनी फारेस्ट प्रोडक्ट्स थीं जिसमें बैब घास भी शामिल थी और टिम्बर व चारकोल भी था, इसके अलावा २-३ चीजें और भी थीं, उन सब पर नियन्त्रण था, लेकिन अब चारकोल का जहां तक सम्बन्ध है उस पर नियन्त्रण की आवश्यकता स्टेट में नहीं है। हमारे यहां चारकोल बहुत थोड़ी सी मात्रा में होता है और सरकार की जानकारी में यह बात है कि कभी-कभी चारकोल के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिये अब कंट्रोल कुछ सहायक हो सके, ऐसा प्रतीत नहीं होता । इसलिये उस पर नियन्त्रण की अब जरूरत नहीं मालूम होती। जहां तक नियमित नियन्त्रण रखने का प्रश्न है वैसे तो हम इस विधेयक के द्वारा उस पर से नियन्त्रण समाप्त कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के कुछ शासकीय आदेशों के द्वारा हम अभी कुछ चीजें निश्चित रूप से बनाये रखना चाहते हैं जैसे कि अभी श्री गोविन्द सिंह जी ने कहा कि शासकीय आदेशों के अन्तर्गत टिम्बर एक स्थान से चले और वन विभाग उसको ऐसे बेचे, उसका यह उपयोग हो, यह सब शासकीय आदेशों के अन्तर्गत आ जाता है और इस तरह से अब उस पर नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है । वास्तव में मैंने तो यह संशोधन सदन की तवज्जह इस ओर दिलाने के लिये रखा था । अब मैं इसको वापस लिये लेता हूं और मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह इसको इत्तिला मानकर जांच कराने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---आप मेहनत अपनी क्यों बचा रहे हैं, लिख दीजियेगा ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ के शेड्यूल के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"किन्तु देहाती भट्ठे के ईंटे चाहे लकड़ी या कोयले से पकाये गये हों और बांस, लकड़ी के कोयले और जलाने की लकड़ी पर प्रतिबन्ध नहीं होगा ।"

श्रीमन् ....

**श्री उपाध्यक्ष**---क्या माननीय मंत्री जी, आपने इस संशोधन को देखा है ।

**श्री लक्ष्मी रमण आचार्य**---श्रीमन्, देखा तो है, लेकिन मैं स्वयं इसको ज्यादा समझ नहीं पाया हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष**---आपको कोई आपत्ति है कि यह नियमानुकूल है या नहीं ?

**श्री लक्ष्मी रमण आचार्य**---जहां तक नियमों का सम्बन्ध है मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि शेड्यूल के अन्तर्गत यह चीज कि "किन्तु देहाती भट्ठे के ईंटें चाहे लकड़ी या कोयले से पकाये गये हों....." । आदि जो हैं यह कैसे आ सकता है । मूल विधेयक में जो चीजें प्रोवाइड की गई थीं वह तो ईंटें और फायरवुड की बात थी लेकिन इस में यह .....

**श्री उपाध्यक्ष**---मैं समझता हूं कि इस तरह का संशोधन शिड्यूल में नहीं आ सकता । श्री गोविन्द सिंह जी के संशोधन में कुछ चीजें बढ़ाने की बात थी वैसे ही कुछ चीजें घटाने का संशोधन लाया जा सकता है, लेकिन इस तरह का प्रतिबन्ध शिड्यूल में नहीं आ सकता और यह अनियमित है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता ।

( कुछ ठहर कर )

प्रश्न यह है कि खंड ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाइज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को आगे जारी रखने का — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९४७ ।

### विधेयक

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुनर्विहित (re-enact) हुआ था, तथा — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९४७ ।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५; — उ० प्र० अधिनियम सं० २२, १९५३ ।

और उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा जारी रखा गया था, २५ जनवरी, १९५८ को समाप्त हो जायगा ; — उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८, १९५५ ।

और उक्त ऐक्ट को जारी रखन की व्यवस्था करना इष्टकर है, — उ० प्र० अधिनियम सं० ६, १९५६ ।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह २६ जनवरी, १९५८ को प्रचलित होगा और इसी दिनांक से प्रचलित समझा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७†

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता विशेषकर इसलिये पड़ी कि अभी हाल में सरकार ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में कुछ फैसले किये । बहुत दिनों से अध्यापकों की यह मांग रही है कि उनके जो ग्रेड हैं, उनमें कुछ एकीकरण किया जाय । अन्ततः सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया और यह घोषणा की कि अब तक लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स में जो तीन ग्रेड्स रहे हैं, इन को मिल-मिला कर दो ग्रेड कर दिये जायं और उसकी घोषणा भी कर दी गयी । अब तक जो ऐक्ट है उसमें यह तीन ग्रेड्स रहे हैं । तदनुसार उसमें परिवर्तन करने के लिये क्योंकि यह घोषणा कर दी गयी थी और फिर यह अध्यापकों की मांग थी कि जल्दी से जल्दी किया जाय, इसलिये अध्यादेश निकालने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि लेजिस्लेचर बीच में मीट नहीं कर रहा था । तो कुछ दिन पहले एक अध्यादेश निकाला गया जिसमें टीचर्स की इस मांग को स्वीकार करते हुये "टीचर" शब्द की परिभाषा की गयी जिससे ग्रेड का यूनिफिकेशन हो सके । साथ ही साथ उसमें यह भी मांग की गयी कि अध्यादेश से तदनुकुल जो आनुषंगिक और परिणामवाहक स्टेट्यूट में परिवर्तन करने हैं उन्हें परिवर्तित करने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले ले, क्योंकि अध्यादेश जारी हो चुका है और अब जब माननीय सदन बैठा है तो उसमें कानून के अनुसार ऐक्ट में संशोधन करने के लिये बिल लाने की आवश्यकता पड़ी । इसी के साथ-साथ चूंकि यह बिल लाना था कुछ और आवश्यक परिवर्तन लखनऊ यूनिवर्सिटी में करने का भी अवसर इससे प्राप्त हो गया, क्योंकि कुछ थोड़ी सी ऐसी धाराएं थीं जिनके सम्बन्ध में यह अनुभव हो रहा था कि इनमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है । तदनुकूल यह बिल सदन के सम्मुख आपकी आज्ञा से प्रस्तुत हुआ और आज आपकी आज्ञा से मैंने यह प्रस्ताव किया कि इस पर विचार किया जाय ।

माननीय सदस्यगण यह देखेंगे कि दो तीन मुख्य संशोधन इस बिल के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है । एक तो ग्रेड का यूनिफीकेशन है ही । अब दो ग्रेड्स हो गये--असिस्टेन्ट प्रोफेसर और प्रोफेसर के । इसी प्रकार जो दो मुख्य विषयों में संशोधन करने की चेष्टा हो रही है । एक तो यह है कि लखनऊ में जो कोर्ट का चुनाव होता है उसमें ग्रेजुएट्स की ओर से जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं वे सिंगल मेजारिटी से चुन कर आते हैं और काउंसिल के लिये जो आदमी चुने जाते हैं, पांच सदस्य कोर्ट के द्वारा, वह भी इस प्रकार से चुनाव उनका होता रहा है कि बहुमत से उनका निर्वाचन हो जाय । लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा जितनी प्रदेश में और यूनिवर्सिटीज हैं सब में इस प्रकार के चुनाव के लिये कुछ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है । इलाहाबाद में भी, आगरा में भी, गोरखपुर में भी, सब जगह उसी की व्यवस्था है । तो यह सोचा

†१२ दिसम्बर १९५७ को कार्यवाही में छपा है ।

गया कि और सब यूनिवर्सिटियों में जैसी व्यसस्था है इस प्रकार के चुनाव की वैसी व्यवस्था लखनऊ में भी कर दी जाय । तो माननीय सदस्य देखेंगे कि कोर्ट के चुनाव में जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स भाग लें और २५ प्रतिनिधि चुनेंगे उनके लिये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन कर दिया गया और कोर्ट से जो काउन्सिल के लिये पांच सदस्य चुने जाते हैं उसमें भी वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था और प्रणाली लागू करने की बात इसमें रखी गयी है ।

दूसरे एक मुख्य परिवर्तन ऐग्जीक्यूटिव काउन्सिल के सदस्यों के बारे में है । ऐक्ट के मुताबिक वाइस-चांसलर का तो टर्म बंधा हुआ है और जो टीचर्स का प्रतिनिधित्व होता है ऐग्जीक्युटिव काउन्सिल में उसकी भी ऐसी व्यवस्था है कि एक बार एक टर्म में जो व्यक्ति प्रतिनिधि होगा वह फिर दूसरे टर्म में नहीं होता, क्योंकि सीनियारिटी रोटेट करती है । लिहाजा आदमी परिवर्तित होते चलते हैं । जो सदस्य होंगे उनके सम्बन्ध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । राधाकृष्णन् कमीशन की भी यह राय थी कि ऐग्जीक्युटिव काउन्सिल का जो सदस्य हो वह तो एक टर्म के लिये सदस्य होना चाहिये और वह बराबर यह मांग रही है और उचित प्रतीत होती है कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था इसमें हो कि जिसमें एक या दो टर्म सदस्यता करने के बाद बीच में कुछ गैप हो। नहीं तो बहुत वर्षों तक एक ही आदमी ऐग्जीक्युटिव काउन्सिल के सदस्य होते चलें और जब टीचर्स वगैरह के लिये उसकी सुविधा न हो तो एक इसमें कटुता भी रहती है । इस विचार से इसमें एक संशोधन रखा गया है कि जो सदस्य चुने जायं कोर्ट के द्वारा चुने जायंगे सानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धित से और साथ-साथ वह दो सक्सेसिव टर्म्स तक मेम्बर रहने के बाद फिर तीसरी बार मेम्बर न हो सकें बिना गैप के । यह दो तो इसमें मुख्य संशोधन हैं, यूनिफिकेशन आफ ग्रेड्स के अलावा । और तीसरे जो हैं वह हैं डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग का जो प्रावीजन है हमारे ऐक्ट में वह सेक्शन ११ का सब-सेक्शन (५) और (६) । माननीय सदस्य देखेंगे कि वाइस-चांसलर को अनुसाशन का नियन्त्रण करने के लिये और उसे कायम रखने के लिये पूरी पावर है । यह पावर भी है कि जब वह एमरजेंसी समझे और आवश्यकता समझे कि कोई कार्यवाही उसे करनी चाहिये अनुशासन के नियन्त्रण की तो इसी में व्यवस्था है कि ऐसा वह कर सकता है और अपनी कार्यवाही करने के बाद ऐग्जीक्युटिव काउन्सिल को रिपोर्ट कर सकता है । इसके बीच में उसी सेक्शन ११ के सब-सेक्शन (५) और (६) में ऐसी दो उपधाराएं हैं जिसमें एक और व्यवस्था है अलग से एक कमेटी बनाने की जिसमें कि हाई कोर्ट का एक जज हो और वाइस-चांसलर और हाई कोर्ट का जज मिल कर के तीसरे को चुन लें। इस तरह से एक इन्क्वायरी कमेटी बैठे और वह डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स चलाये किसी अध्यापक के विरुद्ध, या किसी यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता के विरुद्ध । ऐसी एक व्यवस्था है । तो इस बिल में धारा ११ की उपधारा (५) और (६) को डिलीट कर देने की सिफारिश की गयी है, क्योंकि हम समझते हैं कि उसकी कोई ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । जब वाइस-चांसलर को पूरे अधिकार प्राप्त हैं तो फिर किसी दूसरी व्यवस्था का आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । प्रत्युत यह कुछ ऐसी उपधाराएं हैं जिनसे विश्वविद्यालय के अध्यापकों में एक अनावश्यक क्षोभ सा रहता है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय का वातावरण जितना कि शान्त रहना चाहिये जिससे पठनपाठन की व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके वह नहीं चल पाती है ।

मैंने इस बात की भी चेष्टा की है कि इस बात का पता चलाऊं कि अपने देश के और किसी विश्वविद्यालय में भी ऐसी व्यवस्था है, इस तरह की उपधाराएं हैं । तो जहां तक मैं देख पाया और खोज पाया और सुन पाया वह यही है कि अपने देश के किसी विश्वविद्यालय में इस तरह के प्राविजन्स नहीं हैं। सब जगहों पर वाइस-चांसलर को पूरे अधिकार दिये हुए हैं और वाइस-चांसलर को एक नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है कि जब कभी आवश्यकता हो वह स्वयं अपने अधिकार का उपयोग करे और अनुशासन की रक्षा कर सके । तो यह सोचा गया कि सेक्शन ५ और ६ को हम इस बिल से निकाल दें ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

फिर इसमें कुछ आनुषंगिक परिवर्तन हैं जैसे टीचर्स के ३-४ ग्रेड्स चलते हैं, उनको मिला कर दो कर दें, जैसा कि कर दिया है। तो उसके फलस्वरूप सम्बद्ध धारा में जिस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिये वे परिवर्तन कर दिये गये हैं। साथ ही एक परिवर्तन इस प्रकार का किया गया है जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन से सम्बन्ध रखने वाली जो धाराएं हैं, उनमें जो कांसिक्वेंशल अमेंडमेंट्स होंगे उन्हें कर दिया गया है। कुछ थोड़े से शाब्दिक संशोधन भी हैं जैसे 'कमेटी आफ कोर्सेज एंड स्टडीज" है उसके स्थान पर "बोर्ड आफ स्टडीज और बोर्ड आफ फैकल्टीज" रख दिया गया है।

एक परिवर्तन यह किया गया है कि अब तक एकेडेमिक कौंसिल और स्टैंडिंग कमेटी दोनों बनी हुई थीं। एकेडेमिक कौंसिल का एक मुख्य काम परीक्षकों की नियुक्ति इत्यादि का होता है। एकेडेमिक कौंसिल बहुत बड़ी चीज होती है तमाम डीन्स वगैरह उसमें होते हैं और तमाम एकेडेमिक मामलों पर उसमें विचार भी होता है पठनपाठन सम्बन्धी। उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी है। करीब करीब उसके भी वही फंक्शन्स हैं जो एकेडेमिक कौंसिल के होते हैं और वह भी काफी बड़ी होती है, उतनी बड़ी नहीं जितनी कि एकेडेमिक कौंसिल होती है। एक प्रकार से कार्य में ओवरलैपिंग होती है और इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि स्टैंडिंग कमेटी बीच में रहे। एकेडेमिक कौंसिल स्वयं उन तमाम कार्यों को कर सकती है और करती है और जिन कार्यों को करना उसके सुपुर्द किया गया है और जो सुझाव वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल को भेजती है वह सभी सीधे सीधे भेज द। उसके बीच में करीब-करीब उतनी ही बड़ी एक और कमटी बना कर कौंसिल बना कर काम में डुप्लिकेशन हो, इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तो उसे भी हटाने का संशोधन इसमें है और तदनुकुल जितने अमेंडमेंट्स हैं उनके लिये इसमें व्यवस्था कर दी गई है।

तो ये तीन चार बातें, इसमें मुख्य रूप से जिनको कि आवश्यक समझा गया और अनुभव से ज्ञात हुआ कि इसमें उनका परिवर्तन अपेक्षित है इस विचार से कि यूनीवर्सिटीज में ठीक ढंग से एक वातावरण उत्पन्न हो और इतने दिनों के अनुभव पर जो अन्य आवश्यकताएं प्रतीत हुईं जिससे विश्वविद्यालय में कुछ उन्नति हो सके, संशोधन के जरिये रख दी गई हैं, जिन्हें मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं कि उन पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (Lucknow University (Amendment) Bill, 1957) के संबंध में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि:—

> "लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ जनवरी, १९५८ तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।"

श्रीमन्, यह मेरे लिये बड़े गौरव का विषय है कि मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को उनके एक सही काम के लिये और एक बहुत अच्छे कार्य के लिये जो उन्होंने आज किया है कि इस बिल को सदन में लाये हैं, आपके द्वारा धन्यवाद दूं। श्रीमन्, विरोधी पक्ष का यही काम नहीं होता है कि एक चीज का विरोध करे, बल्कि जिन चीजों में विरोधी पक्ष को कोई खराब चीज दिखती है या जिनमें सुधार की गुंजायश होती है, उसका विरोध करे और वह विरोध रचनात्मक विरोध होना चाहिये, नकारात्मक विरोध से कोई फायदा नहीं है।

जहां तक इस बिल का संबंध है इसमें माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है और वह इस प्रयास के भागी हैं कि वह यह बिल लाये हैं। इस बिल को बहुत पहले आना चाहिये था। खैर देर आयद दुरूस्त आयद। अच्छा काम यदि देर से भी हो जाय तो भी अच्छा है और हमें उसकी दाद देनी होगी। अब हमें लखनऊ विश्वविद्यालय और प्रयाग विश्वविद्यालयों के बारे में जो सुनने को मिलता है या अखबारों में जो बातें प्रकाशित

होती रहती हैं उनके संबंध में मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह कोई फख्र की बात नहीं है इन विश्व विद्यालयों के कर्णधारों के लिये। यह देखा गया है कि सात लाख रुपया सालाना जो खर्च होता रहता है उसके फंड्स का काफी हिस्सा किन्हीं राजनीतिक मामलों में खर्च हो गया है इसका शक ही जनता को पैदा हो जाना क्या कोई कम लज्जा की बात है? प्रायः देखा गया है कि हमारे विश्व विद्यालय दिनों दिन राजनीति के अखाड़े बन गये हैं, व्यक्ति विशेष को पोलिटिकल फेवर करने के साधन बन गये हैं। साथ ही इस प्रान्त के या जिले के व्यक्ति विशेष के हाथ में रहे तो उन्होंने इस तरह की पोलिटिकल फेवर लोगों पर की है ताकि उनकी पावर बनी रहे उनकी जिन्दगी तक और वह खत्म न होने पाये।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान माननीय सदस्य के रिमार्क्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह न जाने किस व्यक्ति की तरफ जो हाउस में नहीं है आप संकेत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बिल के संबंध में ही बातचीत होनी चाहिये।

**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**—मैंने पार्लियामेंटरी पद्धति का ही अनुकरण किया है और कहीं गुंजायश नहीं रखी है और न किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया है कि फलां व्यक्ति है या नहीं। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। साधारण तरीके पर मैं कह रहा हूं। मैं क्या, दुनिया कह रही है।

**श्री उपाध्यक्ष**—यह विधेयक जो सामने है उसके सिद्धान्तों पर बहस करना है इस लिये खंडों पर ही सीमित रहने के लिये किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई आपत्तिजनक बात नहीं कहनी चाहिये। उन लोगों का नाम जो यहां मौजूद नहीं है, पेश नहीं करना चाहिये।

**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**—श्रीमन्, वह रिपोर्ट मौजूद है, अगर नाम मिल जाय... शायद माननीय मंत्री जी को विरोधी पक्ष की ओर से मुबारकबाद दिया जाना भी अखरता है।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—क्या आपने यह सोचा था कि मुबारकबाद देकर जो चाहेंगे अंड बंड कहेंगे?

**श्री उपाध्यक्ष**—अब वह प्रश्न समाप्त हो गया।

**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**—मैं यह कहने जा रहा था कि जो तरमीमात इस बिल में पेश की गयी हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसा न हो कि जैसे पहले सन् १९५५ में तरमीम की, फिर सन् ५६ में की। इसलिये अगर इसके पूरे अंगों पर भलीभांति विचार न हुआ हो तो अभी और तरमीमात की जरूरत है और आवश्यक है कि इस पर ठंढे दिल से विचार विमर्श हो। इसलिये जरूरी है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

पुराने ऐक्ट के आधार पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में यह कहा जाता था कि वहां इस बात पर नौकरियां नहीं दी गयीं कि कोई विद्वान् है या योग्य है, बल्कि इसलिये दी गयीं कि वह किसी विशेष जाति या बिरादरी का है। यहां तक कहा जाता है कि एक साहब वहां टीचर एप्वाइंट किये गये जो किसी योग्य नहीं थे और उनके एक भाई को फैकल्टी आफ आर्टस् का ठेका दिया गया। अभी भी वह बिल्डिंग बन नहीं पायी, लेकिन ठेका कैंसिल नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष**—आपने परिधि बढ़ाने का कोई संशोधन पेश नहीं किया है। इस लिये जो बातें इन खंडों से सम्बन्धित हों वही कहें। आप जो भाषण कर रहे हैं यह किस खंड से संबंधित है?

**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**—यह टीचर्स के एप्वाइंटमेंट से संबंधित है। मेरा कहना यह है कि टीचर्स जो एप्वाइंट हों वे योग्यता के आधार पर हों जाति के आधार पर न हों कि किसी खास खान्दान में पैदा हुये इसलिये रख लिया जाय या फलां को वोट देगा इसलिये

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

रख लिया जाय। जैसे, श्रीमन्, एग्जीक्युटिव कौंसल है उसके संगठन के बारे में इसमें दिया हुआ है। एकेडेमिक कौंसिल है, उसके गठन की बात भी इसमें आयी है। आज तो सिंगिल नान-ट्रांसफरेबिल वोट, प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन से भरे जाने की बात है। जब तक यह बात नहीं थी तो होता यह था कि १०–२० वोट का फर्क रहता था। जिस पार्टी के २० वोट ज्यादा होते उसके तो ११ सदस्य कौंसिल में होते और जिसके २० वोट कम होते उसके केवल २ ही सदस्य रह जाते। आज सरस्वती का जो मंदिर है वह पढ़ाई स्थान न बन कर राजनीतिक अखाड़ा मात्र बन गया है और टीचर पालिटीशियन भी इससे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि ज्यादा काम करके तो कोई तरक्की होती नहीं अन्वेषण करते करते चाहे मर जाओ, लेकिन कोई तरक्की होने की नहीं तो उन्होंने राजनीति में बड़े बुजुर्गों का अनुकरण किया और यूनिवर्सिटी में टीचर पालिटीशियन्स की बाढ़ आ गई। इससे शिक्षा का स्तर रसातल को चला गया। आपकी आज्ञा से इस संबंध में मैं कुछ अंश श्री राधाकृष्णन के यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट का पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :—

"The success of teacher politicians who manipulate elections and get for themselves and their friends lucrative positions in the Universities is largely responsible for the deterioration of the morals of teachers and of the academic standards of the Universities."

तो, श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि टीचर पालिटीशियन्स की बाढ़ का नतीजा यह हुआ कि पढ़ाई खिलाई चौपट हो गई। लड़कों ने इसका अनुकरण किया। वह तो बन्दर के स्वभाव के होते ही हैं। वह भी राजनीति में भाग लेने लगे। उसका नतीजा वह अनुशासनहीनता हुई, जिसका जिक्र आप आज कल रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो इसकी जड़ है एक्जीक्यूटिव कौंसिल का फार्मेशन। हमें खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इसको दुरुस्त कर दिया है, लेकिन जितना किया है वह काफी नहीं है। उसमें और गुन्जायश है जिससे मैं फिर अर्ज करूंगा।

श्रीमन्, अगर आप मूल ऐक्ट को देखेंगे तो उसके प्रिएम्बल में लिखा हुआ है कि इसका यूनिटरी फार्म होगा। और इसके आगे की एक धारा है, मूल अधिनियम की, शायद ४६, जिसमें लिखा है कि यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन हाल से साधारणतया यूनिवर्सिटी के किसी कालेज की या उसके अंग की दूरी १० मील से अधिक नहीं होनी चाहिये। तो इन दो चीजों को एक में मिलाकर देखने में एक चीज साफ नजर आती है कि ऐक्ट की मंशा एक इकाई के संगठन की है।

श्रीमन्, यहां एक एसोशियेटेड कालेज, मेडिकल कालेज रखा गया है, एक कानपुर में है, और कैनिंग कालेज आदि एसोशियेटेड कालेजेज हैं, तो यह बात इकाई की भावना को खत्म करती है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर हम यूनिटरी फार्म रखते हैं तो उन कालेजेज का एफीलियेशन या एसोशियेशन दूर करना पड़ेगा। जैसा कि किसी एक दूसरी धारा में दिया गया है कि अन्यत्र भी हो सकते हैं। वरना इसमें तरमीम करने की जरूरत पड़ेगी और यूनिटरी फार्म खत्म करना पड़ेगा। इसमें हर चीज को आप देखेंगे तो उतावली में इस ऐक्ट के अन्दर संशोधन करने से यह बात नहीं हो पायेगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि असोशियेटेड कालेज जो हैं वह नाममात्र को असोशियेट हो जाते हैं। उनका जो मैनेजमेंट होता है वह यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं होता है। वहां पर जितनी रुपये की व्यवस्था है और टीचरों को जो तनख्वाह वगैरह दी जाती है उस पर यूनिवर्सिटी का कोई कंट्रोल नही होता है। यूनिवर्सिटी में वह अपना प्रतिनिधि भेज सकते ह बस इतना ही है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अन्डर ग्रेजुयेट कालेजेज को और यूनिवर्सिटी को दोनों को समान लेविल पर रख देना क्या ठीक हो सकता है। तो यूनिटरी क विरुद्ध यह भी मिलिटेट करता है।

जहां तक तनख्वाहों का प्रश्न है, इन कालेजेज के बारे में डा० राधाकृष्णन् ने कहा है कि तब तक अच्छे टीचर नहीं हो सकते जब तक कि उनको कम से कम २०० से ४०० रु० का ग्रेड नहीं दिया जायगा। अगर वह बी० ए० को पढ़ाता है तो उनको २०० से ५०० रु० का, लेक्चरर को ४०० से ६०० रु० तक और रीडर्स को ८०० रु० से १००० तक का ग्रेड देने के लिये उन्होंने कहा है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के अन्दर ऊंचा स्तर रखना चाहते हैं तो आप उनको इस तरह से अच्छे ग्रेड दीजिये जिस से अच्छे टीचर वहां जा सकें। और यूनिवर्सिटी के लेविन पर काम कर सकें। प्रायः यह कहा जाता है कि अच्छे टीचर वहां नहीं जाते हैं। यह देखा भी जाता है कि शिक्षा विभाग में अच्छे विद्यार्थी नहीं जाते हैं। वह आई० ए० एस० या दूसरी जगह चले जाते हैं जो किसी काम के नहीं रह जाते हैं वह फिर शिक्षा विभाग में जाते हैं। यह इसलिये होता है कि उनकी तनख्वाहें कम हैं और काम उनको ज्यादा करना पड़ता है। राष्ट्र का निर्माण हमें करना है। राष्ट्र के कर्णधार हमें बनाने हैं और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि हमें पैदा करने हैं। उसके लिये यह जरूरी है कि जो राष्ट्र के निर्माता हैं, जो शिक्षक हैं, उनको इतनी तनख्वाह मिले जितनी कि हम अन्य विभाग के लोगों को देते आये हैं.....।

**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)—मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि असोशियेटेड कालेजों के टीचरों का रिप्रेजेन्टेशन इसमें दिया गया। वह विषय इस समय सामने नहीं है। तो क्या माननीय सदस्य इसके बाहर नहीं बोल रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष**—उनका कहना है कि यह बिल अधूरा है। इसको व्यापक रूप से आना चाहिये। वह कमी वे इसमें समझते हैं। इसलिये वैधानिक प्रश्न नहीं उठता।

**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**—इसमें ग्रेड के सवाल को लेकर यह बिल सामने रखा गया है और ग्रेडस् को बदला गया है। इसीलिये मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं।

इसमें डा० राधाकृष्णन् ने प्रोफेसर, लेकक्चरर और रीडर को माना है, लेकिन हमारे मन्त्री जी ने इसमें दो ही विभाजन किये हैं और उसके लिये दो ही ग्रेड रखे हैं। इसका नतीजा क्या होगा, यह तो कालान्तर में पता लगेगा, लेकिन इस समय हमारे अध्यापकों को इस बात में ही संतोष हो गया है और उनके लिये यह बड़ी खुशी की बात है।

अब जितने भी ऐसोशियेटेड कालेजेज हैं वे भी यूनिवर्सिटी से ही ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कौंसिल में वे भी अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। यूनिवर्सिटी वहां के विद्यार्थियों को भी डिग्री देगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगी, यह नहीं कहा जायगा कि यह कान्यकुब्ज कालेज की डिग्री है, वह तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिग्री ही कही जायगी। इसलिये मेरा कहना यह है कि एक प्रकार के टीचर्स ही रक्खे जाने चाहिये, क्योंकि एक विद्यार्थी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिग्री पायेगा वह अच्छे टीचर से पढ़ कर आयेगा और दूसरा नहीं, इसीलिये शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस असमानता को दूर किया जाना चाहिये। या तो आप यूनिटरी सिस्टम रक्खें या एक ही प्रकार का प्रबंध दोनों के लिये करें।

इस संशोधन विधेयक में सबसे वेलकम चेंज यह किया गया है कि किसी एक ही शख्स की स्थायी गद्दी को तोड़ दिया गया है। इसका न सिर्फ मैं ही स्वागत करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे और अध्यापक लोग इसकी भरि भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। सन् १९५५ के पहले ऐसी व्यवस्था न थी। लेकिन सन् १९५५ में जब चुनाव नजदीक आने लगा तो यूनिवर्सिटी को जंपिंग ग्राउण्ड बनाया गया इलेक्शन्स का, जिससे अगर किसी को किसी पोस्ट पर रखना हो रख दिया जाय। उसके

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

लिये कुछ अधिक ताकतों की जरूरत थी। इसलिये कुछ तरमीमात इस खयाल से की गयीं कि एक आदमी की पूरी हस्ती रहे जिससे वह जिस आदमी को रखना चाहे रख सके। उनका कार्यकाल भी अनिश्चित था और वह बराबर एक टर्म से दूसरे टर्म को कंटीन्यू करता था।

दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी फंड्स के बारे में भी शिकायतें थीं। पिछली आडिट रिपोर्ट पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। आखिर सरकार लखनऊ यूनिवर्सिटी को ६० लाख रुपया के करीब देती है, उसका पाई पाई का हिसाब ठीक तरह से रक्खा जाना चाहिये, उसको यह भी देखना चाहिये कि उस रुपये का ठीक इस्तेमाल होता है या नहीं, लेकिन इसकी सरकार खबर नहीं रखती। आडिट रिपोर्ट पर किसी ओर से भी कोई तवज्जह नहीं दी गयी। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गरीब आदमी की पसीने की कमाई का वह रुपया जो उससे टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है उस कमाई का क्या इस्तेमाल हो रहा है? अगर इसकी तरफ तवज्जह नहीं दी गयी है तो मैं माननीय मंत्री जी से बाअदब, बड़ी नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि एक कमीशन बैठाया जाय जो इस बात की जांच करे कि पिछले ८, १० सालों में जो हमारा इतना रुपया खर्च हुआ है उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं और आडिट आब्जेक्शन जो लगा है उस पर अमल किया गया है या नहीं।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं अर्ज करूंगा और बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गौर करेंगे कि जहां उन्होंने इतनी जहमत फरमायी है, इतनी कृपा और करेंगे। श्रीमन्, यह जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पुनर्गठन की बात जो इस संशोधन में रखी गयी है, जाहिर है कि पहली मर्तबा कुछ थोड़े से पदेन अधिकारियों के अलावा जो कि ३ हैं, कुछ लोगों को मौका दिया गया है कि वे सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के द्वारा उसमें जा सकें। श्रीमन्, इसमें डीन आफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के होने की बात रखी गयी है, वह ठीक नहीं है। जब एक बार इस चीज को ठीक समझा गया है कि टीचर जो उसमें हों वे भी निर्वाचन के द्वारा ही रखे जायं तो आखिर वे भी टीचर ही हैं, फिर उनके लिये एक विशेष व्यवस्था होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल के निर्माण में डीन आफ फैकल्टीज पदेन होते हैं। हमारे यहां दो एसोशियेटेड कालेज हैं। एक तो लखनऊ मेडिकल कालेज है और दूसरा कानपुर का मेडिकल कालेज है। एसोशियेटेड कालेज का प्रिंसिपल भी एक्जीक्यूटिव कौंसिल में रखा गया है। तो इन दोनों कालेजों के बारे में यह होगा कि घड़ी के पैंडुलम की तरह से कभी प्रिंसपल की हैसियत से और कभी डीन आफ फैकल्टी की हैसियत से दोनों बराबर एक्जीक्यूटिव कौंसिल में बने रहेंगे। कभी डीनशिप कानपुर चली आयेगी, कभी यहां चली आयेगी। कभी यहां के डीन प्रिंसपल हो जायंगे, कभी यहां के डीन प्रिंसपल हो जायंगे। इस तरह से हमेशा वे इसमें बने रहेंगे। सबसे बड़ी खराबी इसमें यह है कि जब वे टीचर की हैसियत से आते हैं तो निर्वाचन के जरिये क्यों नहीं आवें। श्रीमन्, जहां तक कि डीन आफ स्टूडेन्ट्स वेलफेयर की बात है इसका जिक्र सन् १९५५ से ही होता आ रहा है लेकिन अभी तक उस जगह पर किसी का एप्वाइंटमेंट नहीं हुआ। इंटरव्यू भी हुआ, अच्छे अच्छे आदमी भी आये, लेकिन मालूम होता है कि एप्वाइंटिंग अथारिटी जो शायद एक ही गुट की थी उसकी पसन्द के कैंडिडेट नहीं आये, हालांकि जितने क्वालिफिकेशंस रखे गये थे, उनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन के लोग आये, लेकिन चूंकि वे उनकी पसन्द के आदमी नहीं थे इसलिये उनको नहीं रखा गया। जहां तक डीन आफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के नामांकित करने की बात है, वे तो सरकार के नौकर होंगे, फिर उनको क्या हक है कि वे निर्वाचित सदस्यों के बराबर ताकत रखें? जो टीचर एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आवें, अगर जरूरी हो तो एक अवधि रख दी जाय कि कम से कम इतने वर्ष तक वह यूनिवर्सिटी में काम किये हुए हों। यह चीज तो मैं मान सकता हूं, लेकिन यह चीज बिलकुल प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है कि आप इस तरह के बाडी में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को लायें और हमेशा किसी व्यक्ति विशेष का वहां गुट बनने दें। इसके अलावा मंत्री जी एटोनामी की बात करते हैं लेकिन वह एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। जिस तरह से सेक्शन १९ की उपधारा (३) में प्राविजन है

मूल अधिनियम की कि जो निर्वाचन से आयेंगे वह तीन साल रहेंगे, लेकिन जो वैसे आयेंगे उनके लिये ३ साल की मुमानियत नहीं है। मैं चाहता हूं कि चाहे निर्वाचन से आये हों या कोई पदेन हों सबके लिये ३ साल की मुमानियत होनी चाहिये इसको जरूर रखा जाय।

इसके अलावा इसमें यह है कि टीचर्स पालिटीशियन भी नहीं रहने पायेंगे, वह भी छुट्टी पा जायंगे और वही जो पुराना विशस सर्किल है वह बना रहेगा, वहां उसी तरह से अखाड़ा जमा रहेगा जिस तरह से रोम में बैल से लोग लड़ते थे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इन सब पर बैठकर ठंडे दिल से सेलेक्ट कमेटी में विचार कर लें कि एक्स-आफिशियो सदस्य का कार्यकाल कितना होगा और इतना वैसे आने वाले सदस्यों का होगा और इसमें जो कार्यकाल में अन्तर किया गया है उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। इसी सिलसिले में डीन्स वगैरह के निर्वाचन का प्रश्न है, प्रोवोस्ट का एडीशनल प्रोवोस्ट का सवाल है, वोट कौन दे सकेगा, जनरल बाडी का हर एक मेम्बर देगा या कैसे होगा? ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि वहां पर आसानी से विचारों का आदान-प्रदान होकर तय हो जायंगे। अगर मंत्री जी वैसे ही मानने को तैयार हों तो मैं वापस लेने को तैयार हूं।

दूसरी बात यह है कि दफा १२ (५) में मूल अधिनियम में कोषाध्यक्ष को वाइस-चांसलर से ज्यादा पावर देने की बात है, यह उपधारा बिलकुल बेमानी हो जाती है। इस से हम शिक्षकों का, शास्त्रियों का और अभिभावकों का किसी का भला नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरे उपखंड में जो ६ साल की टर्म का प्राविजन है वह ३ वर्ष का होना चाहिये। सब की अवधि ३ वर्ष की रहे, चाहे वह वाइस चांसलर की हो, ट्रेजरर की हो या एग्जिक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर की हो। इस तरह से सब जगह एक सी बात ठीक रहती है। श्रीमन्, इससे आगे अगर हम मूल अधिनियम को देखें तो तीन तरमीमात की जरूरत है। धारा २० में, सब सेक्शन (ई) में है "Subject to the provisions of the act.....

**श्री उपाध्यक्ष**—इस प्रस्तावित विधेयक में धारा २० में कोई संशोधन किया गया है? नहीं किया गया है, तो अगर आप यह संक्षेप में बताना चाहते हैं, किसी मानी में विधेयक में क्या क्या खामियां हैं, तो आप संक्षेप में जबानी कह दें, लेकिन जिन धाराओं को स्पर्श तक नहीं किया गया है उनको आप पढ़ना शुरू करें इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है?

**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**—श्रीमन् की आज्ञा शिरोधार्य है। मेरा मतलब यह है कि धारा २० (ई) में वजीफा दिया जाना, (जी) में परीक्षकों की नियुक्ति और (एच) में जो ऐशो-शिएटेड कालेजेज हैं उनके निरीक्षण करने की व्यवस्था है। श्रीमन्, आगे सेक्शन २१ में अके-डेमिक काउंसिल की राय उन मामलात में लेना जरूरी हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि धारा २० में भी यह जरुरी है कि (ई), (जी) और (एच) सब सेक्शंस के आगे जोड़ दिया जाय कि इन मामलों में अकेडेमिक काउंसिल की राय लेना जरूरी है। खुद यह ऐक्ट की ऐनामली है। इसको हमें दूर करा देना चाहिये। नहीं तो आज एक विधेयक लाये, कल को फिर फील हुआ कि अनामलस पोजीशन हो गयी, दो रायें एक दूसरे से मिलीटेट करती हैं। इसलिए (ई), (जी) और (एच) में २१ वीं धारा के मुताबिक तरमीमात जरूरी हैं ताकि दोनों का समन्वय हो जाय।

जहां तक इन यूनिवर्सिटीज का ताल्लूक है यह तरक्की करें और इन में विद्यार्थी ऊंची से ऊंची शिक्षा पा सकें और इसके लिये इसमें कुछ ऐसा विधान होना चाहिये कि यूनिवर्सिटी कम से कम इतने दिन काम करे। प्रायः यह देखा गया है कि हमारे कालेजेज और यूनिवर्सिटीज के वर्किंग डेज बहुत कम होते हैं। राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो साल में केवल १२० दिन ही यानी साल का तीसरा भाग ही काम करती हैं और बाकी दो तिहाई छुटिटयां हाती हैं। हमारा मुल्क गर्म हाने के कारण यहां गर्मी में दस हफ्ते की छुटटी देनी पड़ती है क्योंकि भीषण गर्मी में काम नहीं हो सकता, लेकिन शेष जो ४२ हफ्ते रह जाते हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये। इसके लिये डा० राधाकृष्णन् कमेटी का सुझाव

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

यह है कि ११, ११ हफ्ते के तीन टर्म्स रखी जायं। तो कम से कम ऐसी मनमानी छुट्टियां तो न दे सकें, जिससे शिक्षण का स्तर गिर जाय, विद्यार्थी कुछ हासिल न कर सकें और साल भर छुट्टियों में ही बीत जाय।

राधाकृष्णन् कमेटी ने सुझाव दिया है कि १८० दिन का टर्म कम से कम होना चाहिये यूरोप में और दूसरी यूनिवर्सिटीज को कम्पेयर करके देखते हैं तो १७२ से १८० का औसत पड़ता है, हावर्ड कालेज और दूसरे कालेजों में। जब तक हम ऐसा कोई प्राविजन न कर दें कि यूनिवर्सिटी इतने दिन तक खुलें या इस ऐक्ट में ऐसा आदेश न दे दें या इशारा न कर दें कि यूनिवर्सिटीज के आर्डिनेंस इसको देखते हुए बनें तबतक आज तक जैसा अनुभव है कि ज्यादा दिन तक यूनिवर्सिटीज बन्द रहती हैं, यह चलता रहेगा। आज हमारे लिये मौका है। उस बात को हम दूर कर दें। इस यूनिवर्सिटी का एक विशेष महत्व यह रहा है कि इसके साथ एक मेडिकल कालेज अटैच्ड है और उस मेडिकल कालेज का हाल यह है कि वहां उतने बेड्स नहीं हैं, उतने साधन नहीं हैं, जितने कि विद्यार्थी वहां भरती किये जाते हैं। मैं यह मानता हूं कि लाचारी दरजे बहुत बार भरती करनी पड़ती है, क्योंकि ज्ञान पिपासा या प्रोफेशनल ट्रेड को सीखने की इच्छा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और प्रान्त की आबादी भी बढ़ गई है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़नी भी चाहिये। तो जरूरत यह है कि एक विद्यार्थी पर कम से कम १० बेड्स होनी चाहिये। इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिये। जैसी वर्तमान परिस्थिति लखनऊ मेडिकल कालेज की है उसके हिसाब से १०० से अधिक विद्यार्थी भरती नहीं किये जाने चाहिये। अगर किये जाते हैं तो उनका समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। सामान्य विद्यार्थी भी जिस तरह से पढ़ते हैं उनकी संख्या भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये ३ हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यह सुझाव मैं डाक्टर राधा कृष्णन् का आपको बता रहा हूं। लेकिन परिस्थितिवश और लोगों के दबाव के कारण ज्यादा रखने पड़े तो उससे स्तर गिरता जा रहा है।

सेमीनार की व्यवस्था ऐक्ट के मुताबिक समुचित नहीं है। ऑक्सफोर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों में एक विद्यार्थी टीचर के पास जाता था, उसके कान्टेक्ट में आता था, कहीं कहीं दो दो आने लगे। लेकिन यहां कहीं, कहीं तो सेमीनार की व्यवस्था नहीं है और है भी तो २५, २५ विद्यार्थी बैठते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि टीचर के कान्टेक्ट में आ नहीं पाते, जिसकी कि हर विद्यार्थी के लिये, जो इंटर पास करके यूनिवर्सिटीज में आते हैं, आवश्यकता है उसके मानसिक विकास के लिये। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये इस ऐक्ट के मुताबिक।

यूनिवर्सिटी को समुचित रूप से चलाने के लिये फाइनेंसेज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिये भी ऐक्ट में प्रोवीजन होना चाहिये वरना सब फार्स है। अगर यह नहीं होता तो हम लोग ऐसे आदमी नहीं पैदा कर सकते, जैसे डाक्टर रमन या और विद्वान् हुए हैं, जिनकी कि देश को सदा आवश्यकता है और रहती है। क्वालिटी की तरफ ध्यान जाना चाहिये। आज तो यह देखा जाता है कि किस विश्वविद्यालय से ज्यादा लड़के पास हो कर निकलते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनको ग्रान्ट मिलती है लम्प सम में पठन पाठन के लिये, लेकिन बाद में कहा जाता है कि रिसर्च के लिये भी इसी में से ऐप्रोप्रियेट कर लो। तो विश्वविद्यालय के दो फाइनेंसेज हों, एक तो पठन पाठन के लिये और दूसरे रिसर्च के लिये। वरना अगर एक ही में से काम किया जाता है तो लड़कों का स्तर गिरता है पढ़ाई का होस्टल ऐकोमोडेशन नहीं मिलती और बहुत सी बातों की कमी रह जाती है। होना तो यह चाहिये, जैसा कि डाक्टर राधाकृष्णन् कमीशन ने भी कहा है, कि हर ब्रान्च में फैलोशिप होनी चाहिये रिसर्च की, जिसका प्रबन्ध यहां नहीं है। तो पठन पाठन के लिये और रिसर्च के लिये अलग अलग प्रोवीजन होने चाहिये और विश्वविद्यालय के फाइनेंसेज पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो, उनकी अच्छी तरह से जांच की जाय, और जो आडिट रिपोर्ट हो उसक अनुसार अमल भी किया जाय।

तो यह न हो कि वह आडिट रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में पड़ जाय और किसी काम की न रहे । इन शब्दों के साथ में अधिक समय न ले कर यह अर्ज करूंगा कि बिल पर पूरा प्रकाश पड़ सके, इसके लिये इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और १५ जनवरी तक वह अपनी रिपोर्ट दे दें ।

श्री रामरतन राय (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट एक मास के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे । प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद को दिये जायंगे ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---प्वाइंट आफ आर्डर, सर । यह जो संशोधन है इसकी शब्दावली इस प्रकार है, "लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।" मुझे शब्द "परिधि बढ़ाने" पर आपत्ति है । मैं यह जानना चाहता हूं कि परिधि बढ़ाई जाय इससे उनका क्या तात्पर्य है । दूसरा विधेयक लाया जाय या किसी धारा विशेष की परिधि बढ़ाई जाय । मैंने मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस को देखा है । उसमें यह है कि संशोधन ऐसा होना चाहिये कि जो स्पेसिफिक हो । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट को अवैध घोषित किया जाय । आपकी आज्ञा से मैं यह पढ़ना चाहता हूं ।

मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ३६७ पर यह लिखा हुआ है :

"Any amendment moved to an instruction must be strictly relevant thereto and must be drawn in such a shape that if accepted the question as amended would retain the form and effect of an instruction."

श्री उपाध्यक्ष---परिधि बढ़ाने के बारे में बतलाइए ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---वह भी पढ़ रहा हूं । वह इस प्रकार है पृष्ठ ३८१ पर :

"No amendments will be allowed which are in consistent with the provisions of the Bill which have been considered by the House. An amendment on consideration of a Bill, as amended, to leave out its only effective clause is not in order."

श्री उपाध्यक्ष---आपने जो उद्धरण पढ़े मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से उसमें यह कहां है कि स्कोप के बारे में संशोधन में ही वर्णन हो जाना चाहिये । उनका एक अमेंडमेंट यह है कि संयुक्त प्रवर समिति को यह विधेयक सुपुर्द किया जाय और दूसरा अमेंडमेंट परिधि बढ़ाने का है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---किस धारा में चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---यह वे अपने भाषण में बतलायेंगे, लेकिन किसी कानून या पद्धति के मुताबिक यह लाजमी हो कि उसी क्लाज में दे दिया जाय, ऐसी कोई परम्परा हो तो उसे आप प्रस्तुत करें । कौन-कौन सी परिधि बढ़ें, किन-किन विषयों में बढ़े या खंडों में बढ़े इसे वे आगे अपने भाषण में बतलायेंगे । अगर अब भी आपकी शंका का समाधान न हुआ हो तो आप मुझे दिखलाइयगा, आगे व्यवस्था हो जायगी ।

*श्री रामायण राय--मेरे संशोधन के विषय में जो अभी आपत्ति उठाई गई और जिस पर माननीय उपाध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था भी दे दी, मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इससे पहले शायद माननीय सदस्य को ऐसा कोई अवसर नहीं मिला विचार करने का। कोई भी ऐसा बिल नहीं होता, जिस पर इस तरह का संशोधन न आया हो। पिछले बिलों को देखेंगे तो उनको ज्ञात हो जायगा कि आम तौर से ऐसे ही संशोधन आया करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर बैठ जायं। उनका कहना यह है कि वह मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में ऐसी वस्तु दिखा सकेंगे, जिसमें लिखा हुआ हो कि जब किसी विधेयक की परिधि बढ़ाने का संशोधन पेश किया जाय तो किन-किन बातों में परिधि बढ़ाई जाय वह संशोधन में दे देना चाहिये। आज वह इसको दिखाने में असमर्थ रहे। इसलिये अगर वह आगे दिखा सकेंगे तो इसकी गुंजायश आगे हो सकती है।

श्री रामायण राय---श्रीमन्, मैंने जो संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका असली कारण यह है कि मेरा अपना ऐसा खयाल था कि जो बिल हमारे सामने आयेगा उसमें बहुत सारी बातें जो आज के पहले इस सदन में कही जा चुकी हैं, यूनिवर्सिटी एजूकेशन के संबंध में, इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में, आदि बातों के ऊपर विचार किया गया होगा और उसका समाधान हमारे सामने लाया जायगा, लेकिन जब हमने इसे ध्यान से पढ़ा तो ऐसा मालूम होता है कि जल्दी में या आधे मन से इस बिल को हमारे सामने लाया गया। खैर, जो भी अवस्था रही हो इस बिल के पीछे, लेकिन इसमें बहुत सी अच्छी बातें भी हमारे सामने आई हैं, उनके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दे देना चाहता हूं।

जहां तक लखनऊ यूनिवर्सिटी का संबंध है, यहां करीब ५-६ बातों पर बहुत चर्चा रही। सब से पहली बात अनुशासन समिति को भंग कर देने के संबंध में थी। इसकी बराबर मांग की जा रही है और नाना प्रकार से चर्चा होती रही है कि यह व्यर्थ है और इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। दूसरी चीज स्टैंडिंग कमेटी की थी जो एकेडेमिक कौंसिल की थी और इसको भंग करने की बात थी और तीसरी यह कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कोई भी सदस्य एक बार से अधिक लगातार सदस्य न हो सके। इसके लिये अध्यापकों द्वारा या इसके शुभचिन्तकों द्वारा बराबर मांग की जाती रही है।

चौथी बात जो बहुत महत्त्वपूर्ण है और उसकी ओर मैं सदन का ध्यान भी दिलाना चाहूंगा। वह अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में है कि कितना हाथ उनका यूनिवर्सिटी एजूकेशन में हो और इसके लिये कितना उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये, यह बड़े महत्व की बात थी और इस पर चर्चा होती रही। वायस चांसलर और कोषाध्यक्ष के कार्यकाल के संबंध में चर्चा होती थी और चुनाव पद्धति पर भी चर्चा होती थी। मंत्री जी ने इस बिल को सदन के सामने रखते हुए यह कहा कि हमने कई बातें जिनको आवश्यक समझा मान लिया है और बिल के उद्देश्य में उन्होंने लिखा है कि अध्यापकों की अनवरत मांग के कारण ही यह परिणाम हुआ कि हमने यह बिल सदन में प्रस्तुत किया। बहुत सफाई के साथ उन्होंने इस बिल के पीछे जो बात है उसको मान लिया है। हम चाहते थे कि यह बिल शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये लाया जाता और इस बिल के अंदर उन तमाम बातों का प्रावीजन होता, जिनके ऊपर पिछले जमाने में बड़े-बड़े शिक्षा विशारदों ने चर्चा की है, लेकिन वह हमें देखने को नहीं मिलती। कुछ बातें जरूर हमारे सामने आई हैं जिनकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने पहले ही कर दी। स्वाभाविक है कि जिन लोगों के सामने बहुत सारी समस्या थी, उन्होंने थोड़ी कठिनाई हल होती देखी तो उनको प्रसन्नता होती है, लेकिन जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं ऐसा समझता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी भी जो मौजूदा बिल है इसमें अध्यापकों को जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उससे मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है । मूल उद्देश्य से मेरा तात्पर्य है विश्वविद्यालयों की शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों का महत्व । कहां तक अध्यापकों को यह अधिकार और अवसर मिलता है कि वे यूनिवर्सिटी शिक्षा में कुछ अपना सक्रिय योगदान कर सकें । आज जो हालत है वह एक अजीब सी हालत है । लखनऊ यूनिवर्सिटी का निर्माण अंग्रेजी काल में हुआ और अंग्रेजी हुकूमत का एक खास ढांचा हुआ करता था चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र रहा हो या मालगुजारी का क्षेत्र रहा हो, हर जगह एक खास ढांचे से अगर उसे मैं नौकरशाही कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी, काम किया जाता था । उसका प्रतिबिम्ब हमको खास कर लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में देखने को मिलता है । हमको देखना यह है कि उस दिशा में इस बिल ने कहां तक सहायता की है । जब इस दिशा की तरफ मैं ध्यान देता हूं तो इच्छा होती है कि मंत्री जी से मैं निवेदन करूं कि और अधिक नहीं तो एक छोटा सा संशोधन वे मान लें जिससे सम्भव है कि कम से कम आज की समस्याएं बहुत कुछ हल हो जायंगी । यों तो मैं यह चाहता था कि इस के सारे पहलुओं पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाता और एक बहुत विस्तृत बिल हमारे सामने आता जिसमें सारे सवालों का हल हो जाता, लेकिन यदि वे एक छोटा सा संशोधन भी मान लें जिसकी चर्चा जब उसका समय आयेगा तब मैं करूंगा . . . .

**श्री उपाध्यक्ष**—आप विषय तो बता दीजिये । अभी से गौर वे करेंगे ।

**श्री रामायण राय**—वह मैं बता रहा हूं । मूल अधिनियम की धारा १९ में जो यह प्राविजो है :

"That any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (VIII) or (IX) of sub-section (1) shall not be eligible for election or nomination for the third term in succession."

इसके स्थान पर मैं चाहता था कि यह रख दिया जाय:—

"Provided that no person who has been a member of the Executive Council under item (VIII) or (IX) of sub-section (1) or an ex-officio member shall be eligible for election or nomination for a second term in succession."

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—क्या कोई अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं आप ?

**श्री रामायणराय**—जी नहीं । मैं इसके ऊपर सामान्य चर्चा ही कर रहा हूं और इधर आपका ध्यान दिला रहा हूं । तो, श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले ही आपके सामने निवेदन किया कि जो बिल हमारे सामने है इसके द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और उसमें काम करने वाले लोगों का काफ़ी हद तक भला नहीं होगा, लेकिन जो मूल प्रश्न है अध्यापकों के प्रतिनिधित्व का उधर मैं बार-बार मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । अभी भी केवल दो आदमियों का प्राविजन आपने कर रखा है । हमारा ऐसा खयाल था कि इसके स्थान पर अगर ७ अध्यापक कर दिये जाते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसमें जो अधिकारी हैं उनमें बहुत से कुलपति द्वारा नियुक्त किये जायंगे । नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह सारे लोग कुलपति द्वारा नियुक्त होते हैं इसलिये प्रजातांत्रिक ढंग पर काम नहीं कर पाते । कुलपति की इच्छानुसार वह काम करते हैं । इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक बनाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि इस में अध्यापकों की संख्या २ के बजाय ७ होनी चाहिये । ऐसा करने से हमारी कठिनाई काफी हद तक हल हो सकती है । मेरा अपना विचार है कि इस बिल के खंड ११ के उपखंड २ के बाद एक नया खंड और जोड़ दिया जाता, जिसक लिये मैंने

[श्री रामायण राय]

संशोधन भी दे रखा है । उसको रखने का मेरा एक ही तात्पर्य था कि जो भी स्टैट्यूट बनें वह हमारे सामने भी आने चाहिये । उन पर सदन को भी गहराई और निश्चिन्तता के साथ विचार करने का अवसर मिलना चाहिये । जिस रूप में यह है उसमें सदन को अवसर नहीं मिलता, इसलिये आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे इस अभाव को भी दूर करायें ।

ऐसा लगा कि माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि शिक्षा का स्तर बढ़े यह उनकी उदारता है, लेकिन इसके लिये उनको समय निकालना होगा और शिक्षा विशारदों से सलाह लेकर वह कोई ठोस कार्यक्रम हमारे सामने रखें तभी इस दिशा में कुछ कल्याण हो सकता है । मैं इस से अधिक अपने संशोधन के संबंध में नहीं कहना चाहता । अध्यापकों द्वारा जो इस बिल का स्वागत हुआ है उसको देखते हुए मैं नहीं चाहता कि इसमें अधिक समय लगे । मेरा विचार है कि जिस रूप में यह बिल है उसमें यदि हमारे छोटे मोटे संशोधन माननीय मंत्री जी मान लें, तो अच्छा होगा । मैं इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज कर अधिक समय नहीं खराब कराना चाहता । मुझे आशा है और जैसी मंत्री जी की इच्छा है भविष्य में अधिक अच्छा बिल लाने की, उसको देखते हुए वह मेरे छोटे-मोटे संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष**--पेश करने के बाद आपने वापस ले लिया ।

**श्री रामायणराय**--जी हां ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो विधेयक की परिधि बढ़ा सकने का अधिकार रखे तथा अपना प्रतिवेदन २५ जनवरी, १९५८ तक प्रस्तुत कर दे ।"

सदन के सम्मुख अब दो ही संशोधन रह जाते हैं, एक विष्ट जी का जो १५ जनवरी तक रिपोर्ट देने की बात कहते हैं और एक मेरा जो २५ जनवरी तक रिपोर्ट चाहता है । इन दोनों संशोधनों में यद्यपि केवल १० दिन का अन्तर है, लेकिन मैं अपनी चंद बातों को अपने संशोधन के सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं किन कारणों से इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, आपकी मारफत मैं पहली दिक्कत पेश करना चाहता हूं । हमारे सामने यह जो यूनिवर्सिटी बिल पेश किया गया है उसमें सिर्फ एक टुकड़ा तो हिन्दी में है और बाकी सब अंग्रेजी में है । इससे हमारे अधिकांश भाई, जो अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ हैं, वह समझ नहीं पायेंगे । यही कारण है कि अधिकांश लोग इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं । जितने बिल यहां पर पेश होते हैं हमेशा ही उनका सन्दर्भ मूल विधेयक से रहता है । मूल अधिनियम लाइब्रेरी में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पूरा अध्ययन नहीं हो पाता है । यदि इस विधेयक के साथ एक मूल अधिनियम की कापी भी मिल जाया करे तो हमारे लिये बहुत सुविधा हो .... ।

**श्री उपाध्यक्ष**--यह हर एक माननीय सदस्य की जिम्मेदारी है कि जहां से भी सम्भव हो सके वह किताब लाये और यहां तैयार होकर आये । इस पर सदन में बहस नहीं की जा सकती है कि पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं मिलीं ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--मैं मानता हूं, किन्तु इस विधेयक के सम्बन्ध में विशेष दिक्कत सामने आयी इसलिये मैंने अपनी कठिनाई आपके सामने रखी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस पर विचार के लिये डेढ़ दिन का समय दिया गया है । मैं समझता हूं यह उचित ही है किन्तु मुझे चिन्ता इस बात की है कि यह यूनिवर्सिटी बिल पास होने के बाद इन्टर-मीडियेट बिल भी पेश होने वाला है जिसके लिये २४ तारीख निश्चित की गयी है । यह भी सम्भव है कि इसके लिये विचार करने का समय ही न मिल पाये और फिर वह दूसरे सेशन में आये । इस समय हमारे सामने माननीय मन्त्री जी उपस्थित नहीं हैं नहीं तो मैं उनसे प्रार्थना करता कि यह बिल केवल उन अध्यापकों से सम्बन्ध रखता है जिनकी संख्या ३,००० है किन्तु इन्टर मीडियेट वाला जो विधेयक है वह ३३,००० अध्यापकों से सम्बन्ध रखता है, उसको माननीय मन्त्री जी ने जल्दी से लाना उचित नहीं समझा और अन्तिम समय पर उसको रखा गया है और ३, ४ घंटे का समय उसको देने की बात है । इस कारण मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि जिनका ज्यादा जोर होता है उनकी सुनवाई जल्दी होती है । जो नजदीक रहते हैं उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है । इसी वजह से यह बिल जल्दी ले आये हैं । जो दूर हैं और बाहर हैं उनका विधेयक टल जाता है और उनकी चीज नहीं चल पाती है । इसलिये उनकी सुनवाई कम होती है ।

शिक्षा मन्त्री महोदय ने यूनिवर्सिटी बिल के साथ बहुत कुछ सहानुभूति दिखाई है । मैं भी उसका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, किन्तु मैं यह भी आशा करूंगा कि उनके विशाल हृदय में थोड़ा बहुत उनके लिये भी स्थान होना चाहिये जिनकी तादाद इन अध्यापकों से बहुत ज्यादा है और जो दूर दूर तक इस प्रान्त में फैले हुये हैं । पिछले ५ सालों से विभाग उनकी मांगों पर विचार करता आ रहा है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है और आज भी वह निर्णय करने में आगा-पीछा कर रहा है । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनके लिये भी कुछ कृपा दृष्टि करने की कृपा करें । चाहे वह यूनिवर्सिटी के अध्यापक हों, चाहे हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापक हों और चाहे हाई स्कूल के हों, वह सब अपने ग्रेडेशन के लिये लड़ते रहते हैं और वह उनको प्राप्त भी करते हैं और अपने अधिकारों को भी प्राप्त करते हैं ।

आज सरकारी और गैरसरकारी या बोर्डों के स्कूलों में विषमता है, उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । मैं किसी प्रकार भी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की क्षमता को कम नहीं करता हूं लेकिन शिक्षा मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उनका कर्त्तव्य है कि वह अपनी दृष्टि लखनऊ शहर में ही न रखें । कुछ थोड़ी सी मांगें थीं जिनकी पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया है और मन्त्री जी समझते हैं कि उनका कर्त्तव्य पूरा हो गया ।

मैं इसकी परिधि को बढ़ाना चाहता हूं । मैं उन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में भी बात कहना चाहता हूं जो हमारी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, चाहे उन के सम्बन्ध में बिल में संकेत हो या न हो । हमारी यूनिवर्सिटीज से निकले हुए विद्यार्थियों की योग्यता का परीक्षण आई० ए० एस० और प्रान्तीय परीक्षाओं में होता है । अभी हाल ही में पुलिस ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूनिवर्सिटी से निकले हुए विद्यार्थियों की भी योग्यता कम होती है । शासन सम्बन्धी कार्यों में वे पीछे पड़ जाते हैं । कुछ इसी प्रकार की हमारे पब्लिक सर्विस कमीशनों की रिपोर्ट निकलती हैं । हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल जी ने भी इस बात की शिकायत की कि आजकल यूनिवर्सिटियों से बहुत ही लो ग्रेड की नालेज के लोग निकलते हैं ।

हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की बहुत चर्चा सुनने में आती है । यह उच्छृंखलता तभी होती है जब कि हमारी शिक्षा का प्रबन्ध ठीक नहीं होता है । इस विधेयक के लिए परिधि को बढ़ाने की बात मैंने किसी मंशा से ही रखी है । मैंने देखा है कि इसमें जहां कई बातों का प्रबन्ध किया गया है वहां कहीं इस बात का प्रबन्ध नहीं है कि फैकल्टीज की उन्नति के लिए भी कुछ होना चाहिए । यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक बार-बार आते रहते हैं और आवेंगे । परन्तु विद्यार्थियों की योग्यता का स्तर ऊंचा करने की बात कहीं नहीं है इस तरफ भी ध्यान होना चाहिये । जब कभी यह कहा जाता है तो उत्तर मिलता है कि विद्यार्थियों की योग्यता इसलिए कम है कि उनको समय नहीं मिल पाता है और इस लिए ३ साल का डिग्री

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कोर्स होना चाहिए, इससे उनकी योग्यता बढ़ जायगी। यह मुझे अजीब सी बात मालूम होती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप ३ नहीं ५ साल कर दीजिये, लेकिन जो मनोवृत्ति इस समय है वह कभी भी विद्यार्थियों में ठीक या ऊंचा स्तर पैदा नहीं कर सकती है।

यदि मैं अध्यापकों के विषय में कुछ कहूं तो अनुचित न होगा। मैंने देखा है कि हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स आज शिक्षा को ओवरशैडो करते हैं। सेकेन्डरी शिक्षा में आज उन्हीं का प्रभाव है। बोर्ड आफ हाई स्कूल में वन-थर्ड वे हैं और वही पालिसी बनाते हैं, वही परीक्षाओं के हेड और कनवीनर होते हैं। वे सब कुछ मोनोपोलाइज किये हुए हैं। इसलिए शिक्षा का प्रोडक्शन जैसा हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक भी उसी तरह से विद्यार्थी को बनाने का जिम्मेदार है जैसे यूनिवर्सिटी का। हम हर जगह घूसखोरी और झूठ बोलने की मनोवृत्ति इस शिक्षा के कारण दिखाई पड़ती है। इसकी जिम्मेदार हमारी युनिवर्सिटी की मौजूदा शिक्षा है। ये बड़ी-बड़ी इमारतें, वेतन, नियमावलियां हमारे विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रस्तावना है कि इस बिल के साथ शिक्षा के सिस्टम को भी देखा जाय और यह देखा जाय कि क्या यूनिवर्सिटी अपना कर्त्तव्य निभा रही है। यह शिकायत की जाती है कि नीचे से ही स्तर नीचा आता है। यह एक पुकार मची हुई है। बहुत से विद्यार्थियों का जीवन इस लिए बरबाद हो गया है कि थर्ड डिवीजन पास हैं। इससे युनिवर्सिटी उनके लिए दरवाजा बन्द कर देती है। हम देखते हैं कि आज हमारे नवयुवक गांधीजी के बनाये हुये नियमों का पालन नहीं करते हैं, और देश की सेवा को कुछ नहीं समझते हैं बल्कि वे अपने को जनता का मालिक समझते हैं और दूसरों का इस प्रकार से तिरस्कार करते हैं जैसे मालूम होता है कि वे कोई बहुत महान् स्वामी यानी मालिक हमारा हो। हमारी यूनिवर्सिटियों से निकले हुए लोगों को, चाहे वे मैजिस्ट्रेट हों, जज हों या वकील हों, या एडवोकेट हों, पहचान यही होनी चाहिए कि अपने आप को देश का सेवक समझें, जनता का सेवक अपने आप को वे मानें और उसी भावना से कार्य करें। यह नहीं होना चाहिए कि वे हम को तिरस्कार की दृष्टि से देखें। जब मैं किसी को बड़ा डिसकर्टियसली व्यवहार करते देखता हूं तो मुझे यूनिवर्सिटी की शिक्षा का ध्यान आता है। मैंने अनेक मैजिस्ट्रेटों, जजों और ऐडवोकेट्स को देखा जो अपने क्लायन्ट्स के साथ गाली से पेश आते हैं। वे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। क्यों ऐसा है?

आज मैं यूनिवर्सिटी के अध्यापकों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे अपने कर्त्तव्य की ओर ध्यान दें, वे उनकी ओर भी ध्यान दें जिन के वे भाग्य विधाता बने बैठे हैं। वे आज हाई प्लेस्ड हैं, अच्छे-अच्छे उनके ग्रेड्स हैं तथा अच्छे से अच्छे साधन उनको प्राप्त हैं। उन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों को वे युनिवर्सिटी से निकाल देते हैं वे रोजी रोजगार से लगे हैं या नहीं। आजकल युनिवर्सिटी के अध्यापक इस चीज की परवाह नहीं करते, वे तो केवल एक्जामिनेशन की सफलता को ही देखते हैं। वह यह नहीं देखते कि एक गरीब निर्धन विद्यार्थी जिस में अपनी फीस देने की योग्यता नहीं होती, सिफारिश उसके पास नहीं होती, उसका यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद क्या होता है।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि यह मामला काफी स्पष्ट हो चुका है। अब आप आगे बढ़ें।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—धन्यवाद, मुझे एक ही मौका अपनी इस बात को कहने का मिला है और इसीलिए मैंने इसकी परिधि के बढ़ाने की बात कही थी। मुझे विश्वास है कि यह यूनिवर्सिटी विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जायगा जो इसकी सारी पालिसी पर ध्यान दे सकेगी और यह भी देख सकेगी कि शिक्षा को किस प्रकार से मोल्ड करना है।

अब मैं आप के समक्ष यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट में से कुछ उद्धरण रख देना चाहता हूं। यद्यपि यह रिपोर्ट दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में है लेकिन चूंकि दोनों विधेयक साथ ही साथ आये थे इसलिए इस पर भी वह लागू होती है। इसमें कहा गया है कि—

"An examination of the information supplied to us shows that five professors, ten readers and eighty-eight lecturers published nothing during this period; and that of those who had published research work a professor prepared on the average 3/11 ths of a book and 10/11th of an article a year. A reader prepared for the same period 2/15th of a book and one article and a lecturer 5/17th of a book and also one article."

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी कृपा होगी यदि माननीय अवस्थी जी को वह तरीका बता दिया जाय जिस से आप की कही हुई बात समझ में आ जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तरीका तो ९ महीने से सीख रहा हूं और अब यह दसवां महीना चल रहा है और इस अनुशासन के अधीन रह कर जो अधिक से अधिक कह सकता हूं, कहने का प्रयत्न करता हूं। जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है वह तो सब की पढ़ी हुई चीज है। यह मैंने उसी का उद्धरण पेश किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन बातों के लिए उन को सचेत किये जाने की आवश्यकता है। तो जहां तक ज्ञान के बढ़ाने का प्रश्न है हमें यह देखना होगा कि अन्य यूनिवर्सिटियों के मुकाबिले में इसने ज्ञान को कितना आगे बढ़ाया है। लेकिन बिना किसी का अनादर किये हुए मैं इस चीज को मानता हूं कि जो कुछ थोड़ा बहुत कार्य किया गया है, वह सन्तोषजनक नहीं है। अब आवश्यकता इस बात की है कि यूनिवर्सिटी ऐसी भावनाओं को पैदा करें जिनकी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संकेत किया है। उनका संकेत था कि हमारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए विद्यार्थी भविष्य निर्माता और देशभक्त बनें, न कि केवल धनोपार्जन के लिए ही आगे बढ़ें। यह सही बात है कि देश सेवक और जनसेवक अध्यापक ही पैदा कर सकते हैं। अगर वे केवल अनुशासन को ही ठीक करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है, इस दफा को निकाल दिया जाय तो या यह दफा रख दी जाय तो केवल उसी से काम नहीं चलेगा। श्रीमन्, मुझे एक आश्चर्य और इस विधेयक में दिखलायी पड़ा कि मूल अधिनियम के द्वारा जो इसे सर्वांगीण बनाने की चेष्टा की गयी है, बिना पूरे मूल अधिनियम को पढ़े हुये पूरी बात समझ में नहीं आती। मूल अधिनियम को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि सिर्फ चन्द बातों के लिए ही यह सारा तमाशा किया गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय जहां कि मूल अधिनियम को ध्यान में रखते हुए जो ऐक्ट की मंशा है, जो उसका लक्ष्य है, उस के अनुसार समयानुकूल बना सकें।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में जो भाषण इस सदन में हुए, उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। साथ ही साथ जिन भाइयों ने जो संशोधन पेश किये, उन को भी पढ़ा और उनके समर्थन में जो कुछ भी आर्गुमेंट्स यहां दिये गये हैं, उन को भी मैंने ध्यान से सुना। मैं यह समझता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी कही गयी हैं, जो अपने स्थान पर कितनी महत्वपूर्ण क्यों न हों, उनका कोई सम्बन्ध इस विधेयक से नहीं था। माननीय अवस्थी जी ने इस सदन का ध्यान बहुत सी बातों की तरफ खींचा। काफी तो हम समझ नहीं पाये और जो कुछ समझ सके उससे मैं तो इतने ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि यद्यपि यह सही है कि हमारी शिक्षा का स्तर विश्व विद्यालयों के अन्दर काफी गिरता जा रहा है, और आज यह मूल प्रश्न प्रांतीय सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा सभी दल के नेताओं के सामने है और इसका संकेत आमतौर से जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आती रहती हैं, उनमें भी मिलता है, लकिन जिस समय हम किसी भी बिल के

[श्री नवल किशोर]

ऊपर, खासतौर से अमेंडिंग बिल के ऊपर बहस करते हैं तो हमें इतना जरूर याद रखना चाहिए कि उसका क्या स्कोप है और हम उस स्कोप के बाहर कहां तक जा सकते हैं और कहां तक हम को जाना चाहिये।

श्री रामायण राय---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य महोदय उत्तर दे रहे हैं या अवस्थी जी को शिक्षा दे रहे हैं? हमको ऐसा लगता है कि इस तरह के भाषण इस सदन में नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपने आब्जरवेशन्स पेश कर रहे हैं लेकिन शिक्षा के रूप में इस तरह से उनका पेश करना मेरी समझ में नहीं आता कहां तक उचित है।

श्री उपाध्यक्ष---श्री नवल किशोर जी, आप को इस व्यवस्था के प्रश्न पर क्या कहना है?

श्री नवल किशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि मैंने कोई चीज ऐसी नहीं कही है जिस के कहने का अधिकार मेरा न हो। अगर कोई बात उन की समझ में नहीं आयी तो उसके लिए मैं क्या कहूं, मेरा दुर्भाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष---जिसको एतराज होना चाहिए था उन्हीं को कोई एतराज नहीं है तो हम और आप क्या करेंगे।

श्री नवल किशोर---यह एक छोटा सा बिल है और जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि बहुत दिनों से एक मांग विश्वविद्यालय के अध्यापकों की थी कि उनके यहां पे ग्रेड्स ठीक से लाये जायें और जो डिसटिन्कशन रीडर और लेक्चरार्स में हैं उन को खत्म किया जाय। इस में खास तौर से सरकार ने उनकी इस अनवरत मांग को माना है और पूरा किया है और दो ग्रेड्स को लागू किया है। इस सम्बन्ध में अभी ६ नवम्बर को एक आर्डिनेंस निकला था और अब चूंकि उसका समय खत्म होने को है लिहाजा उस आर्डिनेंस को कानून की शक्ल देने के लिए यह बिल लाया गया है। अब चूंकि यह बिल आया है इसलिए सरकार ने इस बात का भी लाभ उठाया है कि कुछ और आवश्यक संशोधन भी इसी सिलसिले में कर लिये जायं। मैं समझता हूं कि इस में यह जो मांग की गयी है कि इस को एक प्रवर समिति में भेजा जाय, इस सम्बन्ध में दो तीन तरह के संशोधन हैं। मुझको प्रवर-समिति में भेजने पर कोई सिद्धान्ततः आपत्ति नहीं है, लेकिन भेजना या न भेजना यह माननीय शिक्षा मन्त्री जी के सोचने की बात है। वैसे मेरा खयाल है कि हाउस में भी उन तमाम विषयों पर बहस हो सकती है। परिधि को बढ़ाने की जो बात कही गयी है उसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि स्कोप को बढ़ाने की बात एक बड़ी वेग चीज है, उससे तो वह बड़ी वाइड पावर प्रवर समिति को देना चाहते हैं।

इसके उपरान्त मुझे दो एक बातें अवश्य कहना हैं। पहली यह कि जहां तक कि टीचर्स की बात है उनके लिए २ स्केल्स हो जायं, यह सही है और सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया, यह बहुत आवश्यक था।

इसके अलावा दूसरी मांग भी उनकी पूरी की जा रही है। वह यह कि विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर द्वारा शिक्षकों तथा अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने के अधिकार को लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी विशेष आपत्ति की बात नहीं है। इसके बाद भी वाइसचांसलर की बहुत पावर रहती हैं।

इसके अलावा इस बिल के द्वारा एक खास बात यह भी की जा रही है कि अब जो निर्वाचन होगा वह प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन सिस्टम के अनुसार सिन्गल ट्रांस्फरेबिल वोट के द्वारा होगा। इसमें सिद्धान्ततः किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक सर्वमान्य पद्धति है। जब पिछली बार इसमें संशोधन आया था उस समय भी यह प्रश्न सदन के सामने आया था। आगरा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इस पद्धति को माना गया है, लेकिन उस समय हमारे सामने केवल एक दलील थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की जो

विशेष स्थिति रही है, वह दूसरे विश्वविद्यालयों से थोड़ी सी भिन्न रही है। वह यह है कि यहां आम तौर से जो फैसले होते हैं वह एकमत से होते हैं और होते चले आये हैं। मुझे केवल इतना भय है कि इस पद्धति के अब चालू करने से ऐसा न हो कि जो इस विश्वविद्यालय के ट्रेडीशन्स रहे हैं उनके अन्दर कोई और कमी आ जाय और गुटबन्दी बढ़ जाय, बजाय इसके कि जो हमारा सब का ध्येय है कि हम यहां के वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, ऐसा न हो कि जिस ध्येय को हम पूरा करना चाहते हैं, वह ध्येय पूरा न हो सके।

एक चीज नयी इसके अन्दर हमारे सामने आयी। वह अब तक हमारे किसी भी ऐक्ट में नहीं थी। वह एक प्राविजन है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। खंड ६ के उपखंड (२) में दिया है कि :--

"Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (viii) of (ix) or sub-section (i) shall not be eligible for election or nomination for the third term in succession."

मुझ को इसमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कितनी सुन्दर भावना क्यों न रही हो, परन्तु यह कुछ थोड़ा सा अनडेमोक्रैटिक सा जरूर है, इस मानी में कि जब हमने इस बात को मान लिया कि लोग चुन कर आयें और अगर उन लोगों के लिए वोटर्स की सपोर्ट है, जो कि हमारा कालेज आफ एलेक्टोरेट है उसका सपोर्ट है, तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि उनको वंचित किया जाय कि वह तीसरी दफा मेम्बर न बन सकें।

एक सदस्य---यह सब एक्स आफिशियो के लिए है।

श्री नवल किशोर---जी नहीं, एक्स आफिशियों के लिए नहीं है। आप फिर पढ़िये।

दूसरी बात मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि हम लोग यह बात जानते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संस्थाओं को बनाया करते हैं जिनको हम बिल्डर्स आफ दि इन्स्टीटयूशन्स कहते हैं, जैसे हमारे महामना मालवीय जी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया या सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बनाया। इस तरह से और भी व्यक्ति समय-समय पर होते रहे हैं जिन की विशेष संस्थाओं के लिए विशेष सेवायें रही हैं और उनके बनाने में और फिर उन के विकास में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और उनका हाथ भी होता है। मैं यह समझता हूं कि इसको मानने से यह भी एक आशंका है कि हम ऐसे व्यक्तियों की जो सेवायें हैं उनको भी शायद खो दें। एक बात कही जा सकती है कि हमारे टीचर्स की बहुत दिनों से इस तरह की मांग रही है और इस सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं उनके प्रति मेरा बड़ा मान और आदर है। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन साथ-साथ में यह भी जानता हूं कि इस तरह की जो मांगें हमारे टीचर्स की तरफ से आती हैं उनके पीछे केवल यही भावना नहीं है कि वह टीचर्स अपने अध्यापन कार्य में पूर्ण आजादी चाहते हैं, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी भावनायें होती हैं, ध्येय होता है। यूनिवर्सिटी के दो अंग होते हैं, एकेडेमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। जहां तक एकैडेमिक अंग का सम्बन्ध है मैं पूर्णतया सहमत हूं कि उसके अन्दर हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स के लिए पूर्ण आजादी होनी चाहिए क्योंकि यही उनका खास कार्य है।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है हम कुछ भी कहें, परन्तु इस बात का इल्जाम आता है, हमारे ऊपर और दूसरी पोलिकिटल पार्टीज पर, कि ये विश्वविद्यालय के अन्दर प्रवेश करना चाहती हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि वे टीचर जो सब से ज्यादा इस बात के लिए शोर मचाते हैं वह भी पालिटिक्स की छूत से बचे हुए नहीं हैं और उनकी इस मांग के पीछे पोलिटिकल मैनोवरिंग वाली बात है। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि

[श्री नवल किशोर]

वे, जो उन्होंने प्राविजन रखा है, उस पर पुनः विचार कर लें, चाहे यह टीचर्स की ही मांग क्यों न रही हो। यह सही है कि इस तरह की सिफारिश राधाकृष्णन् जी ने भी अपनी रिपोर्ट में की है। बहरहाल ठीक है उनकी भी अपनी एक राय है, लेकिन एक ही राय हर जगह, हर संस्था में एक सी लागू हो सके, ऐसा हो नहीं पाता। मेरे सामने मोटी मिसाल आगरा यूनिवर्सिटी की है। पिछले बार इस हाउस के अन्दर आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट आया और बड़ी सुन्दर भावनाओं को लेकर आया। हमको यह बताया गया कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो तमाम गन्दगी है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं इसलिए हमने एक अमेंडमेंट किया। मेरा अपना अनुभव यह हुआ कि उस ऐक्ट के पास हो जाने के बावजूद भी वही हालत कायम रही, कोई कमी नहीं आयी। बल्कि बढ़ी तो इतना जरूर सोच लें कि जो दवा हम दे रहे हैं वह कामयाब हो, या न हो कि जिस मर्ज के लिए दी जा रही है, वह मर्ज और बढ़ जाय। इसके अन्दर जो और प्राविजन्स हैं वह तो बिल्कुल उसी के आधार पर हैं, और बहुत से कांसिक्वेंशियल हैं। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे मेरी इन दो बातों के ऊपर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जब से अंग्रेजी शासन आया और यूनिवर्सिटी शिक्षा की व्यवस्था हुई तब से बराबर शिक्षा विशेषज्ञों की मांग रही कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी रखी जाय। और इसी मांग के अन्तर्गत जब मैं इस बिल को देखता हूं तो जैसा कि हमारे उस पक्ष के सदस्यों ने भी कहा है शिक्षा मन्त्री को बधाई दिये बिना रुका नहीं जाता। किसी कारणवश कुछ धारायें ऐसी आ गयी थीं, उन में संशोधन आवश्यक था और अध्यापकों की मांग थी। मैं अध्यापक की परिभाषा जो ओरिजिनल ऐक्ट में दी हुई है, उस के बाद १९५५ के अमेंडमेंट ऐक्ट में जो दी हुई है और जो इस विधेयक में प्रस्तावित है, उनको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

श्रीमन्, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में अध्यापक की परिभाषा इस प्रकार लिखी हुई है :—

"Teachers" include Professors, Readers, Lecturers, and other persons imparting instructions in the University or in any of its Colleges or Halls.

"Teachers of the University" means persons appointed and paid wholly or partly by the University for imparting instructions in the University."

दूसरे संशोधन में परिभाषा टीचर की इस प्रकार है :—

"Teacher of the University" means a person appointed and paid by the University for imparting instructions or conducting research in the University or a Constituent College maintained by the University."

जो सदन के सन्मुख बिल है उसमें लिखा हुआ है :—

"Teacher" means a person, employed by the University, a constituent college, an associated college or a Hall for giving instructions or guiding or conducting research in any subject of the courses of study taught therein.

मैं स्वयं एक अध्यापक हूं और जिस भावना से यह शब्दावली रखी गयी है मैं उसका आदर करता हूं और शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वास्तविक रूप से अध्यापक के स्तर पर आकर इस शब्दावली को रखा है। जो टीचर्स की व्यवस्था है उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जैसे उधर के लोगों ने धन्यवाद दिया है, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो एक ही धारा है इस बिल में, इस पर सब को सर्वसम्मत होना चाहिए और जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने और देर करने की बात है वह नहीं होना चाहिए।

श्रीमन्, ११वीं धारा में अध्यापकों के बारे में वाइस चांसलर को पावर्स दी हुई हैं। प्रजातंत्र के युग से १९४७ के बाद अपना शासन विधान बना। उसमें हमने मान लिया कि प्रत्येक नागरिक को जो इस देश में बालिग है, चाहे किसी जाति, धर्म या व्यवस्था का हो, समानाधिकार है और उस पर शिक्षकों का वर्ग इस देश को चलाता है। यूनिवर्सिटी के अध्यापक जिनसे हमारे देश को अच्छे से अच्छे लोग मिल सकते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है। उस स्तर पर इतना नियंत्रण समाज की दृष्टि से घातक था। धारा ११-ए में वाइसचांसलर को जो पावर्स दी हुई हैं, उनमें डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने की बात है, उन को इस बिल में निकाल दिया गया है यह बहुत ही सराहनीय बात है। उसे मैं आप की आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि साधारण वादविवाद के अवसर पर उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं होती। उन उद्धरणों में क्या है और आगे क्या दशा होगी यह वह अपने तरीके से बतला दें, पढ़ कर सुनाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

**श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी**—बहुत अच्छा। इस बिल के द्वारा युनिवर्सिटी की आटोनामी और अध्यापकों के अधिकार जो बढ़ाये गये हैं उसका मैं आदर करता हूं। वाइस चांसलर को दो धाराओं में डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने की जो पावर्स दी हुई थीं, उन को निकाल दिया गया है, इससे इस बिल की महत्ता और बढ़ जाती है। इन को अवश्य निकाल दिया जाना चाहिए था, शिक्षा और अध्यापकों के हित की दृष्टि से। धारा १६ में प्रतिनिधि भेजने की बात है और कोर्ट और कौंसिल बनने की बात है। उसी में यह भी था कि बहुमत से रिप्रेजेन्टेटिव चुना जाना चाहिए, लेकिन नयी धारा जो इस बिल में आयी है उस के अनुसार सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट की व्यवस्था की गयी है। इस से यह होगा कि हर विचार के लोग इसमें अधिक से अधिक आ सकेंगे और २१ और १९ का जो पहले झगड़ा चलता था, और गड़बड़ी होती थी उसका निराकरण हो जायगा।

यूनिवर्सिटी की परिभाषा में कांस्टीटयुएंट और एफिलियेटेड कालेज दोनों रक्खा गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में लिखा हुआ है कि यह रेजिडेंशयल यूनिवर्सिटी है। फिर भी यहां बहुत से कालेज हैं यूनिवर्सिटी के आस पास, उसकी परिधि के भीतर। इनको भी समान अधिकार दे दिया गया है। इससे इस बिल की महत्ता और बढ़ जाती है। इस तरह से सारी शिक्षा में परिवर्तन इस बिल के द्वारा किया जा रहा है जिसकी कि नितान्त आवश्यकता थी। यूनिवर्सिटी से सुन्दर से सुन्दर और अच्छे से अच्छे नागरिक बन कर निकलते हैं। जितने परिवर्तन इस बिल के द्वारा हुए हैं उनका सर्वसम्मत से स्वागत होना चाहिए और इनको बिना देर के स्वीकार किया जाना चाहिए। इस निवेदन के साथ मैं शिक्षा मन्त्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं शिक्षक जगत की ओर से कि उन्होंने इस बिल को रख कर शिक्षक जगत का बड़ा उपकार किया है।

**श्री गोविंदसिंह विष्ट**—मैं आप की इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा प्रकाश इस बिल पर डाला। मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं क्योंकि इस बिल में जैसा कि कहा गया इतनी देर हो गयी, और अधिक देर नहीं होनी चाहिए और जैसा कि कहा गया जो संशोधन हैं वे ऐक्ट में समावेश हो सकते हैं तो जिस ग्रेस से वह लाया गया है उसी ग्रेस से हमें उसे ऐक्सेप्ट भी करना चाहिए।

**श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)**—पहले तो मैं यह समझता हूं कि अगर माननीय अवस्थी जी अपने संशोधन को वापस लें वैसे मैं उन से वापस लेने के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन अगर वह वापस ले लें तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय आज १५ मिनट के लिए बढ़ा दिया जाय जिस से यह बिल आज ही पास हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--यह बिल कल तक के लिए है। इसलिए इस में जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह आज नहीं कल पास हो जायगा। आप अपने संशोधनों के विषय पर भाषण करना चाहें, तो कर सकते हैं।

*श्री सुरथबहादुर शाह--श्रीमन्, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अभी फरमाया कि आवश्यक समझकर जो परिवर्तन अपेक्षित थे उन को कानूनी तरीके पर उपस्थित किया है। श्रीमन्, यदि मैं आज खुशामदी व्यक्तियों की पंक्ति में से होता, तो इसमें कोई सन्देह नहीं है, कि मैं भी धन्यवाद, मुबारकबाद, बधाई तथा वाह-वाह शब्दों के पुल बांध देता, किन्तु इस आदरणीय सदन के सदस्य की हैसियत से मैं एक विनम्र सलाहकार का कार्य करना ज्यादा मर्यादापूर्ण समझता हूं।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए बड़ा गौरव है कि मैं माननीय मन्त्री जी की स्पिरिट या भावना जिससे यह परिवर्तन उपस्थित किये गये हैं, उसको मैं अपने आदरणीय सदस्यों की अपेक्षा ज्यादा ऐप्रिशियेट करता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं आदरणीय सदस्यों का अनादर करूं। मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, रजिस्टर्ड ग्रैजुएट हूं और जिस प्रकार हो सका मैं ने इसकी सेवा की है और करने के लिए सदा तैयार रहता हूं। मैं इसकी कोर्ट का तीन दफा सदस्य रह चुका हूं। एक्जीक्युटिव कौंसिल का भी तीन दफा मेम्बर रह चुका हूं। इस वास्ते मैं १९४२ से लेकर १९५० या १९५३ तक का मुझे अन्दाज है और जो धांधलियां हुईं और हो रही हैं, उनका भी अन्दाज है।

श्रीमन्, मैं शिक्षा मन्त्री जी से आप के द्वारा विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि वह मेरी दो तीन बातों पर गौर फरमायें तो मैं उन का बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। यदि मूल अधिनियम की धारा १०, खंड ३ का मुलाहिजा फरमायें तो यह शब्द पायेंगे कि :--

"The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved his resignation to the Chancellor."

अर्थात् ५ वर्ष की अवधि रखी है। धारा १२ खंड २ में आप यह मुलाहिजा फरमायें कि:--

"The term of office of the Treasurer shall be six years but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed."

अर्थात् कोषाध्यक्ष की अवधि ६ वर्ष की रहेगी। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा विनम्र निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय इस बात पर गौर फरमायें कि वाइस चांसलर का टर्म एक ही रहेगा और टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन बाई रोटेशन होगा। परन्तु ट्रेजरार हमेशा अटल रहेगा। तीन वर्ष के लिए एग्जीक्युटिव कौंसिल में जो टीचर्स होंगे वे बाई रोटेशन होंगे। इसी प्रकार डीन्स भी रोटेशन से होंगे। तो आप यह मुलाहिजा फरमायें कि एक टर्म के बाद वाइस-चांसलर नहीं रहेगा, डीन भी नहीं रहेगा और टीचर्स भी नहीं रहेंगे। इनको जब दुबारा मौका मिलेगा तो आजकल की संख्या को देखते हुए टीचर्स का रोटेशन १२० वर्ष के बाद होगा, डीन्स का आर्ट्स फैकल्टी में ४५ वर्ष के बाद और साइन्स फैकल्टी में शायद २१ या २२ वर्ष के बाद होगा। इसके अलावा जब इन सब के लिए आपने यह तै कर दिया है कि teachers एक टर्म के बाद रोटेशन से आयेंगे और आउटसाइडर्स के लिए, (जिसे राधाकृष्णन् कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नान-टीचर्स रिप्रेजेन्टेशन के नाम से कहा है) आपने यह कर दिया है कि दो सक्सेसिव टर्म्स तक रह सकते हैं। तो आखिर यह क्यों?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह कि और सब का तो रिप्रेजेन्टेशन, चाहे ग्रेजुएट्स का हो अथवा किसी और का हो, एग्जीक्युटिव कौंसिल में महज तीन वर्ष रह सकता है, यहां तक कि वाइस चांसलर की जो सबसे बड़ी पोस्ट है युनिवर्सिटी की वह भी पांच वर्ष के लिए महदूद या सीमित है, लेकिन ट्रेजरर ६ वर्ष के लिए होगा और कोई रोटेशन नहीं। नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर नाम लिया तो टोका जाऊंगा और शायद बिठाल दिया जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी तो इस ग्रुप के हैं जिसको इस बात का गौरव है कि जमींदारी ऐसी संस्था का उन्मूलन कर दिया तो फिर वे एक नयी जमींदारी को क्यों उत्पन्न और कायम कर रहे हैं। वे उस पार्टी के हैं जो एक नये प्रकार का समाजवादी सिस्टम लाना चाह रही है। मैं कटाक्ष नहीं करता और न मेरा ऐसा विचार है, अगर धोखे में कुछ हो गया हो तो आप यह विश्वास करें कि मैंने कटाक्ष के रूप में नहीं कहा। तो मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने किया, बल्कि शायद उनकी नजर से यह बच गया। इसलिए इस पर वे कृपा कर के विचार करें। यह कोई ऐसी मांग नहीं है जिसके मान लेने से युनिवर्सिटी के मूल अधिनियम का परिवर्तन हो जाय या उसके मेन ऐक्ट्स बदल जायं या किसी प्रकार उसक अधिनियम को धक्का पहुंचे। माननीय शिक्षा मन्त्री एक सुयोग्य व्यक्ति हैं, वे एक उच्च पद को सुशोभित करते हैं, उनसे तो ऐसे प्रोग्रेसिव बिल की आशा ही है। तो फिर धन्यवाद काहे का? मैं सलाह के रूप में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुमकिन है कि दो, तीन चीजें यह उनकी नजर से रह गयी हों तो कृपया इन पर भी ध्यान दीजिये।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि कुछ ऐसा कीजिये कि जिससे टीचर्स यह अनुभव करें कि उनका भी रिप्रेजेन्टेशन है। आप वकील की तरह से ऐडवोकेसी में कह सकते हैं कि उनका रिप्रेजेन्टेशन है तो, लेकिन वह केवल ऐडवोकेसी ही होगी। इसमें कुछ ऐसी बातें आप को रखनी चाहिए ताकि वह इसको अनुभव कर सकें। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात को कटाक्ष न समझा जाय। मान लीजिये कि इम्बेजिलमेंट है, वह डेलीबरेट हो या otherwise, लेकिन यदि हो तो उसका बीसों बरस पता नहीं चलेगा। बराबर एक ही व्यक्ति कोषाध्यक्ष होता जायगा।

**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो इम्बेजिलमेंट की बात है वह कोषाध्यक्ष के टर्म के बारे में है। उनके भाषण से जो इन्सुनियेशन हो रहा है, वह मैं समझता हूं, नहीं होना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**—उन्होंने कहा कि ६ वर्ष का टर्म है। वह कहते हैं कि यदि वही व्यक्ति बार-बार हो तो गबन का पता नहीं चलेगा। किसी व्यक्ति विशेष से उनका मतलब नहीं। इस तरह का प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

**श्री सुरथबहादुर शाह**—मेरी इच्छा आक्षेप करने की नहीं है, लेकिन मेरा विचार है और मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि अगर गबन हो तो २० वर्ष तक भी उसका पता नहीं चलेगा। मैंने तो इस कारण कहा कि कोषाध्यक्ष आनरेरी हैं, निःशुल्क है . . .

**श्री उपाध्यक्ष**—मैंने तो इस सम्बन्ध में उनको समझा दिया। आप दूसरी बात कहें।

**श्री सुरथबहादुर शाह**—तो इस तरह की संभावनाएं हैं। श्रीमन्, मैं इस पर जोर देना चाहता हूं। मेरा विचार है कि जब आप और सब को समाप्त कर देते हैं, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का रिप्रेजेन्टेशन, कोर्ट का रिप्रेजेन्टेशन आदि, वाइस चांसलर भी पांच साल बाद चला जायगा, मान लीजिये कि एक एक्जीक्युटिव कौंसिल नियुक्त होती है, तो उस में तीन साल बाद सब बदल जायगा, वाइस चांसलर भी उसकी दूसरी बैठक में नहीं रहेगा, लेकिन ट्रेजरर उस समय भी रहेगा, तो यह एनोमेली है मेरे विचार से . . .

**श्री उपाध्यक्ष**—यह तो स्पष्ट हो गया।

श्री सुरथबहादुर शाह---मैं यही अर्ज करना चाहता था श्रीमन्, और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी जिस भावना से इस संशोधन विधेयक को लाये हैं, उसके विचार के समय इस बात को भी ध्यान में रखें।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य से यह विधेयक माननीय शिक्षा मन्त्री ने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय उन्होंने उस आर्डिनेंस से बाहर जाकर कुछ और भी लाभ उठाया। ऐसे अवसर में अपने मित्र श्री अवस्थी जी से सहमत हूं कि यदि कुछ और भी लाभ उठाया जाता तो अच्छा होता। आज विश्वविद्यालयों में जो अनुशासन की कमी है, पूरी शिक्षा पाने के बाद भी विद्यार्थी जीवन में पूर्णतया उपयोगी न बन सकें और उसके पश्चात् भी छोटी-छोटी नौकरी तलाश करते फिरें और इसी प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं, इस सम्बन्ध में कुछ समावेश उसमें होता तो ज्यादा अच्छा होता। इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में बहुत जल्दी संशोधन नहीं आया करता। यह संशोधन भी सन् १९५४ के बाद अब आया है। उसकी एक विशेष आवश्यकता हुई। इसी कारण मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर से लाभ उठाया जाता तो अच्छा होता। बस इस पर इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा।

इस विधेयक में जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, टीचरों के सम्बन्ध में जो कुछ इसमें दिया गया है उसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मन्त्री बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इसमें कई धाराएं थीं। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से ताल्लुक रखती है।

जहां तक सिस्टम आफ सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट का सम्बन्ध है, मैं इस सिस्टम का बहुत हामी रहा हूं और आज भी मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्पमत को प्रतिनिधित्व मिलने का अवसर रहता है। परन्तु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि विशेषकर शिक्षा संस्थाओं में इस पद्धति से छोटे-छोटे ग्रुप बन जाते हैं और उनमें रस्साकशी पैदा हो जाती हैं। यह दुर्भाग्य हमारे देश का है कि उन छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए शिक्षा संस्थाओं में और कोई आधार नहीं हैं। केवल जात व बिरादरी का आधार रहता है। मैं नहीं कह सकता कि इस से कोई मन्शा लखनऊ युनिवर्सिटी के लिए है, परन्तु मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में प्रायः ऐसा होता है और मैं आशंका करता हूं कि इसके पास हो जाने से सम्भव है लखनऊ युनिवर्सिटी को कुछ हानि पहुंचे। एक धारा ६ (२) है। यह नयी धारा है। मैं मा० नवलकिशोर जी के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं, उन्होंने पढ़कर सुनाया कि एक्जीक्युटिव मेम्बर्स जो बाहर से आयेंगे वे दो कांसिक्यूटिव टर्म्स के बाद नहीं रह सकते। मैं माननीय नवल किशोर जी से सहमत हूं। प्रायः प्रत्येक स्थान पर कुछ थोड़े ही व्यक्ति होते हैं जो शिक्षा संस्थाओं में रुचि रखते हैं। यह उन पर प्रतिबन्ध होगा। मैं इस पर अधिक नहीं कहूंगा। संशोधनों के समय इस पर कुछ कहूंगा और मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको फिर से सोचें, यह उन्हीं के सोचने की बात है।

इसके अतिरिक्त ४--५ धाराएं टेक्निकल हैं। उन सब पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सेलेक्ट कमेटी में भेजने का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह बहुत छोटा सा विधेयक है और लगभग सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हो गये हैं कि इसको जल्दी पारित होना चाहिए। जो थोड़ी बहुत बातें हैं, उन्हें हम शिक्षा मन्त्री जी के सामने रख दें। वह उन पर विचार कर लेंगे। इसलिए मैं इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का विरोध करता हूं।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन, इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर जो प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव आया है, उस पर विवाद चल रहा है। मेरी बदकिस्मती है कि इस विवाद के अवसर पर, पूरे समय में इस सदन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उपस्थित न था। कुछ सम्मानित सदस्यों के भाषण सुनने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, उनसे दो-तीन बातें सामने आ रही हैं। एक तो ट्रेजरी बेंचेज के सम्मानित सदस्यों के प्वाइंट आफ आर्डर्स . . .

श्री उपाध्यक्ष—उसका तो अब प्रश्न ही नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—लेकिन उससे जजबात तो जाहिर हुए ही, मैं उस पर आऊंगा।

दूसरी बात यह कि अभी जो सम्मानित सदस्य इससे पहले बोले वे कुछ वोटिंग सिस्टम को लेकर बोले हैं। यह बात आपको स्मरण होगी कि यह लखनऊ यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पुरानी असेम्बली में इस सदन में प्रस्तुत हुआ था और उस समय शिक्षा मंत्री माननीय हर गोविन्द सिंह जी थे। उस समय के अगर वादविवाद को पढ़ा जाय, मुझे मालूम नहीं कि वर्तमान शिक्षा मंत्री ने विरोधी पक्ष की ओर से जो शंकायें प्रस्तुत की गयी थीं उनको कहां तक अध्ययन किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनमें से कुछ को उन्होंने देखा है कि यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव का निर्माण कैसे हो। बनारस यूनिवर्सिटी और पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम भी लिया जा सकता है। लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद तो एक समान ही हो गये। तो विश्वविद्यालय का कार्यकलाप कैसे होता है उससे सम्बन्धित यह बिल है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह चाहता हूं कि वे हमारी शंकाओं का समाधान करें कि क्यों टीचर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्स एक्जीक्यूटिव कौंसिल में हों ?

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१६ दिसम्बर, १९५७।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९५ पर)

### तालिका 'क'

### तिथियों सहित जरवल तथा तुलसीपुर शुगर मिलों की जून मास की रिकवरी का ब्यौरा

| तिथि | | | | रिकवरी जरवलरोड | रिकवरी तुलसीपुर |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रतिशत | प्रतिशत |
| १–६–५७ | .. | .. | .. | ५·०८ | .. |
| २–६–५७ | .. | .. | .. | ५·३३ | ५·९३ |
| ३–६–५७ | .. | .. | .. | ६·२४ | ६·८० |
| ४–६–५७ | .. | .. | .. | ६·२४ | ६·६३ |
| ५–६–५७ | .. | .. | .. | ६·२० | ७·९० |
| ६–६–५७ | .. | .. | .. | ६·३२ | ७·५४ |
| ७–६–५७ | .. | .. | .. | ५·८७ | ७·२९ |
| ८–६–५७ | .. | .. | .. | ५·०९ | ७·४० |
| ९–६–५७ | .. | .. | .. | ५·८७ | ७·३४ |
| १०–६–५७ | .. | .. | .. | ५·२६ | ७·३७ |
| ११–६–५७ | .. | .. | .. | ५·९९ | ७·४३ |
| १२–६–५७ | .. | .. | .. | ५·८१ | ७·२८ |
| १३–६–५७ | .. | .. | .. | ५·५० | ६·६४ |
| १४–६–५७ | .. | .. | .. | ५·७० | ७·१३ |
| १५–६–५७ | .. | .. | .. | ६·०५ | ७·१८ |
| १६–६–५७ | .. | .. | .. | ६·१३ | ६·०७ |
| १७–६–५७ | .. | .. | .. | .. | ६·०७ |
| १८–६–५७ | .. | .. | .. | ४·६२ | ६·२७ |
| १९–६–५७ | .. | .. | .. | ५·४३ | ५·९३ |
| २०–६–५७ | .. | .. | .. | ४·८२ | ५·८३ |
| २१–६–५७ | .. | .. | .. | ५·८९ | ६·१६ |
| २२–६–५७ | .. | .. | .. | ४·९० | .. |
| २३–६–५७ | .. | .. | .. | ५·११ | .. |
| २४–६–५७ | .. | .. | .. | ५·०७ | .. |
| २५–६–५७ | .. | .. | .. | ५·३१ | .. |
| २६–६–५७ | .. | .. | .. | ५·०५ | .. |
| २७–६–५७ | .. | .. | .. | ५·८९ | .. |
| २८–६–५७ | .. | .. | .. | ४·९३ | .. |
| २९–६–५७ | .. | .. | .. | ५·६४ | .. |
| औसत | .. | .. | .. | ४·२८ | ७·१० |

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०३ पर)

### तालिका 'ब'

### दि विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स (प्राइवेट) लि० खड्डा,

### दायित्व का ब्यौरा

| विवरण | | जो १-११-५५ को थे | | | जो २४-११-५७ को थे | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रु० | आ० | पा० | रु० | न० पै० |
| १—गन्ने का मूल्य व कमीशन (केन यूनियन)। | .. | ५,९४,०५१ | ८ | ७ | शून्य | |
| २—गन्ना उपकर | .. | ६,५१,९०८ | ४ | ० | १२,७६,८४१ | ४८ |
| ३—श्रमिकों का बकाया | .. | २,४८,२४८ | १४ | ९ | १,५४,२४६ | ४४ |
| ४—आय कर | .. | ३,८७,९७४ | ११ | ० | ३,८७,९७४ | ६९ |
| ५—बिक्री कर | .. | ४२,२३२ | २ | ३ | २९,८२० | ९६ |
| ६—प्रतिभूतियां तथा अन्य जमा की गई धनराशि। | .. | ६४,८४५ | १३ | ८ | ६४,८४५ | ८६ |
| ७—लाभ-हानि जिनका भुगतान न किया गया। | .. | २२,७०२ | ५ | ९ | २२,७०२ | ३६ |
| ८—प्रकीर्ण प्रदाय इत्यादि | .. | ३,०१,५०८ | ९ | ९ | ३,२५,००० (अनुमानित) | ०० |
| योग | .. | २३,१३,४७२ | ५ | ९ | २२,६१,४३१ | ७९ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर।)

### सूची

| क्रम संख्या | बुनकर सहकारी समिति का नाम | समितियों की संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | इटावा, जिला वीवर्स सेन्ट्रल सहकारी स्टोर्स लिमिटेड, इटावा । | ३३ | ३३ प्रारम्भिक सहकारी समितियां इससे संबंधित हैं । |
| २ | बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, करनपुरा । | ११५ | जिला वीवर्स सेन्ट्रल सहकारी स्टोर लिमिटेड इटावा से संबंधित । |
| ३ | ,, ,, रामगंज | २३६ | ,, ,, |
| ४ | ,, ,, एकदिल | ११५ | ,, ,, |
| ५ | ,, ,, विधूना | १७६ | ,, ,, |
| ६ | ,, ,, भर्थना | १०० | ,, ,, |
| ७ | ,, ,, लालपुरा | १७९ | ,, ,, |
| ८ | ,, ,, दरी मोहल्ला | ४० | ,, ,, |
| ९ | ,, ,, फफूंद | ७१ | ,, ,, |
| १० | ,, ,, शखगरौन | ५२ | ,, ,, |
| ११ | ,, ,, महेवा | १०४ | ,, ,, |
| १२ | ,, ,, जुआ | ५९ | ,, ,, |
| १३ | ,, ,, परसूपुरा | ९० | ,, ,, |
| १४ | ,, ,, रुरूगंज | ६६ | ,, ,, |
| १५ | ,, ,, बकेवर | १३५ | ,, ,, |
| १६ | ,, ,, बसरेहर | ४२ | ,, ,, |
| १७ | मशरिकी छपट्टी वार्ड हैन्ड-लूम वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | १४३ | ,, ,, |
| १८ | मगरिबी छपट्टी वार्ड हैन्ड लूम वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | १९४ | ,, ,, |
| १९ | मशरिकी छावनी वार्ड हैन्ड-लूम वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | १८८ | ,, ,, |
| २० | मगरिबी छावनी वार्ड हैन्ड-लूम वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | १२८ | ,, ,, |
| २१ | वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा देहात । | १११ | ,, |

| क्रम संख्या | बुनकर सहकारी समिति का नाम | समितियों की संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २२ | जसवन्तनगर देहात हैन्डलूम वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, जसवन्तनगर, इटावा । | २२५ | जिला वीवर्स सेन्ट्रल सहकारी स्टोर लिमिटेड इटावा से संबंधित । |
| २३ | सरौगी बाजार हैन्डलूम वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, जसवन्तनगर, इटावा । | १०८ | ,, ,, |
| २४ | महालाई टोला हैन्डलूम वीवर्स सहकारी समिति लिमिटड, जसवन्तनगर, इटावा । | ९९ | ,, ,, |
| २५ | औरइया तहसील उत्तरी सहकारी हैन्डलूम वीवर्स समिति लिमिटेड, फफूंद । | १३३ | ,, ,, |
| २६ | विधूना तहसील दक्षिणी सहकारी हैन्डलूम वीवर्स समिति लिमिटेड, अछलदा । | ९६ | ,, ,, |
| २७ | औरइया तहसील दक्षिणी सहकारी हैन्डलूम वीवर्स समिति लिमिटेड, अजीतमल । | २२७ | ,, ,, |
| २८ | वरून टोला वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | ३८ | ,, ,, |
| २९ | भर्थना तहसील दक्षिणी सहकारी हैन्डलूम वीवर्स समिति लिमिटेड, महेवा । | १९८ | ,, ,, |
| ३० | नौरंगाबाद वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | ४० | ,, ,, |
| ३१ | बढ़ईटोला वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | १० | ,, ,, |
| ३२ | दी वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | ४९ | ,, ,, |
| ३३ | वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, जसवन्तनगर । | ५२ | ,, ,, |
| ३४ | करघा उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, सोलमपुर भर्थना । | २३ | ,, ,, |

विधान सभा

| क्रम संख्या | बुनकर सहकारी समिति का नाम | समितियों की संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ३५ | मुफती टोला वीवर्स सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा । | ११ | जिला वीवर्स सेन्ट्रल सहकारी स्टोर लिमिटेड, इटावा से संबंधित नहीं हैं । |
| ३६ | बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, सराय पुख्ता, इटावा । | १० | ,, ,, |
| ३७ | बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, मुरादगंज, इटावा । | १० | ,, ,, |
| ३८ | रेशम उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, जैतपुरा । | १० | ,, ,, |
| ३९ | सिल्क इन्डस्ट्री सहकारी समिति लिमिटेड, गरिहा रायसिंह, इटावा । | १० | ,, ,, |
| ४० | बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, जैतपुरा । | १० | ,, ,, |

विधान सभा प्रदेश

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१४ पर)

१ घरौली
२ रिठीजोत
३ सनीचरावाव
४ सनिचिरा चौबे
५ पलधाजोत रूकमीना
६ रिठीखुर्द
७ आझापट्टी
८ आन्ध्र पट्टी
९ दान्दवा
१० बलवादनरती
११ चोरमारा
१२ बजरहा
१३ गोपालपुर
१४ भटपुर
१५ मन्झरिया
१६ सहौरी
१७ सरपती
१८ सेमरी
१९ छपिया
२० विशुनपुर
२१ कवटिया
२२ रैने
२३ करवा
२४ कल्यान पट्टी
२५ परधान पट्टी
२६ तिवारीपुर
२७ भादरे
२८ सैंगराघाट
२९ इन्द्रपुर
३० डमरिया वावू
३१ दरौली
३२ चकमौहनी
३३ सरही
३४ भवानी गढ़
३५ पगहाकोल
३६ फैजूडीह
३७ बिहारे
३८ रमवापुर
३९ सनगर
४० खजुरकाल
४१ मन्झरिया तिवारी
४२ जमहरिया कलां
४३ रोना
४४ हरना
४५ राजावोहा
४६ सकरा
४७ निविहा
४८ दरही
४९ अगिआौना
५० गदहर
५१ कुदरी
५२ करमनी
५३ वनकसिया
५४ भरथुआ
५५ मुरली
५६ सहरोलिया
५७ सन्डकलां
५८ सांडखुर्द
५९ वन्दोभर
६० थापर
६१ कवटीहर
६२ भगति
६३ करेली
६४ खेरा
६५ विलौली
६६ मिलन्द
६७ नटवा
६८ पिपरापट्टी
६९ कशहरा
७० सरपहरा
७१ कशहना कलां
७२ गौरियादनरत
७३ देवघाट
७४ वरइपुरवा
७५ रेरूआ
७६ घोरपाली
७७ पंडितपुरवा
७८ जमोहरा
७९ मैलानी
८० दोदही
८१ गेवापार
८२ ओदहा
८३ निविया
८४ किशुनपुर
८५ बरदालिया
८६ छपरा

८७ पेटवलिया
८८ रसूलपुर
८९ निहँलिया
९० रामपुर
९१ रानीपुर
९२ जोतिकापुर
९३ कोहना
९४ परमेश्वरपुर
९५ वेदखोर
९६ चैनपुर
९७ वेलरारी
९८ मिश्रौलिया
९९ वेलदहा
१०० दौलतपुर
१०१ अछती
१०२ अमरहवा
१०३ गजधरपुर
१०४ खैरा
१०५ मनकपुर
१०६ हन्डीया
१०७ मकनपुर
१०८ सिसवनिया
१०९ महेश्वरपुर
११० नरायनपुर
१११ वदलपुरवा
११२ दीपपुर
११३ गजागत
११४ मदरहा
११५ सुखमीचौरा
११६ सुरेहा
११७ छितौनी
११८ रामपुर
११९ देपहरा
१२० मुन्डेरवा
१२१ कुरसरी
१२२ कुटी मौनीदास
१२३ हन्सरिया
१२४ विलौरी
१२५ सोनारी
१२६ सुन्डीहागोपालपुर
१२७ पठौली
१२८ सिसवा
१२९ खसैली
१३० सिरौना
१३१ टिकौलियालाल
१३२ मसिसा
१३३ रामजगल
१३४ भसाखोट
१३५ वहारे
१३६ खैरा
१३७ पंडितपुर
१३८ मटाहना
१३९ कटारजोत
१४० रामपुरदखवा
१४१ तकिया
१४२ नानजोत
१४३ दीखोटा
१४४ कनेला
१४५ लेलेना
१४६ भैसाटीकर
१४७ रामपुर द्वितीय
१४८ शानपुर
१४९ सियारजोत
१५० सियार कलां
१५१ करनपुर
१५२ ढोलवजवा
१५३ पटखौली द्वितीय
१५४ कटहा
१५५ जोगोपुर
१५६ भगता
१५७ कुटी
१५८ गायघाट
१५९ रामपुर तृतीय
१६० वसवारी
१६१ गनेशपुर
१६२ घमूइकंचा
१६३ दुर्गातिवारी
१६४ छपरा
१६५ रिखरीपुर
१६६ पाकीमपुर
१६७ भैराकापर
१६८ लखरिया
१६९ हादो
१७० वाघी
१७१ सकरचक
१७२ पिपरही
१७३ गासासापुर
१७४ मरवटिया
१७५ चकदहा
१७६ गोनमटिया
१७७ वघौरा
१७८ छपिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१७९ माटपुर
१८० सेमरी
१८१ बिलौरा
१८२ रामपुर चतुर्थ
१८३ मदरा
१८४ निरन्जनपुर
१८५ बन्दवार
१८६ जगदीशपुर
१८७ बेलदारपुर
१८८ गुलरहिया
१८९ दहलकलां
१९० औटना
१९१ कचनपुर
१९२ बलमापुर
१९३ दौलतपुर
१९४ नकहा
१९५ बेलवा
१९६ परसहर
१९७ रेवता
१९८ रजनौली
१९९ करमौल
२०० गैबसन्तपुर
२०१ माझाबहोरा
२०२ लोहरिया
२०३ उमारिया
२०४ भुनलर
२०५ मंझगांव
२०६ जिगना
२०७ दीपपुर
२०८ विशुनपुर

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२१८ एल० ए०—१९५८—८१० ।